रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 409] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 17, 1981/अग्रहायण 26, 1903
No. 409] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 17, 1981/AGRAHAYANA 26, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय कार्य विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1981

का०आ०सं० 662(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक घर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 है।

(2) ये डाकघर बचत बैंक के निम्नलिखित खातों को लागू होंगे, अर्थात :—

(क) बचत खाता।

(ख) सावधिक संचयी जमा खाता।

(ग) आवर्ती जमा खाता।

(घ) सावधिक जमा खाता।

(3) ये 1 अप्रैल, 1982 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं —इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "खाता" से बचत खाता सावधिक संचयी जमा खाता, आवर्ती जमा खाता या सावधिक जमा खाता अभिप्रेत है,

(ख) "प्राधिकृत" से महानिदेशक, डाक-तार द्वारा प्राधिकृत अभिप्रेत है,

(ग) "अतिशेष" से किसी खाते में जमा अतिशेष अभिप्रेत है;

(घ) "शाखा बचत बैंक" से ऐसा शाखा डाक घर अभिप्रेत है जो बचत बैंक के रूप में भी कार्य कर रहा है ;

(ङ) "सावधिक संचयी जमा खाता" से डाकघर बचत (डाक सावधिक संचयी जमा) नियम, 1959 या डाकघर सावधिक संचयी जमा नियम, 1981 के अधीन खोला गया खाता अभिप्रेत है ;

(च) "विभागेतर उप-बचत बैंक" से किसी अंशकालिक कर्मचारी के भार साधन में कोई उप-बचत बैंक अभिप्रेत है;

(छ) "प्रपत्र" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ज) किसी अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति के संबंध में संरक्षक से—

(i) उसका पिता या उसकी माता में से कोई एक; और

(ii) जहां पिता या माता जीवित नहीं है या कार्य करने में समर्थ नहीं है वहां तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन यथास्थिति, अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति की सम्पत्ति की देखरेख करने का हकदार व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) "प्रधान डाकपाल" से किसी प्रधान बचत बैंक का भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसा उप-डाकपाल या सहायक डाकपाल भी है, जिसे प्रधान डाकपाल की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं ;

(झ) "प्रधान बचत बैंक" से ऐसा प्रधान डाकघर अभिप्रेत है जो बचत बैंक के रूप में भी कार्य कर रहा है किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा प्रधान डाक घर नहीं है जिसे महानिदेशक, डाक तार द्वारा उप-बचत बैंक घोषित किया गया है;

(ट) "संयुक्त खाता" से यथास्थिति, दो या तीन वयस्क व्यक्तियों द्वारा उनके नाम में खोला गया खाता अभिप्रेत है;

(ठ) "डाक घर बचत बैंक" से प्रधान बचत बैंक अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उप या शाखा बचत बैंक भी है;

(ड) "विहित" से महानिदेशक डाक-तार द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) "आवर्ती जमा खाता" से डाक घर (आवर्ती जमा) नियम, 1970 या डाक घर आवर्ती जमा नियम, 1981 के अधीन खोला गया खाता अभिप्रेत है ;

(ण) किसी खाते के संबंध में "सुसंगत प्रधान बचत बैंक" से ऐसा प्रधान बचत बैंक अभिप्रेत है जिसमें खाता खुला है या जिसके अधीनस्थ वह बचत बैंक है जिसमें खाता खुला है ;

(त) "सुसंगत नियम" से इन नियमों के अधीन, डाक घर बचत खाता नियम, 1981, डाक घर सावधिक जमा नियम, 1981, डाक घर आवर्ती जमा नियम, 1981 या डाकघर सावधिक संचयी जमा नियम, 1981 के अधीन कोई नियम अभिप्रेत है ;

(थ) किसी खाते के संबंध में, "सुसंगत उप बचत बैंक" से ऐसा उप-बचत बैंक अभिप्रेत है जिसमें खाता खुला है या जिसके अधीनस्थ वह बचत बैंक है जिसमें खाता खुला है।

(द) "बचत खाता" से डाक घर बचत बैंक नियम, 1881 या डाक घर बचत बैंक नियम, 1965 या डाक घर बचत खाता नियम, 1981 के अधीन खोला गया कोई खाता अभिप्रेत है ;

(ध) "बचत पत्र" से सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र अभिप्रेत है ;

(न) "एकल खाता" से किसी व्यष्टिक द्वारा या उसके लिए उसके नाम में खोला गया खाता अभिप्रेत है ;

(प) "उप बचत बैंक" से ऐसा उप डाक घर अभिप्रेत है जो बचत बैंक के रूप में भी कार्य कर रहा है और इसके अन्तर्गत महानिदेशक द्वारा उप बचत बैंक के रूप में घोषित प्रधान डाक घर भी है किन्तु इसके अन्तर्गत विभागेतर उप बचत बैंक नहीं है ;

(फ) "सावधिक जमा खाता" से डाकघर (सावधिक जमा) नियम, 1970 या डाक घर सावधिक जमा नियम, 1981 के अधीन खोला गया कोई खाता अभिप्रेत है ।

3. खाता खोलना :—किसी डाकघर बचत बैंक में कोई खाता खोलने का इच्छुक जमाकर्ता उसे प्ररूप 1 में आवेदन कर सकेगा ।

4. जमा करने का स्थान :—(1) किसी प्रधान बचत बैंक में खुले हुए खाते की दशा में, जमा प्रधान बचत बैंक या उसके किसी उप-बचत बैंक में किया जा सकता है ।

(2) किसी उप बचत बैंक में खुले हुए खाते की दशा में जमा उप बचत बैंक में या सुसंगत प्रधान बचत बैंक में या किसी उप-बचत बैंक में किया जा सकता है ।

(3) किसी शाखा बचत बैंक में खुले हुए खाते की दशा में, जमा शाखा बचत बैंक में या सुसंगत प्रधान बचत बैंक में या सुसंगत उप-बचत बैंक में किया जा सकता है ।

5. जमा करने की पद्धति :—(1) किसी डाक घर बचत बैंक में नगद अथवा बचत स्टाम्पों या भारतीय पोस्टल आर्डरों या ब्रिटिश प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गये पोस्टल आर्डरों का अभ्यर्पण करके जमा किया जा सकेगा और प्रधान बचत बैंक तथा उस बचत बैंक में निम्नलिखित साधनों द्वारा भी जमा किया जा सकेगा :—

(क) जमाकर्ता या डाकपाल के पक्ष में लिखे गए और साधारणतः या विनिर्दिष्टतः यथास्थिति प्रधान बचत बैंक या उस बचत बैंक के पक्ष में आहरित किए गए चैक या ड्राफ्ट द्वारा ;

(ख) संदाय आदेश द्वारा ;

(ग) आयकर प्रतिदिय डाउचर या आयकर प्रतिदाय आदेश द्वारा;

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए ब्याज वारण्ट द्वारा या रक्षा निक्षेप प्रमाण पत्र अथवा किसी वार्षिकी प्रमाणपत्र की किस्त द्वारा ;

(ङ) जमाकर्ता द्वारा धृत किसी खाता या बचत-पत्र पर संदेय किसी रकम के प्रत्याहरण या निर्वहन द्वारा ।

(2) प्रत्येक जमा के साथ विहित रीति से एक जमा पर्ची होगी और जमा पर्ची की प्रति-पर्ची सम्यक रूप से रसीद दिए जाने के पश्चात् रकम जमा करने वाले को वापस कर दी जाएगी ।

(3) डाक घर सावधिक संचयी जमा नियम, 1981 और डाकघर आवर्ती जमा नियम, 1981 में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, चैक या अन्य लिखित द्वारा जमा की गई रकम के किसी खाते में जमा करने की तारीख उसके नगदीकरण की तारीख होगी, प्रस्तुतीकरण की तारीख नहीं ।

(4) जहां किसी अन्तर्स्थित चैक या लिखत द्वारा जमा किया जाता है वहां जमा के साथ विहित दर पर संकलन प्रभार भी संदेय होंगे ।

6. रकम वापस निकालना :—(1) किसी उप-बचत बैंक या शाखा बचत बैंक में के किसी खाते से रकम निधि की उपलब्धता के अधीन रहते हुए निकाली जा सकेगी ।

(2) किसी विभागेतर उप-बचत बैंक या शाखा बचत बैंक से यथास्थिति सुसंगत प्रधान बचत बैंक या सुसंगत उप-बचत बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना विहित रकम की सीमा से अधिक रकम निकालने की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(3) किसी विभागेतर उप-बचत बैंक या शाखा बचत बैंक में खुले हुए किसी खाते के मामले में सुसंगत प्रधान बचत बैंक या सुसंगत उप-बचत बैंक से भी उस सीमा तक रकम निकाली जा सकेगी जितनी कि ऐसे प्रधान या उप-बचत बैंक में उस खाते में वास्तव में जमा है ।

(4) किसी अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति के नाम खोले गए खाते के मामले में जमाकर्ता की अवयस्कता या पागलपन के दौरान,

(क) उसके संरक्षक को, या

(ख) जहां विकृत चित्त का व्यक्ति किसी मानसिक अस्पताल में परिरुद्ध है वहां ऐसे अस्पताल के अधीक्षक को,

निम्नलिखित रूप में एक प्रमाण पत्र देने पर रकम निकालने के लिए अनुज्ञा दी जाएगी :—

"यह प्रमाणित किया जाता है कि निकाले जाने के लिए इप्सित रकम श्री/श्रीमती/कु०————————————————जो अवयस्क है/विकृत चित्त का/की है और आज के दिन जीवित है, के उपभोग के लिए अपेक्षित है ।"

7. जमाकर्ता की पहचान :—नियम 6 के अधीन रकम निकाले जाते समय जमाकर्ता की पहचान सामान्यतः रकम निकालने की लिखत पर के उसके हस्ताक्षरों का डाकघर बचत बैंक में अभिलेख में रखे गए नमूना

हस्ताक्षर के साथ सत्यापन करके की जाएगी और जिन मामलों में यथा पूर्वोक्त पहचान नहीं की जा सकती है उनमें पहचान डाकघर द्वारा जारी किए गए परिचय पत्र के यदि कोई है, आधार पर या किसी अन्य रीति से जो विहित की जाए की जा सकेगी।

8. पास बुक (1) खाता खोलने पर, जमाकर्ता को एक पास बुक दी जाएगी जिसमें उसके खाते की संख्या, उसका नाम, उपजीविका या व्यवसाय, पता और डाकघर बचत बैंक के प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित उसके द्वारा प्रथमबार जमा की गई रकम की प्रविष्टि होगी।

(2) पास बुक को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने की जिम्मेवारी जमाकर्ता की होगी।

(3) यदि जमाकर्ता की सुरक्षित अभिरक्षा में रहने के दौरान पास बुक खो जाती है, चुरा ली जाती है, विनिष्ट हो जाती है या खराब हो जाती है तो उसे एक रुपया फीस का संदाय करने पर और ऐसी जांच करने के पश्चात जिसे करना डाकघर बचत बैंक आवश्यक समझे पास बुक की दूसरी प्रति जारी की जाएगी और प्रधान डाकपाल का यह समाधान हो जाता है कि वे परिस्थितियां जिनमें पास बुक को गयी थी, चुरा ली गई थी, विनिष्ट हो गई थी या खराब हो गई थी, जमाकर्ता के नियंत्रण से परे थी, तो ऐसी कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।

(4) चैक द्वारा रकम निकालने या जमा करने से भिन्न हर बार रकम निकालते या जमा करते समय पास बुक सामान्यतः प्रस्तुत की जाएगी, और उन मामलों में जहां पास बुक प्राप्त किये बिना रकम जमा की जाती है या निकाली जाती है उसमें पास बुक उसके पश्चात् यथा संभव शीघ्र अद्यतन करने के लिए डाकघर बचत बैंक के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(5) जब सम्यक् रूप से पूरी करने के पश्चात् पास बुक वापिस की जाती है तब जमाकर्ता उसमें की भूलों या लोपों को यदि कोई हैं तुरन्त डाकघर बचत बैंक की जानकारी में लाएगा और जमाकर्ता के ऐसा करने में असफल होने की दशा में डाकघर बचत बैंक ऐसी किसी भूल या लोप से उद्भूत किसी हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(6) पास बुक यथासंभव, उसी दिन, जिस दिन वह उपनियम (4) के अधीन प्रस्तुत की जाती है, जमाकर्ता द्वारा डाकघर बचत बैंक से ले ली जाएगी और जहां, किसी भी कारण से पास बुक उसी दिन वापस नहीं की जा सकती है वहां डाक घर बचत बैंक उसके बदले में एक रसीद जारी करेगा और ऐसी रसीद किसी पश्चात्वर्ती तारीख को पास बुक लेते समय जमाकर्ता द्वारा अभ्यर्पित कर दी जाएगी।

(7) डाकघर बचत बैंक उस पास बुक में किसी ऐसी प्रविष्टि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जो उसके प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित नहीं है।

9. खाते का अन्तरण: जमाकर्ता अपने खाते को बिना किसी प्रभार के विहित प्ररूप में आवेदन करके एक डाकघर बचत बैंक से दूसरे डाकघर बचत बैंक को ऐसी शर्तों के जो विहित की जाएं, अधीन रहते हुए अन्तरित करा सकेगा।

10. किसी खाते का संपरिवर्तन किसी खाते से संबंधित सुसंगत नियमों के अधीन रहते हुए यथास्थिति उसके धारक या धारकों द्वारा लिखित रूप में आवेदन किए जाने पर,

(1) किसी वयस्क व्यक्ति के नाम में एकल खाते को मूल जमाकर्ता और अन्य वयस्क के नाम में संयुक्त खाते में संपरिवर्तित किया जा सकता है और दो जमा कर्ताओं के नाम में किसी संयुक्त खाते को संयुक्त जमाकर्ताओं में से किसी एक के नाम में एकल खाते में संपरिवर्तित किया जा सकता है।

(2) बचत बैंक खाते के मामले में

(i) तीन वयस्क व्यक्तियों के नाम में किसी संयुक्त खाते को, जमाकर्ताओं में से किसी एक के नाम में एकल खाते में या दो वयस्क व्यक्तियों के नाम में जिनमें से कम से कम एक व्यक्ति मूल जमाकर्ताओं में से हो, संयुक्त खाते में संपरिवर्तित किया जा सकता है,

(ii) दो वयस्क व्यक्तियों के नाम में किसी संयुक्त खाते को, तीन वयस्क व्यक्तियों के नाम में, जिनमें से कम से कम एक व्यक्ति मूल जमा कर्ताओं में से हो, संयुक्त खाते में संपरिवर्तित किया जा सकता है; और

(iii) किसी वयस्क व्यक्ति के नाम में किसी एकल खाते को तीन वयस्क व्यक्तियों के नाम में जिनमें मूल जमाकर्ता भी सम्मिलित हो, संपरिवर्तित किया जा सकता है।

11. खाता बन्द करने पर अन्तिम रूप से रकम निकालना: सुसंगत नियमों में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय किसी उप या शाखा बचत बैंक से किसी खाते के बन्द करने पर अन्तिम रूप से रकम निकालने की अनुज्ञा, सुसंगत प्रधान बचत बैंक से मंजूरी अभिप्राप्त करने के पश्चात ही दी जाएगी।

12. नामनिर्देशन (1) उपनियम (2) से (7) तक के अधीन रहते हुए एकल खाता खोलने वाला कोई वयस्क व्यक्ति या संयुक्त खाता खोलने वाले दो या तीन व्यस्क व्यक्ति, खाता खोलते समय प्ररूप 1 में आवश्यक विशिष्टियां देकर, किसी ऐसे व्यक्ति या किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट कर सकेगा/सकेंगे जो यथास्थिति जमाकर्ता या सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु हो जाने की दशा में खाते में शोध्य रकम के भुगतान के लिए हकदार होंगे और यदि ऐसे नामनिर्देशन खाता खोलने के समय नहीं किया गया है, तो वह एकल खाते के जमाकर्ता द्वारा या संयुक्त खाते के जमाकर्ताओं द्वारा खाता खोले जाने के पश्चात, किन्तु उसको बन्द करने के पूर्व, किसी भी समय पास बुक के साथ उस डाकघर बचत बैंक को जहां खाता खुला है प्ररूप 2 में आवेदन करके कराया जा सकता है।

(2) किसी अवयस्क या विकृतचित्त व्यक्ति के द्वारा या उसकी ओर से खोले गये या खोले जाने वाले किसी खाते की बाबत नाम निर्देशन नहीं किया जाएगा।

(3) उप नियम (1) के अधीन किया गया नामनिर्देशन एकल खाते के जमाकर्ता द्वारा या किसी संयुक्त खाते के जमाकर्ता या उत्तर जीवी जमाकर्ता या जमाकर्ताओं द्वारा प्ररूप 2 में, उस पर पचास पैसे के मूल्य के डाक टिकट चिपकाकर पास बुक के साथ उस डाकघर बचत बैंक को जहां खाता खुला है या सुसंगत प्रधान बचत बैंक को आवेदन प्रस्तुत करके रद्द किया जा सकेगा या उसमें फेरफार की जा सकेगी।

(4) नामनिर्देशन या किसी नामनिर्देशन के रद्दकरण या उसमें फेरफार का रजिस्ट्रीकरण सुसंगत प्रधान बचत बैंक में कराया जाएगा और रजिस्ट्रीकरण का तथ्य पास बुक में लिया जाएगा और ऐसे रजिस्ट्रीकरण पर यथास्थिति ऐसा नामनिर्देशन या नामनिर्देशन का रद्दकरण या उसमें फेरफार उस तारीख से प्रभावी समझा जाएगा जिस तारीख को वह प्रस्तुत की गयी थी।

(5) नामनिर्देशन शून्य हो जाएगा यदि नामनिर्देशिती की या जहां एक से अधिक नामनिर्देशिती हैं वहां सभी की, जमाकर्ता से पूर्व मृत्यु हो जाती है।

(6) जहां नामनिर्देशिती अवयस्क व्यक्ति है/हैं वहां नामनिर्देशन करने वाला/वाले जमाकर्ता, यथास्थिति, प्ररूप 1 या प्ररूप 2 में आवश्यक विशिष्टियां देकर नामनिर्देशिती की अवयस्कता के दौरान यथास्थिति जमाकर्ता या जमाकर्ताओं की मृत्यु होने की दशा में, खाते में शोध्य रकम का संदाय प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा/सकेंगे।

(7) जहां खाता किसी व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से गिरवीदार के रूप में या किसी प्रयोजन के लिए प्रतिभूति के तौर पर धृत है वहां ऐसा धारण करना किसी नाम निर्देशन को रद्द करने वाला नहीं होगा किन्तु नाम निर्देशिती या नामनिर्देशितियों का अधिकार उस प्रकार खाता धारण करने वाले व्यक्ति के अधिकार के अधीन रहते हुए होगा।

स्पष्टीकरण : इस नियम और नियम 13 में 'एकल खाता' के अंतर्गत पेंशन खाता और प्रतिभूति जमा खाता है और 'संयुक्त खाता' के अंतर्गत प्रतिभूति जमा खाता है ।

13. जमाकर्ता की मृत्यु पर संदाय.(1) किसी एकल खाता के जमाकर्ता की या किसी संयुक्त खाता के जमाकर्ताओं की मृत्यु हो जाने की दशा में खाते में शोध्य रकम, उपनियम (2)—(5) तक में यथाविनिर्दिष्ट रूप में संदेय हो जाएगी ।

2(क) यदि नियम 12 के अधीन किया गया नामनिर्देशन एकल खाता के जमाकर्ता या किसी संयुक्त खाते की दशा में उत्तरजीवी जमाकर्ता की मृत्यु के समय प्रवृत्त है तो ऐसे जमाकर्ता का/के उत्तरजीवी नामनिर्देशिती विहित रीति में सुसंगत प्रधान बचत बैंक को खाते में शोध्य रकम के संदाय के लिए आवेदन कर सकेगा/सकेंगे और ऐसे आवेदन के साथ, यथास्थिति, जमाकर्ता या जमाकर्ताओं की मृत्यु का सबूत, और जहां किसी अन्य नाम निर्देशिती की जमाकर्ता के पूर्व मृत्यु हो गई हो तो वहां ऐसे नामनिर्देशिती की मृत्यु का सबूत भी होगा ।

(ख) यदि केवल एक ही उत्तरजीवी नाम निर्देशिती हो तो यथा पूर्वोक्त उसके द्वारा आवेदन किये जाने पर खाते में शोध्य रकम उसे संदेय हो जाएगी ।

(ग) यदि दो या अधिक उत्तरजीवी नामनिर्देशिती हैं तो यथा-पूर्वोक्त आवेदन, या तो उनके द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा जिस स्थिति में खाते में शोध्य रकम उन्हें संयुक्त रूप से संदेय होगी या उनमें से प्रत्येक द्वारा पृथक-पृथक रूप से किया जाएगा जिस स्थिति में ऐसा नाम-निर्देशिती खाते में शोध्य रकम का बराबर हिस्सा प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(3) जहां उत्तरजीवी नामनिर्देशिती अवयस्क व्यक्ति है वहां उपनियम (2) के अधीन संदाय उस व्यक्ति को जो नियम 12 के उप-नियम 6 के अधीन ऐसा संदाय प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया गया है और यदि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो अवयस्क व्यक्ति के संरक्षक को, किया जाएगा ।

(4) (क) यदि नियम 12 के अधीन किया गया कोई नामनिर्देशन, एकलखाता के जमाकर्ता की या किसी संयुक्त खाता की दशा में किसी उत्तरजीवी जमाकर्ता की मृत्यु के समय प्रवृत्त नहीं है तो ऐसे जमाकर्ता का विधिक वारिस किसी भी समय विहित रीति में सुसंगत प्रधान बचत बैंक को खाते शोध्य रकम के संदाय के लिए आवेदन कर सकेगा और ऐसे आवेदन के साथ आवेदक की विधिक वारिसी के दावे के अनुसमर्थन में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के अधीन उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या बिल का प्रोबेट या प्रशासन पत्र भी दिया जाएगा ।

(ख) प्रधान डाकपाल, प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की अधिप्रमाणिकता का सत्यापन करने के पश्चात आवेदक को खाते में शोध्य रकम का संदाय कर सकेगा ।

14. थल सेना, वायु सेना और जल सेना कार्मिक द्वारा धृत किसी खाते में जमा रकम का संदाय : नियम, 12 और 13 में किसी बात के होते हुए भी जहां थल सेना, वायु सेना या जल सेना में सेवा कर रहे खाता धारक की मृत्यु हो जाती है या वह अभित्याग कर देता है वहां उस कोर, विभाग, टुकड़ी, यूनिट या जलयान का, जिससे खाता व धारक संबंधित था यथास्थिति, समादेष्टा आफिसर या समायोजन समिति उस डाकघर बचत बैंक के, जहां खाता खुला है भारसाधक अधिकारी को खाते में शोध्य रकम का समादेष्टा आफिसर या समायोजना समिति को संदाय करने के लिए एक अध्यादेश भेजेगा और डाकघर बचत बैंक का भारसाधक अधिकारी ऐसी अध्यापेक्षा का पालन करने के लिए बाध्य होगा भले ही खाता धारक की मृत्यु या अभित्याग के समय किसी व्यक्ति के पक्ष में किया गया नामनिर्देशन प्रवृत्त रहे ।

स्पष्टीकरण : उपयुक्त अध्यापेक्षा, सेना या वायु सेना के व्यक्ति की दशा में सेना और वायु सेना (प्राइवेट संपत्ति का अध्ययन) अधिनियम, 1950 (1950 का 40) की धारा 3 या धारा 4 के अधीन या जल सेना के व्यक्ति की दशा में, नौ सेना अधिनियम, 1957 (1957 की 62) की धारा 171 या धारा 172 के अधीन की जानी चाहिए ।

15. बचत बैंक का दायित्व : डाकघर बचत बैंक—(क) जमाकर्ता के प्रति किसी व्यक्ति द्वारा पास बुक या जमाकर्ता की चेकबुक से चैक का कब्जा अभिप्राप्त करके किसी कपटपूर्वक निकाली गई रकम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ;

(ख) यदि जमाकर्ता के यह सुनिश्चित करने में असफल रहने के कारण कि निकालने के लिए अपेक्षित रकम निकाले जाने के लिए उसके द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित आवेदनपत्र डाकघर बचत बैंक में उसे प्रस्तुत किए जाने या भेजे जाने के पूर्व प्रविष्टि की गई है, कोई कपट होता है तो दायी नहीं होगा ;

(ग) जमाकर्ता के प्रतिदायी नहीं होगा यदि वह, या उसके अभिकर्ता द्वारा रकम निकाले जाने का आवेदन प्रस्तुत किए जाने की दशा मे, उसका अभिकर्ता यह सुनिश्चित करने मे असफल रहता है कि यथास्थिति, उसके या अभिकर्ता द्वारा वास्तविक संदाय के समय पर ही संदाय की प्राप्ति पर हस्ताक्षर किए जाते हैं रकम निकालने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय नहीं ।

16. गलती से खोले गए खाते : (1) जहां यह पाया जाता है कि जमाकर्ता द्वारा आवेदन किए गए प्रवर्ग से भिन्न किसी प्रवर्ग के अधीन गलती से खाता खोला गया है वहां वह खाता आवेदन किए गए प्रवर्ग के खाते के रूप मे समझा जाएगा यदि जमाकर्ता आवेदन की तारीख को ऐसा खाता खोलने के लिए पात्र था और यदि वह इस प्रकार पात्र नहीं था तो खाता, यदि वह ऐसा चाहता है तो आदित दूसरे प्रवर्ग के खाते में यदि वह आवेदन की तारीख को ऐसे प्रवर्ग या खाता खोलने के लिए पात्र था संपरिवर्तित किया जा सकेगा ।

(2) उन मामलों मे जहां खाता इस प्रकार संपरिवर्तित नहीं किया जा सकता, सुसंगत प्रधान बचत बैंक किसी भी समय, खाता बंद करवा देगा और खाते मे जमा की गई रकम उस प्रकार के बचत बैंक खाते के लिए जिस के लिए जमाकर्ता पात्र है समय-समय पर लागू दर पर ब्याज सहित जमाकर्ता को वापस कर देगा ।

17. नियमों के उल्लंघन मे खोले गए खाते : नियम 16 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां यह पाया जाता है कि कोई खाता तत्समय प्रवृत्त और डाकघर बचत बैंक मे खोले गए खातों को लागू किसी सुसंगत नियम के उल्लंघन मे खोला गया है वहां सुसंगत प्रधान बचत बैंक किसी भी समय, खाते को बन्द करवा देगा और खाते में जमा की गई रकम बिना ब्याज के जमाकर्ता को वापस कर देगा ।

18. अधिक संदत्त रकम की वसूली : प्रधान बचत बैंक अधिक संदत्त किसी ब्याज या अन्य रकम को उसी रीति में वसूल करने के लिए सक्षम होगा मानो वह भूराजस्व का बकाया हो ।

19. निर्वचन : यदि किसी सुसंगत नियम के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसे विनिश्चय के लिए केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

20. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी सुसंगत नियम के प्रवर्तन से किसी खाते के जमाकर्ता या जमाकर्ताओं को असम्यक् कष्ट होता है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, उस उपबंध की अपेक्षाओं को ऐसी रीति मे शिथिल कर सकेगी जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों ।

प्रकप 1

नियम 3 और 12(1) तथा (6) देखिए

डाकघर बचत बैंक

खाता खोलने के लिए आवेदन

डाक घर का नाम खाता सं०

1. कृपया

श्री (1) (2) (3)

(नाम और पता/पते)

के नाम में एक बचत सा० सं० ज० / आ० ज० सावधिक जमा खाता

अंकित मूल्य 1/2/3/4/5 खोले

वर्ष

†† यदि अवयस्क व्यक्ति है तो जन्म की तारीख .....

अवयस्कता की तारीख ..... आवेदक के साथ

संबंध .....

2. परिचायक का/के (1) नाम और पता .....

(2) हस्ताक्षर

† 3 खाता संयुक्त/पृथक पृथक प्रवर्तित किया जाएगा ।

† मैं/हम किसी भी समय सुसंगत नियम में विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर अपने सभी एकल या संयुक्त बचत बैंक/सा० सं० ज० खातों में अभिशेष बनाए रखने का और डाकघर बचत बैंक से मांग किए जाने पर ऐसे सभी खातों की विशिष्टियां भी देने का वचन देता हूं/देते हैं ।

5. मैं/हम केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे नियमों का पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं जो समय समय पर खाते को लागू हों ।

6. मैं/हम सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 4 के अधीन नीचे व्यक्ति (व्यक्तियों) को अपनी मृत्यु हो जाने की दशा में खाते में जमा रकम के लिए एकमात्र प्राप्तिकर्ता (प्राप्तिकर्ताओं के रूप में) नामनिर्दिष्ट करता हूं/करते हैं ।

नाम निर्देशिती का नाम और पता — यदि नामनिर्देशिती अवयस्क व्यक्ति है तो

उसकी जन्म की तारीख — उस व्यक्ति का नाम और पता जो नाम निर्देशिती की अवयस्कता के दौरान उक्त रकम प्राप्त कर सकेगा ।

@ नाम निर्देशिती (नाम निर्देशितियों) का/के नाम (नामों) की प्रविष्टि पास बुक में न की जाए ।

साक्षी हस्ताक्षर

नाम और पता

7. नमूना-हस्ताक्षर

नाम	नमूना हस्ताक्षर		
	(1)	(2)	(3)
(1)			
(2)			
(3)			

†† जो भाग लागू न हो, काट दें ।

† चैक की सुविधा वाले बचत बैंक खातों की दशा में ही भरा जाए ।

@ यदि अपेक्षित न हो तो काट दें ।

प्ररूप 2

नियम 12 (1), (3) और (6) देखिए

.....डाकघर बचत बैंक, नाम निर्देशन या नामनिर्देशन के रद्दकरण या उसमें परिवर्तन के लिए

आवेदन

डाक घर का नाम खाता सं०

† मैं/हम जो बचत/सावधिक संचयी जमा/आवर्ती जमा/1/2/3/5 वर्ष सावधिक जमा खाता संख्या.....का/के जमाकर्ता हूं/हैं इसके द्वारा सरकारी बचत बैंक अधिनियम 1873 की धारा 4 के अधीन नीचे नामित व्यक्ति (व्यक्तियों) को उक्त खाते में जमा रकम के लिए एकमात्र प्राप्तकर्ता (प्राप्तकर्ताओं) के रूप में नाम निदिष्ट करता हूं/करते हैं ।

नाम निर्देशिती का नाम और पता यदि नामनिर्देशिती अवयस्क व्यक्ति है तो

उसके जन्म की तारीख,

उस व्यक्ति का नाम और पता जो नाम निर्देशिती की अवयस्कता के दौरान उक्त रकम प्राप्त कर सकेगा ।

* नाम निर्देशिती (नाम निर्देशितियों) का/के नाम (नामों) की प्रविष्टि पास बुक में न की जाए ।

£ 2. यह नाम निर्देशन उक्त खाते की बाबत किए गए पूर्ववर्ती नाम निर्देशन को, जो सं०.....तारीख.....के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत है, अधिक्रान्त करता है ।

@ 3. उक्त खाते की बाबत कोई नाम निर्देशन पहले नहीं किया गया है, जो प्रवृत्त हो ।

† 4. मैं/हम जो बचत/सावधिक संचयी जमा/आवर्ती जमा/1/2/3/5 वर्ष सावधिक जमा खाता सं०.....का/के जमाकर्ता हूं/हैं इसके द्वारा उक्त खाते की बाबत, जो सं०.....तारीख.....के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत है, किया गया नामनिर्देशन रद्द करता हूं ।

शाखा डाकपाल के हस्ताक्षर आवेदक (आवेदन कर्ता) के हस्ताक्षर या यदि वह (वे) निरक्षर है (हैं) तो उसका (उनके) अंगूठा निशान

तारीख स्टाम्प

उप डाकपाल के हस्ताक्षर

तारीख स्टाम्प

प्रधान डाक पाल तारीख स्टाम्प

$यदि नामनिर्देशन अपेक्षित नहीं है तो काट दें ।

£यदि कोई पूर्ववर्ती नाम निर्देशन प्रवृत्त नहीं है तो काट दें ।

@यदि पूर्ववर्ती नाम निर्देशन, प्रवृत्त है तो काट दें ।

†यदि नामनिर्देशन या उसमें परिवर्तन अपेक्षित है तो काट दें ।

$यदि अपेक्षित नहीं है तो काट दें ।

[फा० सं० 3/15/81 एन०एस० (i)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 17th December, 1981

G.S.R. 662(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873) the Central Government hereby makes the following rules, namely.—

1. Short title, application and commencement.—(1) These rules may be called the Post Office Savings Bank General Rules, 1981.

(2) They shall be applicable to the following accounts in the Post Office Savings Bank, namely :—

(a) Savings Account.

(b) Cumulative Time Deposit Account.

(c) Recurring Deposit Account.

(d) Time Deposit Account.

(3) They shall come into force on the 1st day of April, 1982.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires.—

(a) "account" means a Savings Account, a Cumulative Time Deposit Account, a Recurring Deposit Account or a Time Deposit Account;

(b) "authorised" means authorised by the Director General, Posts and Telegraphs;

(c) "balance" means the balance at credit of an account;

(d) "Branch Savings Bank" means a Branch Post Office which is functioning also as a Savings Bank ;

(e) "Cumulative Time Deposit Account" means an account opened under the Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposit) Rules, 1959 or under the Post Office Cumulative Time Deposit Rules, 1981 ;

(f) "Extra Departmental Sub Savings Bank" means a Sub Savings Bank in charge of a part-time employee ;

(g) "Form" means a form appended to these rules :

(h) "guardian" in relation to a minor or a person of unsound mind means —

(i) either father or mother ; and

(ii) where neither parent is alive or is capable of acting, a person entitled under the law for the time being in force to have the care of the property of the minor, or as the case may be, the person of unsound mind ;

(i) "Head Postmaster" means an officer in charge of a Head Saving Bank and includes a Deputy Postmaster or an Assistant Postmaster to whom the powers of the Head Postmaster have been delegated ;

(j) "Head Saving Bank" means a Head Post Office which is functioning also a Savings Bank but does not include a Head Post Office declared by the Director General, Posts and Telegraphs to be Sub Savings Bank :

(k) "joint account" means an account opened by two adults or three adults, as the case may be, in their names ;

(l) "Post Office Savings Bank" means a Head Savings Bank and includes a Sub or Branch Savings Bank;

(m) "prescribed" means prescribed by the Director General, Posts and Telegraphs ;

(n) "Recurring Deposit Account" means an account opened under the Post Office (Recurring Deposits) Rules, 1970 or under the Post Office Recurring Deposit Rules, 1981 ;

(o) "Relevant Head Savings Bank", in relation to an account, means the Head Savings Bank in which the account stands or to which the Savings Bank where the account stands, is subordinate ;

(p) "relevant rule" means a rule under these rules, the Post Office Savings Account Rules, 1981, the Post Office Time Deposit Rules, 1981, the Post Office Recurring Deposit Rules, 1981 or the Post Office Cumulative Time Deposit Rules, 1981 ;

(q) "relevant Sub Savings Bank", in relation to an account, means the Sub Savings Bank in which the account stands or to which the Savings Bank where the account stands is subordinate;

(r) "Savings Account" means an account opened under the Post Office Savings Bank Rules, 1881, or under the Post Office Savings Banks Rules, 1965, or under the Post Office Savings Account Rules, 1981;

(s) "Savings Certificate" means a certificate issued under the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959);

(t) "single account" means an account opened by or on behalf of an individual person in his name ;

(u) "Sub Savings Bank" means a Sub-Post Office which is functioning also as a Savings Bank and includes a Head Post Office declared by the Director General to be a Sub Savings Banks, but does not include an Extra-Departmental Sub Savings Bank ;

(v) "Time Deposit Account" means an account opened under Post Office (Time Deposits) Rules, 1970 or under the Post Office Time Deposit Rules, 1981.

3. Opening of an account.—A depositor desiring to open an account in a Post Office Savings Bank may make an application to it in Form 1.

4. Place of deposit.—(1) In the case of an account standing at a Head Savings Bank, a deposit may be made at the Head Savings Bank or at any of its Sub Savings Banks.

(2) In the case of an account standing at a Sub Savings Bank, a deposit may be made at the Sub Savings Bank or at the relevant Head Savings Bank or at any of it Sub-Savings Banks.

(3) In the case of an account standing at a Branch Savings Bank, a deposit may be made at the Branch Savings Bank or at the relevant Head Savings Bank or relevant Sub Savings Bank.

5. Mode of deposit.—(1) Deposit in a Post Office Savings Bank may be made in cash or by surrender of Savings Stamps or Indian Postal Orders or Postal Orders issued by British authorities and deposit in Head Savings Bank and Sub Savings Bank may also be made by means of—

(a) a cheque or a demand draft drawn in favour of the depositor or the Postmaster and crossed generally or specially in favour of the Head Savings Bank or the Sub Savings Bank, as the case may be;

(b) a pay order ;

(c) an income tax refund voucher or income tax refund orders ;

(d) an interest warrant issued by the Reserve Bank of India or a Defence Deposit Certificate or instalment of an Annuity Certificate;

(e) withdrawal or discharge of any amount payable on an account or savings certificate held by the depositor.

(2) Each deposit shall be accompanied by a pay-in-slip in the manner prescribed and the counterfoil of the pay-in-slip shall be returned to the tenderer duly receipted.

(3) Except as specified in the Post Office Cumulative Time Deposit Rules, 1981 and the Post Office Recurring Deposit Rules, 1981, the date of credit in an account of money deposited by cheque or other instrument shall be the date of its encashment and not the date of its presentation. tation.

(4) Where a deposit is made by means of an outstation cheque or instrument, collection charges at the prescribed rate shall be payable along with the deposit.

6. Withdrawal.—(1) Withdrawal from an account at a Sub-Savings Bank or Branch Savings Bank is subject to the availability of funds.

(2) No withdrawal except to the extent of the amount prescribed shall be allowed from an Extra Departmental Sub Savings Bank or a Branch Savings Bank without prior sanction of the relevant Head Savings Bank or the relevant Sub Savings Bank, as the case may be.

(3) In the case of an account standing at an Extra Departmental Sub Savings Bank or a Branch Savings Bank, withdrawal may also be made from the relevant Head Savings Bank or the relevant Sub Savings Bank to the extent of the amount actually credited to the account in such Head or Sub Savings Bank.

(4) In the case of an account opened on behalf of a minor or a person of unsound mind, a withdrawal during the minority or lunacy of the depositor shall be permitted on—

(a) the guardian, or

(b) where the person of unsound mind is confined in a mental hospital, the superintendent of such hospital,

furnishing a certificate in the following form :—

"Certified that the amount sought to be withdrawn is required for the use of Shri/Smt./Km.———— who is a minor/a person of unsound mind and is alive this day".

7. Identification of the depositor.—Identification of a depositor at the time of withdrawal under rule 6 shall ordinarily be made by verification of his signature appearing on the instrument of withdrawal with his specimen signature kept on record in the Post Office Savings Bank and in cases where identification cannot be done as aforesaid, it may be done on the basis of identity card, if any, issued to him by the Post Office or in such other manner as may be prescribed.

8. Pass Book.—(1) On opening an account, the depositor shall be given a pass book bearing the number of his account, his name, occupation or profession, address and entry of his first deposit duly initialled by an authorised official of the post office Savings Bank.

(2) It shall be the responsibility of the depositor to keep the pass book in safe custody.

(3) If the pass book is lost, stolen, destroyed or spoilt while in custody of the depositor, he shall be issued a duplicate pass book on his paying a fee of two rupees and on completion of such enquiries as the Post Office Savings Bank may consider necessary and no such fee shall be charged if the Head Postmaster is satisfied that the circumstances in which the pass book was lost, stolen, destroyed or spoilt were beyond the control of the depositor.

(4) The pass book shall ordinarily be presented for all withdrawals and deposits, other than those made by a cheque, and in cases where a deposit or withdrawal is made without production of the pass book, the pass book shall be presented to the Post Office Savings Bank as soon as possible thereafter for bringing it uptodate.

(5) When the pass book is returned duly completed, the depositor shall bring the errors or omissions therein, if any, to the notice of the Post Office Savings Bank forthwith and in the event of the depositor's failure to do so, the Post Office Savings Bank shall not be responsible for any loss arising from such errors or omissions.

(6) The pass book shall, as far as possible, be collected from the Post Office Savings Bank by the depositor on the same day on which it is presented to it under sub-rule (4) and where, for any reason, the pass book cannot be returned on the same day, the Post Office Savings Bank shall issue a receipt in lieu thereof and such receipt shall be surrendered by the depositor at the time of collecting the pass book on a subsequent date.

(7) The Post Office Savings Bank shall not be responsible for any entries in the pass book not authenticated under the initials of its authorised official.

9. Transfer of an account.—A depositor may have his account transferred from one Post Office Savings Bank to another Post Office Savings Bank free of charge by making an application in the prescribed form subject to such conditions as may be prescribed.

10. Conversion of an account.—Subject to the provisions of the relevant rules relating to an account, or a written application being made by its holder or holders, as the case may be—

(1) a single account in the name of an adult may be converted into a joint account in the name of the original depositor and another adult and a joint account in the names of two depositors may be converted into a single account in the name of one of the joint depositors.

(2) in the case of a savings account,—

(i) a joint account in the names of three adults may be converted into a single account in the name of one of the depositors or into a joint account in the names of two adults including at least one of the original depositors;

(ii) a joint account in the names of two adults may be converted into a joint account in the names of three adults, including at least one of the original depositors ; and

(iii) a single account in the name of an adult may be converted into a joint accounut in the names of three adults including the original depositor.

11. Final withdrawal on closure.—Except as otherwise provided in the relevant rules, final withdrawal on closure of an account at a Sub or Branch Savings Bank shall be allowed only after obtaining the sanction of the relevant Head Savings Bank.

12. Nomination.—(1) Subject to the provisions of sub-rules (2) to (7), an adult opening a single account or two adults or three adults opening a joint account, may by furnishing the necessary particulars in Form 1 at the time of opening the account, nominate any person or persons who in the event of death of the depositor or all the depositors, as the case may be, shall become entitled to payment of the amount due on the account and if such nomination is not made at the time of opening the account, it may be made by the depositor of a single account or by the depositors or the surviving depositor or depositors of a joint account, at any time after the opening of the account but before its closure, by means of an application in Form 2, accompanied by the pass book, to the Post Office Savings Bank where the account stands.

(2) No nomination shall be made in respect of an account opened or to be opened by or on behalf of a minor or a person of unsound mind.

(3) A nomination made under sub-rule (1) may be cancelled or varied by the depositor of a single account or by the depositors or the surviving depositor or depositors of a joint account, by submitting an application in Form 2, affixing postage stamps of the value of one rupee to it, together with the pass book to the Post Office Savings Bank where the account stands or to the relevant Head Savings Bank.

(4) The nomination or the cancellation or variation of a nomination shall be registered in the relevant Head Savings Bank and the fact of registration shall be noted in the pass book and on such registration, the nomination or cancellation or variation of nomination, as the case may be, shall be deemed to be effective from the date on which it was presented.

(5) A nomination shall become void if the nominee predeceases, or where there are two or more nominees, all the nominees predecease, the depositor.

(6) Where any nominee is a minor, the depositor or depositors making the nomination may, by furnishing the necessary particulars in Form 1 or Form 2, as the case may be, appoint the person to receive payment of the amount due on the account in the event of death of the depositor or depositors, as the case may be, during the minority of the nominee.

(7) Where an account is held by or on behalf of any person as a pledgee or by way of security for any purpose such holding shall not have the effect of cancelling a nomination but the right of the nominee or nominees shall be subject to the right of the person so holding the account.

Explanation.—In this rule and in rule 13, "single account" includes a pension account and a security deposit account and "joint account" includes a security deposit account.

13. Payment on death of depositor.—(1) In the event of death of the depositor of a single account or of all the depositors of a joint account, the amount due on the account shall be payable as specified in sub-rules (2) to (5).

(2)(a) If a nomination made under rule 12 is in force at the time of death of the depositor of a single account or the surviving depositor in the case of a joint account, the nominee or nominees surviving such depositor may make an application in the manner prescribed to the relevant Head Savings Bank for payment of the amount due on the account and such application shall be accompanied by proof of death, of the depositor or depositors, as the case may be, and, where any other nominee has predeceased the depositor, by proof of death of such nominee.

(b) If there is only one surviving nominee, the amount due on the account shall on his making an application as aforesaid, be payable to him.

(c) If there are two or more surviving nominees, the application as aforesaid may either be made by them jointly in which case the amount due on the account shall be payable to them jointly, or be made by each one of them separately in which case each such nominee applicant shall be entitled to receive an equal share of the amount due on the account.

(3) Where the surviving nominee is a minor, the payment under sub-rule (2) shall be made to the person appointed under sub-rule (6) of rule 12 to receive such payment and, if there is no such person, to the guardian of the minor.

(4) (a) If there is no nomination made under rule 12 which force at the time of death of the depositor of a single account or of the surviving depositor in the case of a joint account, the legal heir of such depositor may at any time

make an application in the manner prescribed to the relevant Head Savings Bank for payment of the amount due on the account and such application shall be accompanied by a succession certificate under the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) or a probate of will or a letter of administration in support of claim to legal heirship of the applicant.

(b) The Head Postmaster, after verification of the authenticity of the documents produced, may make payment of the amount due on the account to the applicant.

14. Payment of amount at credit in an account held by Army, Air Force and Navy Personnel.—Notwithstanding anything contained in rules 12 and 13, where an account holder serving in the Army, Air Force or Navy, dies or deserts, the Commanding Officer of the Corps, department, detachment, unit or ship to which the account holder belonged, or the Committee of Adjustment, as the case may be, may send a requisition to the officer in charge of the Post Office Savings Bank where the account stands for payment of the amount due on the account to the Commanding Officer or the Committee of Adjustment; and the Officer in charge of the Post Office Savings Bank shall be bound to comply with such requisition even though there is in force at the time of death or desertion of the account holder a nomination made in favour of any person.

EXPLANATION : The aforesaid requisition must be made under section 3 or section 4 of the Army and Air Force (Disposal of Private Property) Act, 1950 (40 of 1950) in the case of a person belonging to the Army or the Air Force, or under Section 171 or section 172 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957) in the case of a person belonging to the Navy.

15. Responsibility of the Savings Bank.—The Post Office Savings Bank shall not be—

(a) responsible to a depositor for any fraudulent withdrawal by a person obtaining possession of the pass book or a cheque from the cheque book of the depositor;

(b) liable if any fraud takes place due to failure of the depositor to ensure that the amount sought to be withdrawn is entered in the application for withdrawal before the same is presented at or sent duly signed by him to the Post Office Savings Bank for withdrawal;

(c) resposible to a depositor, if he or, in case the withdrawal form is presented by his agent, the agent, fails to ensure that the receipt for the payment is signed by him or the agent, as the case may be, only at the time of actual payment and not at the time of presentation of the application for withdrawal.

16. Accounts opened incorrectly.—(1) Where an account is found to have been opened incorrectly under a category other than the one applied for by the depositor, it shall be deemed to be an account of the category applied for if he was eligible to open such account on the date of his application and if he was not so eligible, the account may, if he so desires, be converted into an account of another category ab initio, if he was eligible to open an account of such category on the date of his application.

(2) In cases where the account cannot be so converted, the relevant Head Savings Bank may, at any time, cause the account to be closed and the deposits made in the account refunded to the depositor with interest at the rate applicable from time to time to a savings account of the type for which the depositor is eligible.

17. Accounts opened in contravention of rules.—Subject to the provisions of rule 16, where an account is found to have been opened in contravention of any relevant rule for the time being in force and applicable to the accounts kept in the Post Office Savings Bank, the relevant Head Savings Bank may, at any time, cause the account to be closed and the deposits made in the account refunded to the depositor without interest.

18. Recovery of amount paid in excess.—The Head Savings Bank shall be competent to recover any interest or any other amount paid in excess in the same manner as an arrear of land revenue.

19. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of any relevant rule, it shall be referred to the Central Government for a decision.

20. Power to relax.—Where the Central Government is satisfied that the operation of any relevant rule causes undue hardship to the depositor or depositors of an account, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax the requirements of that provision in a manner not inconsistent with the provisions of the Act.

FORM 1

[See rules 3 and 12(1) and (6)]

POST OFFICE SAVINGS BANK

APPLICATION FOR OPENING AN ACCOUNT

Name of Post Office ..... Account No. .....

1. Please open a *

SAVINGS	CID/RD Denomination Rs.	TIME DEPOSIT 1/2/3/5/Year	Account

in the name(s) of :

Name(s) and address(es) ** (i) .....

.....

* (ii) .....

.....

* (iii) .....

.....

* Strike out portions not applicable.

** If minor, date of birth.....date of maturity.....applicant's relationship.....

£2. Introducer's (i) name and address .....

.....

.....

(ii) Signature .....

*3. The account will be operated [JOINTLY/SEVERALLY]

*4. I/We hereby undertake to keep the balances in all my/our SAVINGS/CTD accounts, single or joint at any time within the limit specified in the relevant rule, and also to furnish, upon demand from the Post Office Savings Bank, particulars of all such accounts.

5. I/We agree to abide by such rules framed by the Central Government as may be applicable to the account from time to time.

6. I/We nominate the person(s) named below, under section 4 of the Government Savings Bank Act, 1873 (5 of 1873), to be the sole recipient(s) in the event of my/our death, of the amount standing at the credit of the account.

Name and address of nominee	If nominee is minor	
	Date of birth	Name and address of person who may receive the said amount during the minority of nominee.
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

*The name(s) of nominee(s) may not be entered in the pass book.

Witness : Signature.....

Name and address .....

.....

7. Specimen signatures :

Name	Specimen signatures		
	(I)	(II)	(III)
(i)			
(ii)			
(iii)			

Signature of

Branch Postmaster

Date Stamp :

Sub Postmaster

Date Stamp

Signature(s) or
Thumb impression, if illiterate,
of applicant(s)

Head Postmaster

Date Stamp.

£ To be filled only for SAVINGS account with cheque facility.

* Strike out portions not applicable.

FORM 2

[See rule 12(1), (3) and (6)]

POST OFFICE SAVINGS BANK

APPLICATION FOR NOMINATION OR CANCELLATION OR VARIATION OF NOMINATION

Name of Post Office ..... Account No. .....

*I/we the depositor(s) of savings/Cumulative time deposit/recurring deposit/1/2/3/5-year tim e deposit account No. ....., hereby nominate the person(s) named below, under section 4 of the Government Savings Banks Act, 1873, to be the sole recipient(s) of the amount standing at the credit of the said account.

Name and address of nominee	If nominee is minor	
	Date of birth	Name and address of person who may receive the said amount during the nominee's minority
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

*$ The a name(s) of nominee(s) may not be entered in the pass book.

*£ 2. This nomination supersedes the previous nomination made in respect of the said account which stands registered under no. .....on.....(date).

*@3. No nomination has been previously made in respect of the said account which is in force.

@ 4. I/we, the depositor(s) of savings/cumulative time deposit/recurring deposite/1/2/3/5-year time deposit account No. ..... hereby cancel the nomination made in respect of the said account which stands registered under no. .....on. .....(date).

5. The pass book for the account is enclosed.

Signature(s) or thumb impression, if illiterate and name(s) of depositor(s).

Witness : Signature :

Name and address .....

.....

.....

Signature of :

Branch Postmaster

Date Stamp

Sub Postmaster

Date Stamp.

Head Postmaster

Date Stamp

* Strike out if no nomination is required.

£ Strike out if no previous nomination is in force.

@Strike out if a previous nomination is in force.

+ Strike out if nomination or variation thereof is required.

$ Strike out if not required.

[F. No. 3/15/81-NS(i)]

सा० का० नि० 663(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर बचत खाता नियम, 1981 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 1982 को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "खाता" से बचत खाता अभिप्रेत है ;

(ख) "सरकारी कम्पनी" से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथापरिभाषित सरकारी कम्पनी अभिप्रेत है ;

(ग) "स्थानीय प्राधिकारी" से कोई ऐसी पंचायत, जिला बोर्ड, नगरपालिका समिति (चाहे वे नियम, नगरपालिका या किसी अन्य नाम से ज्ञात हों), पत्तन आयुक्त का निकाय या अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है जो किसी नगरपालिय या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबन्ध के लिए वैध रूपेण हकदार है अथवा सरकार द्वारा न्यस्त है ।

(घ) "भविष्य निधि" से

(i) वह भविष्य निधि अभिप्रेत है जिसे भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) के उपबन्ध लागू होते हैं ।

(ii) आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (38) के अर्थ के अन्तर्गत कोई मान्यताप्राप्त भविष्य निधि या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई भविष्य निधि अभिप्रेत है ;

(च) "संचायक" से वह बचत बैंक अभिप्रेत है जो विद्यालय या महाविद्यालय के विद्यार्थियों की बचत का संग्रहण करने के लिए किसी विद्यालय या महाविद्यालय में चलाया जाता है ;

(छ) "वर्ष" से 1 अप्रैल से प्रारम्भ होने वाला वर्ष अभिप्रेत है ।

(ज) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु डाकघर बचत बैंक साधारण नियम 1981 में, परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे जो उनके उन नियमों में हैं ।

3. डाकघर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 का लागू होना ।

ऐसे विषयों के लिए जिनके लिए इन नियमों में उपबन्ध नहीं किया गया है, डाकघर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 के उपबन्ध लागू होंगे ।

4. बचत खातों के प्रकार और उनसे सम्बन्धित विषय ।

खातों के प्रकार ऐसे व्यक्ति जो ऐसे खाते खोल सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं, अधिकतम राशि जो खाते में जमा की जा सकती है और उससे संबंधित अन्य विषय वे होंगे जो नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट हैं, अर्थात् :—

सारणी

खाते का प्रकार	कौन खाता खोल सकता है	अधिनियम अतिशेष जिसमें चालू वर्ष का ब्याज नहीं है	खोले जा सकने वाले खातों की संख्या	खाता कौन चला सकता है
1	2	3	4	5
1. एकल खाता	(क) ऐसा व्यक्ति जिसने व्यस्कता की आयु प्राप्त कर ली है और स्वस्थचित्त है (जिसे इसमें इसके पश्चात वयस्क कहा गया है) ।	एक खाते में या सब खातों को मिलाकर, यदि जमाकर्ता के एक से अधिक खाते हैं, 25,000 रुपए ।	खातों की कोई संख्या, किन्तु एक डाकघर बचत बैंक में एक से अधिक खाता नहीं ।	वयस्क 1 कोई निरक्षर, अंधा या शारीरिक रूप से विकलांग वयस्क, अपने द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट साक्षर अभिकर्ता की मार्फत अपना खाता चला सकता है ।
	(ख) ऐसा अवयस्क जिसने 10 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।	25,000 रु०	एक	अवयस्क ।
	(ग) अवयस्क की ओर से संरक्षक	25,000 रु० इसमें अवयस्क द्वारा स्वयं खोला गया खाते का यदि कोई है अधिशेष भी है	प्रत्येक अवयस्क की ओर से एक	अवयस्क की अवयस्कता के दौरान संरक्षक और उसके पश्चात भूतपूर्व अवयस्क ।
	(घ) (i) विकृतचित्त व्यक्ति का संरक्षक	25,000 रु०	प्रत्येक विकृतचित्त व्यक्ति की ओर से एक	संरक्षक
	(ii) (उस मानसिक अस्पताल का अधीक्षक जिसमें विकृतचित्त व्यक्ति परिरुद्ध है) ।	25,000 रु०	प्रत्येक विकृतचित्त व्यक्ति की ओर से एक	मानसिक अस्पताल का अधीक्षक

1	2	3	4	5
	(ङ) किसी भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि के व्यष्टिक सदस्यों की ओर से उसको नियंत्रित करने वाला प्राधिकारी ।	सीमा रहित	प्रत्येक सदस्य की ओर से एक	निधि का नियंत्रण करने वाला प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी से प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करने पर सदस्य
2. संयुक्त खाता : (i) क-प्रकार अर्थात जमाकर्ताओं को संयुक्त रूप से या दो उत्तरजीवियों को संयुक्त रूप से या एकमात्र उत्तर-जीवी को संदेय ।	दो या तीन वयस्क	एक खाते में 50,000 रु० यदि जमाकर्ताओं के एक से अधिक (एकल, पेंशन या संयुक्त) खाते हैं तो प्रत्येक जमाकर्ता के लिए ऐसे सभी खातों में कुल मिलाकर अधि अतिशेष या अतिशेषों के अंश 25,000 रु० से अधिक नहीं होने चाहिए ।	खातों की कोई संख्या किन्तु एक डाकघर बचत बैंक में एक संयुक्त खाते से अधिक नहीं ।	यथास्थिति, सभी जमाकर्ता या दोनों उत्तरजीवी या एकमात्र उत्तर-जीवी ।
(ii) ख-प्रकार, अर्थात् जमा कर्ताओं में से किसी एक या दो उत्तर-जीवियों में से किसी एक को या एकमात्र उत्तर-जीवी को संदेय ।	दो या तीन वयस्क	जमाकर्ताओं के एक से अधिक (एकल, पेंशन या संयुक्त) खाते हैं तो प्रत्येक जमाकर्ता के लिए ऐसे सभी खातों में कुल मिलाकर अतिशेष या अतिशेषों के अंश 25,000 रु० से अधिक नहीं होने चाहिए ।	खातों की कोई संख्याकिन्तु एक डाकघर बचत बैंक में एक संयुक्त खाते से अधिक नहीं ।	यथास्थिति जमाकर्ताओं में से एक या दोनों जमाकर्ताओं या उत्तरजीवी ।
3. पेंशन खाता	कोई पेंशन भोगी जो सैवानिवृत्त रेल सेवक या डाक और तार विभाग का सेवक है ।	25,000 रु० जिसमें जमाकर्ता द्वारा खोले गए एकल खातों, यदि कोई हैं, के अतिशेष या सयुक्त खाते यदि कोई हैं के अतिशेष का अंश भी सम्मिलित है ।	एक	उस मास के आगामी मास के प्रथम कार्य दिवस को जिस मास की पेंशन राशि है, पेंशन भोगी को देय पेंशन की राशि खाते में जमा करने के लिए और किसी ऐसी राशि की जो उस राशि से अधिक है जिसका पेंशन भोगी हकदार था उस अधिक राशि को वसूल करने के लिए मुख्य बचत बैंक या उप-बचत बैंक ।
ख. सामूहिक खाता :				
4. भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि खाता ।	निधि के नाम में निधि का नियन्त्रण करने वाला प्राधिकारी ।	सीमा रहित	निधि की ओर से एक	(ख) रकम निकालने के लिए पेंशन भोगी निधि का नियन्त्रण करने वाल प्राधिकारी ।
5. संचायक खाता	संचायक निधियों का नियंत्रण करने वाला प्राधिकारी	सीमा रहित	एक	संचायक की निधियों का नियंत्रण करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत एक या दो व्यक्ति ।
ग. संस्थागत खाते : 6. लोक खाता	कोई स्थानीय प्राधिकारी या वैध रूप से गठित कोई संगम संस्था,	सीमा रहित	प्रत्येक संविदा या प्रतिपूर्ति के संबंध में एक ।	प्राधिकारी या निकाय के विकल्प उस प्रयोजन के लिए संयुक्त: या पृथकत: प्राधिकृत एक या दो व्यक्ति ।
घ. अन्य खाते : 7. प्रतिभूति जमा खाता	(क) किसी ऐसे सरकारी निकाय या किसी निगम या किसी सरकारी कंपनी या किसी विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी ठेकेदार या अभिकर्ता जिससे ऐसे कर्मचारी, ठेकेदार या अभिकर्ता की हैसियत में प्रतिभूति जमा करने की अपेक्षा की गई है ।	सीमा रहित	प्रत्येक संविदा या प्रतिभूति की बाबत एक ।	गिरवीदार या गिरवीदार द्वारा प्राधिकृत राशि के विस्तार तक गिरवीकर्ता ।

1	2	3	4	5
	(ख) कोई व्यक्ति जिससे कोई मोटर-यान क्रय करने के संबंध में प्रतिभूति जमा करने की अपेक्षा की जाती है या कोई व्यक्ति अकेले/संयुक्त रूप से जिससे/जिनसे ट्रैक्टर क्रय करने के संबंध में प्रतिभूति जमा करने की अपेक्षा की जाती है ।	प्रतिभूति के रूप में जमा की जाने के लिए अपेक्षित राशि ।	प्रत्येक यान ट्रैक्टर की बाबत एक ।	गिरवीदार द्वारा प्राधिकृत विस्तार तक गिरवीकर्ता (या संयुक्त रूप से गिरवीकर्ता गण) ।
	(ग) कोई ऐसी सहकारी सोसाइटी या सहकारी बैंक जिसको विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति पर सरकारी सेवकों की उनके वेतन, छुट्टी वेतन और पेंशन अभिदाय का संदाय करने के लिए रखा गया है ।	सीमा रहित	प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या बैंक की बाबत एक	गिरवीदार या गिरवीदार के लिखित प्राधिकार से सहकारी सोसाइटी या बैंक के जो खाते को राज्य के राज्यपाल को गिरवी रखेगा विकल्प पर इस प्रयोजन के लिए संयुक्त रूप से या पृथक्-पृथक् रूप से प्राधिकृत एक या दो व्यक्तियों की मार्फत गिरवीकर्ता ।
8. पदीय हैसियत	(i) सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सरकारी कम्पनी या निगम या भारतीय रिजर्व बैंक का कोई अधिकारी या ऐसे व्यक्तियों या निकायों की ओर से जिनका धन जमा के रूप में या अन्यथा एस अधिकारी के पास रखा जाता है अपनी पदीय हैसियत में स्थानीय प्राधिकारी ।	सीमा रहित	प्रत्येक व्यक्ति या निकाय की ओर से एक।	वह अधिकारी या पाने वाला जिसने खाता खोला है या उसका पद उत्तरवर्ती ।
	(ii) उसके द्वारा प्राप्त धन की बाबत ऐसे रिसीवर के रूप में न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया कोई रिसीवर।			

टिप्पण (1) संयुक्त खाते में अधिकतम अतिशेष के, प्रयोजन के लिए जमाकर्ताओं का अंश । ऐसे अतिशेष का आधा या एक तिहाई उसके अनुसार माना जाएगा कि खाता दो वयस्कों या तीन वयस्कों द्वारा धारित है ।

टिप्पण (2) सारणी की मद 1 (ख) या (ग) के अधीन किसी अवयस्क के नाम में कोई खाता उसके वयस्कता की आयु प्राप्त करने पर हर प्रकार से सारणी की मद (1) (क) के अधीन किसी वयस्क द्वारा खोला गया खाता समझा जाएगा ।

टिप्पण (3) सारणी की मद 1 (ग) अथवा (घ) के अधीन किसी अवयस्क अथवा विक्षिप्त व्यक्ति की बाबत यथास्थिति, केवल एक ही खाता खोला जा सकता है ।

टिप्पण (4) दो वयस्कों के नाम में एक संयुक्त खाता जमाकर्ताओं में से प्रत्येक या दोनों द्वारा उसी या किसी दूसरे डाकघर बचत बैंक में धारित एकल खाते और पेंशन खाते के अतिरिक्त खोला जा सकता है । यदि संयुक्त जमाकर्ताओं में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो संयुक्त खाता ऐसे जमाकर्ता की मृत्यु की तारीख से ही उत्तरजीवी जमाकर्ता के नाम में एकल खाता समझा जाएगा । यदि उसी डाकघर बचत बैंक में पहले से ही उसके नाम में एकल खाता है तो दोनों में से एक खाता बंद कर दिया जाएगा ।

टिप्पण (5) तीन जमाकर्ताओं के नाम में एक संयुक्त खाता जमाकर्ताओं में से किसी एक या सभी के द्वारा उसी या किसी अन्य डाकघर, बचत बैंक में धारित एकल खाते और पेंशन खाते और जमाकर्ताओं में से किन्हीं दो के द्वारा धारित संयुक्त खातों के अतिरिक्त खोला जा सकता है । यदि तीनों जमाकर्ताओं में से एक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे जमाकर्ता की मृत्यु की तारीख से वह खाता दो उत्तरजीवी जमाकर्ताओं के नाम में संयुक्त खाता समझा जाएगा । यदि उस डाकघर बचत बैंक में पहले से ही उनके नाम में कोई संयुक्त खाता है तो दोनों खातों में से एक खाता बंद कर दिया जाएगा । दो उत्तरजीवी जमाकर्ताओं में से एक की मृत्यु की दशा में, वह खाता ऐसे जमाकर्ता की मृत्यु की तारीख से एकमात्र उत्तरजीवी जमाकर्ता के नाम में एकल खाता समझा जाएगा । यदि उस डाकघर बचत बैंक में पहले से ही उनके नाम में एकल खाता है तो दोनों में से एक खाता बंद कर दिया जाएगा ।

टिप्पण (6) "पेंशनभोगी" पद के अन्तर्गत कुटुंब पेंशन लेने वाला व्यक्ति है । उसी या किसी अन्य डाकघर बचत बैंक में एकल खाते या संयुक्त खाते या दोनों के अतिरिक्त पेंशन खाता खोला जा सकता है ।

टिप्पण (7) कोई हाई स्कूल या माध्यमिक महाविद्यालय, जो उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और माध्यमिक महाविद्यालय [अध्यापकों और दूसरे कर्मचारियों के वेतन का संदाय अधिनियम, 1971 (1971 का उत्तर प्रदेश अधिनियम 24)] के अर्थ के अन्तर्गत कोई संस्था है, उक्त अधिनियम में यथा-परिभाषित निरीक्षक के साथ, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतनों के संदाय के प्रयोजन के लिए सारणी की मद 6 के अधीन, संयुक्त रूप से लोक खाता खोल सकता है । ऐसा खाता (i) संयुक्त रूप से प्रबन्ध मंडल के किसी प्रतिनिधि द्वारा और उक्त निरीक्षक द्वारा या उक्त निरीक्षक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा या (ii) यदि प्रबन्धमण्डल के अकेले किसी प्रतिनिधि द्वारा वह उक्त निरीक्षक द्वारा उस प्रभाव के लिए सम्यकरूप से प्राधिकृत किया गया है या (iii) स्वयं उक्त निरीक्षक द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा चलाया जा सकेगा ।

5. किसी खाते में जमा और उससे निकाला जाना

(1) पांच रुपए से कम जमा का कोई खाता नहीं खोला जाएगा ।

(2) नकदी, बचत स्टांप और पोस्टल आर्डर की दशा में पश्चात्-वर्ती जमा एक रुपए और चैक या जमा के लिए स्वीकृत अन्य लिखतों की दशा में 5 रुपए से कम नहीं होगी ।

(3) वापस निकाला जाना एक रुपए से कम की राशि का नहीं होगा ।

(4) ऐसा कोई निकाला जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिसका प्रभाव अतिशेष को उस खाते में जिसमें चैक की सुविधा नहीं है पांच रुपए और उस खाते में जिसमें चैक की सुविधा उपलब्ध है एक सौ रुपए से कम करना है ।

(5) किसी अतिरिक्त विभागीय उप बचत बैंक या शाखा बचत बैंक के किसी खाते से रकम एक दिन में एक बार से अधिक नहीं निकालने दी जाएगी ।

(6) पांच रुपए से अन्यून रकम चैक द्वारा किसी मुख्य बचत बैंक या उप-बचत बैंक, इस निमित्त प्राधिकृत बैंक से, विहित शर्तों के अधीन रहते हुए, निकाली जा सकती है ।

6. किसी खाते में जमा पर ब्याज

(1) उप-नियम (2) से (9) के अधीन रहते हुए किसी खाते में जमा न्यूनतम अतिशेष पर केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित दर पर ब्याज प्रत्येक कलेंडर मास के लिए बसवें दिन की समाप्ति और मास के अंत के बीच अनुज्ञेय होगा और ऐसा ब्याज प्रत्येक वर्ष के अंत में संगणित किया जाएगा और खाते में जमा कर दिया जाएगा ।

(2) ब्याज केवल पूरे रुपए पर अनुज्ञेय होगा और अगले पांच पैसे के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए 2.5 पैसे या उससे अधिक की रकम को पांच पैसे के रूप में माना जाएगा और 2.5 पैसे कम की रकम को हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

(3) किसी ऐसे मास में किसी ऐसे खाते पर जिसमें मास की दसवीं और अंतिम तारीख के बीच किसी समय खाते में जमा अतिशेष दस रुपए से कम है ब्याज अनुज्ञेय नहीं होगा ।

(4) किसी ऐसे वर्ष में जिस वर्ष में ब्याज की राशि पचास पैसे से कम है किसी खाते पर ब्याज अनुज्ञेय नहीं होगा ।

(5) नियम 4 के नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकतम अतिशेष से अधिक की राशि पर कोई ब्याज अनुज्ञेय नहीं होगा ।

(6) किसी ऐसे खाते पर, जो किसी भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि द्वारा किसी सदस्य के नाम में उस मास की जिसमें, निधि का नियंत्रण करने वाले प्राधिकारी द्वारा खाते में अतिशेष की रकम के अंतिम निकाले जाने के लिए यथास्थिति, आदेश या प्राधिकरण जारी किया गया है, पहली तारीख से छह मास की समाप्ति के पश्चात् खोला गया है, कोई ब्याज अनुज्ञेय नहीं होगा ।

(7) किसी ऐसे मास की, जिसमें प्रतिभूत रकम यथास्थिति, गिरवीदार द्वारा निकाल ली गई है या गिरवीकर्ता को ऐसी रकम का प्रतिसंदाय प्राधिकृत किया है । पहली तारीख से तीन मास की समाप्ति के पश्चात् किसी प्रतिभूति जमा खाते पर कोई ब्याज अनुज्ञेय नहीं होगा ।

(8) यदि किसी वर्ष के दौरान कोई खाता बन्द कर दिया जाता है तो ब्याज उस मास के जिसमें खाता बंद किया गया है पूर्ववर्ती मास के अंत तक अनुज्ञेय होगा ।

(9) (क) किसी जमाकर्ता की मृत्यु की दशा में, उसके खाते पर ब्याज केवल उस मास के पूर्ववर्ती मास के अंत तक अनुज्ञेय होगा जिसमें डाकघर बचत बैंक द्वारा, उक्त खाते में अतिशेष को प्राप्त करने के लिए पात्र होने के लिए मान्यताप्राप्त व्यक्ति या व्यक्तियों को सूचना जारी की गई है ।

(ख) किसी पश्चात्वर्ती अवधि के लिए ब्याज तब ही अनुज्ञात किया जाएगा जब मृतक के खाते में अतिशेष या उसके अंश जिसके लिए दावेदार पात्र हैं, उसके द्वारा धारित किसी अन्य बचत खातों में अतिशेषों या अतिशेषों का अंश यदि कोई है कुल मिलाकर पचीस हजार रुपए से अधिक नहीं होता है और दावेदार डाकघर बचत बैंक को उस प्रभाव की एक घोषणा करता है ।

7. अतिशेष का पुष्टिकरण :—जमाकर्ता 31 मार्च, के पश्चात् यथासंभव शीघ्र ब्याज के जोड़े जाने और खाते में जमा अतिशेष के पुष्टिकरण के लिए अपनी पास बुक डाकघर बचत बैंक को जहां उसका खाता है प्रस्तुत करेगा और यदि जमाकर्ता द्वारा इस प्रकार पास-बुक प्रस्तुत नहीं की जाती है या उसके प्रस्तुत किए जाने के तीन मास के भीतर डाकघर बचत बैंक से वापस नहीं ली जाती है तो उसका अर्थ डाकघर बचत बैंक की पुस्तकों में जमा अतिशेष को जमाकर्ता द्वारा अंतिम स्वीकृत मान लेना होगा ।

8. निष्क्रिय खाता :—(1) कोई ऐसा खाता जिसमें पूरे छह वर्षों से कोई जमा या रकम नहीं निकाली गई है निष्क्रिय खाता माना जाएगा।

(2) किसी निष्क्रिय खाते की बाबत, सुसंगत मुख्य बचत बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना किसी संव्यवहार नहीं किया जाएगा ।

9. बंद करने पर रकम का अंतिम रूप से निकाला जाना :—(1) अपनियम (2) में यथाउपबंधित के सिवाय किसी खाते के बंद किए जाने पर किसी उप-बचत बैंक या अतिरिक्त विभागीय उप-बचत बैंक अथवा शाखा बचत बैंक से रकम का अन्तिम रूप से निकाला जाना सुसंगत मुख्य बचत बैंक की मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

(2) जब ब्याज का संदाय अंतर्वलित नहीं है, तब किसी खाते के बंद किए जाने पर रकम का अंतिम रूप से निकाला जाना, किसी उप-बचत बैंक द्वारा मुख्य बचत बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

10. बचत बैंक के खाते (लेजर) की प्रति का प्रदाय :—कोई जमाकर्ता किसी ऐसी अवधि के लिए जिसके लिए ऐसा खाता उपलब्ध है डाकघर बचत बैंक में यथावर्णित अपने बचत खाते की प्रति प्रत्येक तीस प्रविष्टियों या उनके भाग के लिए दो रुपए की फीस का संदाय करने पर प्राप्त कर सकेगा ।

11. निरसन और व्यावृत्ति :—(1) डाकघर बचत बैंक नियम, 1881 के उपबंध जो प्रवृत्त हैं और डाकघर बचत बैंक नियम, 1965 इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्यवाई इन नियमों के या डाकघर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

[फा० सं० ज/15/81-एन० एस० (ii)]

G.S.R. 663(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the follwing rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Post Office Savings Account Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1982.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "account" means a Savings Account;

(b) "Government company" means a Government company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(c) "Local authority" means a Panchayat, District Board, Municipal Committee (whether known as Corporation, Municipality or by any other name), body of Port Commissioners or other authority legally entitled to or entrusted by the Government with the control or management of any municipal or local fund;

(d) "provident fund" means—

(i) a provident fund to which the provisions of the Provident Fund Act, 1925 (19 of 1925) apply;

(ii) a recognised provident fund within the meaning of clause (38) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), or a provident fund established by or under any law for the time being in force;

(e) "Sanchayika" means a Savings Bank run in any school or college for collecting the savings of students of the school or college;

(f) "year" means a year commencing on the 1st day of April;

(g) words and expressions used herein and not defined but defined in the Post Office Savings Bank General Rules, 1981, have the meanings respectively assigned to them in these rules.

3. Application of the Post Office Savings Bank General Rules, 1981.—For matters not provided in these rules, the provisions of the Post Office Savings Bank General Rules, 1981 shall apply.

4. Types of Savings Accounts and matters connected therewith.—The types of accounts, the persons by whom such accounts may be opened and operated upon, maximum amount that can be credited to the account and other matters connected therewith shall be as specified in the Table below, namely :—

TABLE

Type of Account	Who may open	Maximum balance excluding interest for the current year	Number of accounts that can be opened	Who may operate the account
1	2	3	4	5
A. INDIVIDUAL ACCOUNTS :				
1. Single Account	(a) A person who has attained the age of majority and who is of sound mind (hereinafter referred to as an adult).	Rs. 25,000 in an account or in all the accounts taken together, if a depositor has more than one account.	Any number of accounts but not more than one account at one Post Office Savings Bank.	The adult. An illiterate, blind or otherwise physically handicapped adult may operate on his account through a literate agent, nominated by him for the purpose.
	(b) A minor who has attained the age of 10 years.	Rs. 25,000	One	The minor.
	(c) A guardian on behalf of a minor.	Rs. 25,000 inclusive of the balance in the account, if any, opened by the minor himself.	One on behalf of each minor.	The guardian during the minority of the minor and thereafter the ex-minor.
	(d) (i) A guardian of a person of unsound mind.	Rs. 25,000	One on behalf of each person of unsound mind.	(a) The guardian.
	(ii) The Superintendent of the Mental Hospital where a person of unsound-mind is confined.	Rs. 25,000	One on behalf of each person of unsound mind.	(b) The Superintendent of the Mental Hospital.
	(e) An authority controlling a Provident Fund, Superannuation Fund or Gratuity Fund, on behalf of its individual members.	Without limit.	One on behalf of each member.	The authority controlling the Fund or the member on production of a letter of authorisation from such authority.

1	2	3	4	5
2. Joint Account (i) A-Type, that is to say, payable to the depositors jointly or to two survivors Jointly or to the sole survivor.	Two or three adults.	Rs. 50,000 in an account. If the depositors have more than one account (single, pension or joint), the balances or shares of balances in all such accounts taken together should not exceed Rs. 25,000 for each of the depositors.	Any number of accounts but not more than one Joint account at one Post Office Savings Bank.	All the depositors or both the survivors or the sole survivor as the acse may be.
(ii) B-Type, that is to say, payable to any one of the depositors or to either of the two survivors or to the sole survivor.	Two or three adults.	Rs. 50,000 in an account. If the depositors have more than one account (single, pension or joint), the balances or shares of balances in all such accounts taken together should not exceed Rs. 25,000 for each of the depositors.	Any number of accounts but not more than one Joint account at one Post Office Savings Bank.	One of the depositors or either of the two survivos or the sole survivor, as the case may be.
3. Pension Account.	A pensioner, being a retired Railway servant or a servent of the Posts and Telegraphs Department.	Rs. 25,000, inclusive of balances in single accounts, if any, and share of balances in joint accounts, if any, opened by the depositor.	One.	(a) The Head Savings Bank or Sub-Savings Bank. for crediting to the account the amount of pension due to the pensioner on the first working day of the month following the month to which the pension amount relates and for recovering any amount credited in excess of the sum to which the pensioner was entitled (b) The pensioner, for making withdrawals.
B. GROUP ACCOUNTS				
4. Provident Fund, Superannuation Fund or Gratuity Fund Account.	The authority controlling the Fund, in the name of the Fund.	Without limit	One on behalf of the Fund.	The authority controlling the Fund.
5. Sanchayika Account	The authority controlling the funds of the Sanchayika.	Without limit	One	One or two persons authorised by the authority controlling the funds of the Sanchayika.
C. INSTITUTIONAL ACCOUNTS				
6. Public Account	A local authority or a lawfully constituted association, institution or other body for encouragement of thrift or for mutual benefit of its members.	Without limit	One in respect of each authority or body.	One or two persons authorised for the purpose either jointly or severally at the option of the authority or body.
D. OTHER ACCOUNTS				
7. Security Deposit Account.	(a) An employee, contractor or agent of a Government body or of a Corporation or of a Government company or of a University who is required to deposit security in his capacity as such employee, contractor or agent.	Without limit.	One in respect of each contract or security.	The pledgee, or the pledger to the extent of the amount authorised by the pledgee.

1	2	3	4	5
	(b) Any person who is required to deposit security in connection with the purchase of a motor vehicle or any person singly or persons jointly who is or are required to deposit security in connection with the purchase of a tractor.	The amount required to be deposited as security.	One in respect of each vehicle or tractor.	The pledger (or the pledgers jointly) to the extent authorised by the pledgee.
	(c) A Co-operative Society or a Co-operative Bank with whom Government servants are placed on foreign service or deputation, for payment of their pay, leave salary and pension contribution.	Without limit.	One in respect of each Cooperative Society or Bank.	The pledgee, or the pledger on the written authority of the pledgee, through one or two persons authorised for the purpose either jointly or severally at the option of the Co-operative Society or Bank who will pledge the account to the Governor of the State.
8. Official Capacity Account	(i) Gazetted Government Officer or an officer of a Government company or Corporation or the Reserve Bank of India or a local authority in his official capacity on behalf of persons or bodies whose moneys are held as deposit or otherwise with such officer. (ii) A receiver appointed by a Court of law in respect of moneys received by him as such receiver.	Without limit.	One on behalf of each person or body.	The officer or receiver who opened the account or his successor in office.

Note 1: For the purpose of maximum balance, the depositor's share in the balance of a joint account shall be taken as one-half or one-third of such balance according as the account is held by two adults or three adults.

Note 2: An account standing in the name of a minor under item 1(b) or (c) of the Table, shall on his attaining the majority, be treated in all respects as an account opened by an adult under item (1)(a) of the Table.

Note 3: Under item 1(c) or (d) of the Table, only one account can be opened in respect of a minor or a person of unsound mind, as the case may be.

Note 4: A joint account in the names of two adults may be opened in addition to a single account and pension account held by either or both of the depositors in the same or another Post Office Savings Bank. If one of the joint depositors dies, the joint account shall, as from the date of the death of such depositor, be deemed to be a single account in the name of the surviving depositor. If he is already having a single account in his name in the same Post Office Savings Bank, one of the two accounts shall be closed.

Note 5: A joint account in the names of three depositors may be opened in addition to a single account and pension account held by any or all of the depositors and joint accounts held by any two of the depositors in the same or another Post Office Savings Bank. If one of the three depositors dies, the account shall, as from the date of death of such depositor, be deemed to be a joint account in the names of the two surviving depositors. If they are already having a joint account in their names in the same Post Office Savings Bank, one of the two accounts shall be closed. In the case of death of one of the two surviving depositors, the account shall as from the date of death of such depositor, be deemed to be a single account in the name of the sole surviving depositor. If he is already having a single account in his name in the same Post Office Savings Bank, one of the two accounts shall be closed.

Note 6: The term 'pensioner' includes a person drawing family pension. A pension account may be opened in addition to a single account or a joint account or both in the same or another Post Office Savings Bank.

Note 7: A High School or Intermediate College, being an institution within the meaning of the Uttar Pradesh High Schools and Intermediate Colleges (Payment of Salaries of Teachers and other Employees) Act, 1971 (Uttar Pradesh Act 24 of 1971) may, jointly with the Inspector as defined in the said Act, open a public account under item 6 of the Table for the purpose of payment of salaries of its teachers and other employees. Such account may be operated (i) jointly by a representative of the mangement and by the said Inspector or an Officer authorised by the said Inspector or (ii) by a representative of the management alone if duly authorised to that effect by the said Inspector or (iii) by the said Inspector himself or an Officer authorised by him in that behalf.

5. Deposits and withdrawals in an account—

(1) No account shall be opened with a deposit of less than five rupees.

(2) No subsequent deposit shall be less than one rupee in the case of cash, savings, stamps and postal orders and five rupees in the case of a cheque or other instrument accepted for deposit.

(3) No withdrawal shall be for a sum less than one rupee.

(4) No withdrawal shall be permitted which has the effect of reducing the balance to less than five rupees in an account not having cheque facility or one hundred rupees in an account in which cheque facility has been provided.

(5) Not more than one withdrawal in a day shall be allowed from an account standing at an Extra Departmental Sub Savings Bank or Branch Savings Bank.

(6) Withdrawal of not less than five rupees may be made by cheque at any Head Savings Bank or Sub Savings Bank, authorised in this behalf, subject to the conditions prescribed.

6. Interest on deposits in an account—

(1) Subject to sub-rules (2) to (9), interest at the rate, notified by the Central Government in the official gazette from time to time, shall be allowed for each calendar month on the lowest balance at credit of an account between the close of the tenth day and the end of the month and such interest shall be calculated and credited in the account at the end of each year.

(2) Interest shall be allowed only on sums of complete rupees and shall be rounded off to the nearest multiple of five paise and for this purpose any amount of 2.5 paise or more shall be treated as five paise and any amount less than 2.5 paise shall be ignored.

(3) No interest shall be allowed on an account for any month in which the balance at credit is below ten rupees at any time between the tenth and last date of the month.

(4) No interest shall be allowed on an account for any year in which the amount of interest for the year is less than fifty paise.

(5) No interest shall be allowed on any sum in excess of the maximum balance specified in column (3) of the Table below rule 4.

(6) No interest shall be allowed on an account opened by any Provided Fund, Superannuation Fund or Gratuity Fund in the name of a member, after the expiry of six months from the first day of the month in which the order, or as the case may be the authorisation for final withdrawal of the balance at credit is issued by the authority controlling the Fund.

(7) No interest shall be allowed on a security deposit account after the expiry of three months from the first day of the month in which the amount secured has been withdrawn by the pledgee or the pledgee has authorised repayment of such amount to the pledger, as the case may be.

(8) If an account is closed in the course of a year, interest shall be allowed upto the end of the month preceding the month in which the account is closed.

(9) (a) In the event of death of a depositor, the interest on his account shall be allowed only till the end of the month preceding the month in which notice is issued to the person or persons recognised by the Post Office Saving Bank as being entitled to receive the balance in the said account.

(b) Interest for any subsequent period shall be allowed only if the balance in the account of the deceased or the share therein to which a claimant is entitled, together with the balances or share of balances, if any, in other savings accounts held by him, does not exceed twenty-five thousand rupees and the claimant gives a declaration to that effect to the Post Office Savings Bank.

7. Confirmation of balance.—The depositor shall present his pass book as soon as possible after the 31st day of March to the Post Office Savings Bank where his account stands, for addition of interest and confirmation of the balance at credit in the account and if the pass book is not so presented by the depositor or collected by him from the Post Office Savings Bank within three months of its presentation, it may entail acceptance by the depositor of the balance as appearing in the books of the Post Office Savings Bank as final.

8. Silent Account.—(1) An account in which a deposit or withdrawal has not taken place for six complete years, shall be treated as a silent account.

(2) No transaction shall be allowed in respect of a silent account without the prior sanction of the relevant Head Savings Bank.

9. Final Withdrawal on closure.—(1) Except as provided in sub-rule (2), final withdrawal on closure of an account shall be allowed at a Sub-Savings Bank, Extra Departmental Sub-Savings Bank or Branch Savings Bank, only after obtaining the sanction of the relevant Head Savings Bank.

(2) When payment of interest is not involved, final withdrawal on closure of an account may be allowed by a Sub-Savings Bank without obtaining the prior sanction of the Head Savings Bank.

10. Supply of Savings Bank ledger copy.—A depositor may, on payment of a fee of two rupees for every thirty entries or part thereof, obtain copy of his savings account as appearing in the ledger of the Post Office Savings Bank for any period for which such ledger is available.

11. Repeal and Saving.—(1) The provisions of the Post Office Savings Bank Rules, 1881, which are in force and the Post Office Savings Banks Rules, 1965 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules or the Post Office Savings Bank General Rules, 1981.

[F. No. 3/15/81-NS (ii)]

सा० का० नि० 664(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक घर सावधिक जमा नियम, 1981 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 1982 को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "खाता" से सावधिक जमा खाता अभिप्रेत है ।

(ख) "वर्ष" से वह वर्ष अभिप्रेत है, जो किसी खाते में जमा की तारीख को प्रारम्भ होता है ;

(ग) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु डाकघर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 और डाकघर बचत खाता नियम, 1981 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उनके उन नियमों में है ।

3. डाकघर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 का लागू होना:--उन विषयों को जिनके लिए इन नियमों में उपबंध नहीं किया गया है, डाकघर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 के उपबंध लागू होंगे ।

4 खातों के प्रकार और उनसे संबंधित विषय ।

(1) खाते चार प्रकार के होंगे, अर्थात्, एक वर्षीय खाता, दो वर्षीय खाता, तीन वर्षीय खाता और पांच वर्षीय खाता, जिनमें क्रमशः एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष और पांच वर्ष के लिए रकमें की जा सकेंगी ।

(2) उन खातों के प्रकार जो खोले जा सकेंगे, वे व्यक्ति जिनके द्वारा ऐसे खाते खोले और चलाए जा सकेंगे और उनसे संबंधित अन्य विषय नीचे सारणी में यथा विनिर्दिष्ट होंगे, अर्थात् :--

सारणी

खाते का प्रकार	कौन खोल सकेगा	कितने खाते खोले जा सकेंगे	खाते की कौन चला सकेगा
1	2	3	4
क व्यक्तिगत खाते			
1 एकल खाता	(क) वह व्यक्ति जो वयस्क है और स्वस्थचित्त है (जिसे इसमें आगे वयस्क कहा गया है) ।	एक या अधिक खाते	वयस्क/निरक्षर, अन्धा या अन्यथा शारीरिक रूप से विकलांग वयस्क इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नाम निर्देशित साक्षर अभिकर्ता के माध्यम से अपना खाता चला सकता है ।
	(ख) अवयस्क, जो दस वर्ष का हो गया है ।	एक या अधिक खाते	अवयस्क
	(ग) किसी अवयस्क की ओर से संरक्षक	प्रत्येक अवयस्क की ओर से एक या अधिक खाते ।	अवयस्क की अवयस्कता के दौरान उसका अभिभावक और उसके पश्चात् वह भूतपूर्व अवयस्क ।
	(घ) (1) किसी विकृत चित्त व्यक्ति का संरक्षक	प्रत्येक विकृत चित्त व्यक्ति की ओर से एक या अधिक खाते ।	अभिभावक
	(2) उस मानसिक चिकित्सालय का अधीक्षक, जिसमें विकृत चित्त व्यक्ति को रखा गया है ।	प्रत्येक विकृत चित्त व्यक्ति की ओर से एक या अधिक खाते ।	मानसिक चिकित्सालय का अधीक्षक ।
2. संयुक्त खाता			
(क) क--प्रकार, अर्थात् जो दोनों को संयुक्ततः या उत्तरवर्ती को संदेय है	दो वयस्क	एक या अधिक खाते	दोनों जमाकर्ता, संयुक्त रूप से या उत्तरजीवी ।
(ख) ख--प्रकार, अर्थात दोनों जमाकर्ताओं में से किसी एक को या उत्तरजीवी को संदेय	दो वयस्क	एक या अधिक खाते	जमाकर्ताओं में से कोई या उत्तरजीवी ।
3. सामूहिक खाते (1) भविष्य निधि खाता (2) अधिवार्षिक निधि खाता (3) उपदान निधि खाता	भविष्य निधि, अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि का नियंत्रण करने वाला प्राधिकारी, निधि के नाम में । टिप्पण :--निधि का नियंत्रण करने वाला प्राधिकारी तभी खाता खोलेगा जब केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित विनिधान की पद्धति ऐसी निधि को लागू होती है या ऐसी निधि द्वारा उसका अन्यथा अनुसरण किया जाता है ।	निधि की ओर से एक या अधिक खाते ।	निधि का नियंत्रण करने वाला प्राधिकारी

1	2	3	4
4. संचयिका खाता	संचयिका की निधियों का नियंत्रण करने वाला प्राधिकारी टिप्पण :—संचयिका निधि का नियंत्रण करने वाला प्राधिकारी केवल एक वर्षीय खाता या दो वर्षीय खाता खोल सकता है ।	एक या अधिक खाते	संचयिका का नियंत्रण करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्ति
संस्थागत खाते			
5. पूर्त विन्यास खाता	भारत के लिए पूर्त विन्यास का कोषाध्यक्ष	प्रत्येक पूर्त विन्यास के लिए एक खाता	भारत के लिए पूर्त विन्यास का कोषाध्यक्ष या उसके द्वारा नियुक्ति अधिकर्ता ।
ब. विविध खाते			
6. अन्य खाते	(i) सहकारी सोसाइटी, सहकारी बैंक या अनुसूचित बैंक, अपने उन सदस्यों, ग्राहकों या कर्मचारियों की ओर से जिनके धन उसके द्वारा जमा या अन्यथा के रूप में रखे गए हैं ।	किसी सदस्य, ग्राहक या कर्मचारी की ओर से और उसके नाम में एक या अधिक खाते ।	इस प्रयोजन के लिए सहकारी सोसाइटी, सहकारी बैंक या अनुसूचित बैंक की ओर से प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्ति ।
	(ii) राजपत्रित सरकारी अधिकारी, सरकारी कंपनी या निगम या स्थानीय प्राधिकरण का अधिकारी या किसी निगमित निकाय का, जैसे विपणन समिति को राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित है और राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत है, अधिकारी अपनी पदीय हैसियत में, या भारतीय रिजर्व बैंक उन व्यक्तियों की ओर से जिनके धन ऐसे अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा के रूप में या अन्यथा रखे गए हैं ।	उक्त व्यक्तियों में से किसी की ओर से एक या अधिक खाते, ऐसे व्यक्ति के नाम में ।	वह अधिकारी जिसने खाता खोला है या उसका पदोत्तरवर्ती ।

5. जमा और प्रतिसंदाय :—(1) किसी खाते में प्रत्येक जमा रकम पचास रुपयों के गुणकों में होगी । ऐसे खाते में जमा की जा सकने वाली रकम या रकमों के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है ।

(2) प्रत्येक जमा रकम उस अवधि की समाप्ति के पश्चात् ही प्रतिसंदेय होगी जिसके लिए वह जमा की गई है अर्थात् यथास्थिति एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष या पांच वर्ष ।

(3) यथा स्थिति उप-नियम (2) के अधीन जमा का प्रतिसंदाय या नियम 7 या नियम 8 या नियम 9 के अधीन ब्याज का संदाय, एक लिखित आवेदन-पत्र के साथ पास बुक प्रस्तुत करने पर उस डाकघर बचत बैंक द्वारा किया जाएगा, जहां खाता रखा गया है :

परन्तु यथास्थिति ऐसा प्रतिसंदाय या ब्याज का संदाय किसी विभागेतर उप बचत बैंक या शाखा बचत बैंक द्वारा तभी किया जाएगा जब सुसंगत मुख्य बचत बैंक या सुसंगत उप बचत बैंक की पूर्व मंजूरी ना ले ली गई हो ।

(4) किसी जमा के प्रतिसंदाय और जमा पर ब्याज के संदाय की रकम पास बुक में पोस्टमास्टर के हस्ताक्षर से प्रविष्ट की जाएगी ।

6(1). पुनः जमा :—यदि किसी खाते में जमा रकम प्रतिसंदाय के लिए शोध्य हो गई है तो जमाकर्ता रकम को यथास्थिति उसी खाते में या दूसरे खाते में, सम्यकतः उन्मोचित विहित प्रपत्र में मूल जमा के लिए ऐसे 2.

(2) उपनियम (3) के अधीन रहते हुए पुनः जमा की तारीख, मूल जमा के निकालने की तारीख होगी ।

(3)(क) यदि नीचे की सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान रकम पुनः जमा की जाती है और ऐसी पुनः जमा उसके स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए है तो मूल जमा के परिपक्वता की तारीख ही पुनः जमा की तारीख समझी जाएगी ।

सारणी

परिपक्वता की तारीख और पुनः जमा की तारीख के बीच बीत गई	पुनः जमा की अधिकतम अवधि
1. छह मास से कम	एक वर्ष
2. छह मास से अधिक और बारह मास तक	दो वर्ष
3. बारह मास से अधिक और अठारह मास तक	तीन वर्ष
4. अठारह मास से अधिक	पांच वर्ष

(ख) सारणी की मद 4 के अधीन आने वाले पुनः जमा के मामले में यदि मूल जमा के परिपक्व हो जाने के पश्चात् तीस मास बीत गए हैं तो पुनः जमा की तारीख वह तारीख समझी जाएगी जो मूल जमा के निकलने की तारीख से तीस मास पूर्व की तारीख है ।

7. ब्याज :—जमा पर नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज दिया जाएगा और ऐसा ब्याज जमा की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में जमाकर्ता को संदेय होगा :

परन्तु 23 जुलाई, 1974 के पूर्व किए गए जमा के मामले में ऐसी जमा के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर उस तारीख से पूर्व अधिसूचित की गई ब्याज की दरें 22 जुलाई, 1974 तक और उस तारीख को सम्मिलित करते हुए जमा की अवधि के लिए लागू होंगी और नीचे सारणी क में विनिर्दिष्ट ब्याज की दरें 23 जुलाई, 1974 से प्रारम्भ होने वाली जमा की किसी शेष अवधि के लिए लागू होंगी ।

सारणी क

1 मार्च, 1978 से पूर्व जमा रकमों के लिए

जमा की अवधि	प्रतिवर्ष ब्याज की दर
1 वर्ष	8 प्रतिशत
2 वर्ष	8-1/2 प्रतिशत
3 वर्ष	9 प्रतिशत
5 वर्ष	10 प्रतिशत

सारणी ख

1 मार्च, 1978 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 अक्टूबर, 1979 के पूर्व जमा रकमों के लिए

जमा की अवधि	प्रतिवर्ष ब्याज की दर
1 वर्ष	7 प्रतिशत
2 वर्ष	7-1/2 प्रतिशत
3 वर्ष	8 प्रतिशत
5 वर्ष	10 प्रतिशत

सारणी ग

1 अक्टूबर, 1979 को उसके या पश्चात् किन्तु 2 मार्च, 1981 के पूर्व जमा रकमों के लिए

जमा की अवधि	प्रतिवर्ष ब्याज की दर
1 वर्ष	8 प्रतिशत
2 वर्ष	8-1/2 प्रतिशत
3 वर्ष	9 प्रतिशत
5 वर्ष	10-1/2 प्रतिशत

सारणी घ

2 मार्च, 1981 को या उसके पश्चात् जमा रकमों के लिए

जमा की अवधि	प्रतिवर्ष ब्याज की दर
1 वर्ष	8-1/2 प्रतिशत
2 वर्ष	9-1/2 प्रतिशत
3 वर्ष	10-1/2 प्रतिशत
5 वर्ष	10-1/2 प्रतिशत

टिप्पण :—1 अक्टूबर, 1979 को या उसके पश्चात् जमा रकमों के लिए ब्याज, यथास्थिति, सारणी ग या सारणी घ में विनिर्दिष्ट दरों पर संदेय होगा, जो अर्धवार्षिक अन्तराल पर संगणित की जाएंगी ।

8. परिपक्वता पूर्व निकालना :—किसी जमा रकम को परिपक्वता से पूर्व निकालने की अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए दी जा सके, अर्थात् :—

(क) कोई भी जमा रकम उसको जमा किए जाने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व नहीं निकाली जाएगी ।

(ख) जहां दो वर्षीय, तीन वर्षीय पांच वर्षीय खाते में जमा रकम परिपक्वता से पूर्व निकाली जाती है वहां ऐसी जमा पर ब्याज जमाकर्ता को जमा की तारीख को प्रारम्भ होने वाली और निकालने की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के अन्तर्गत आने वाले पूरे किए गए वर्षों और मासों के लिए संदेय होगा और यह ब्याज ऐसी दर पर संगणित होगा जो नियम 7 के अधीन सम्बद्ध सारणी में यथास्थिति, एक वर्ष, दो वर्ष या 3 वर्ष के जमा के विनिर्दिष्ट दर से दो प्रतिशत कम होगी ।

व्याख्या :—जहां पांच वर्षीय खाते के मामले में पूरे किए गए वर्ष और मास तीन वर्ष से अधिक हो जाते हैं तो उस पर ब्याज उस दर पर संगणित किया जाएगा तो नियम 7 के अधीन सम्बद्ध सारणी में तीन वर्ष के जमा के लिए विनिर्दिष्ट दर से दो प्रतिशत कम होगा ।

(ग) नियम 7 के अधीन जमा पर पहले से संदत्त ब्याज, जमा के प्रति संदाय की रकम और इस नियम के अधीन संदेय ब्याज से वसूल कर लिया जाएगा ।

9. परिपक्वता पश्चात् ब्याज :—जहां नियम 7 के अधीन ब्याज का संदाय शोध्य हो गया है परन्तु उसका संदाय नहीं हुआ है तो जमा पर ब्याज परिपक्वता की तारीख से जमा के प्रतिसंदाय की तारीख तक अधिक से अधिक दो वर्ष के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) ब्याज साधारण होगा और एकल या संयुक्त प्रकार के बचत खातों को समय समय पर लागू दर पर संगणित किया जाएगा ।

(ख) ब्याज के संदाय के प्रयोजन के लिए उस अवधि के भाग को जो एक महीने से कम की है, हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

(ग) ब्याज जमाकर्ता को जमा के प्रतिसंदाय के समय एक मुश्त दिया जाएगा ।

10. खातों को गिरवी रखना : (1) नियम 7 के उपनियम (2) के अधीन रहते हुए, अन्तरणकर्ता और अन्तरिती द्वारा विहित प्ररूप में आवेदन करने पर उस डाक घर बचत बैंक का भार साधक अधिकारी, जहां अन्तरणकर्ता का खाता खुला है, खाते के चालू रहने के दौरान किसी भी समय, खाते को प्रतिभूति के रूप में निम्नलिखित को अन्तरण करने की अनुज्ञा दे सकता है :—

(क) भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को उसकी पदीय हैसियत में;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक का या अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक सहित सहकारी सोसाइटी को;

(ग) निगम या सरकारी कंपनी को; या

(घ) स्थानीय प्राधिकरण को ।

(2) उपनियम (1) के अधीन अन्तरण संपूर्ण खाते की बाबत ही अनुज्ञात किया जाएगा न कि उसके भाग की बाबत ।

(3) किसी अवयस्क की ओर से खोले गए खाते का अन्तरण तभी अनुज्ञात किया जाएगा जब उसका संरक्षण यह प्रमाणित करता है कि अवयस्क जीवित है और यह अन्तरण उसके फायदे के लिए है ।

(4) जब उपनियम (1) के अधीन कोई खाता अन्तरित किया जाता है तो डाकघर बचत बैंक पास बुक की अंतिम प्रविष्टि के नीचे और पास बुक उस पृष्ठ पर जहां जमाकर्ता का नाम और पता लिखा हुआ है, लिखित पृष्ठांकन करेगा, अर्थात् :—

"————को प्रतिभूति के रूप में अन्तरित "।

(5) सुसंगत नियम में यथा अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, इस नियम के अधीन किसी खाते के अन्तरिती को, जब तक कि खाता उप-नियम (6) के अधीन पुनः अन्तरित नहीं कर दिया जाता, खाते का धारक समझा जाएगा ।

(6) उपनियम (1) के अधीन अन्तरित कोई खाता, गिरवीदार के लिखित प्राधिकार पर, प्राधिकृत डाकपाल की पूर्व मंजूरी से पुनः अन्तरित किया जा सकता है और जब ऐसा पुनः अन्तरण हो जाता है तो डाकघर बचत बैंक, उपनियम (4) में उपदर्शित स्थानों पर पास बुक में निम्न-लिखित पृष्ठांकन करेगा, अर्थात् :—

"————————को पुनः अन्तरित" ।

(7) पास बुक, यथास्थिति, जमाकर्ता या अन्तरिती द्वारा, उपनियम (4) या (5) के अधीन पृष्ठांकन करने के प्रयोजन के लिए डाकघर बचत बैंक को प्रस्तुत की जाएगी ।

टिप्पण 1:—भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल की ओर से उपनियम (1) के अधीन प्रतिभूति के रूप में किसी खाते को स्वीकार करने वाला या उपनियम (6) के अधीन प्रतिभूति को निर्मुक्त करने वाला सरकार का राजपत्रित अधिकारी, उसे इस निमित्त प्राधिकृत करने वाली सरकारी अधिसूचना की संख्या और तारीख की विशिष्टियां देकर यह प्रमाणित करेगा कि वह संविधान के अनुच्छेद 299 के अधीन भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से ऐसा लिखित और विलेख निष्पादित करने के लिए सक्षम है ।

टिप्पण 2:— सम्बन्धित संस्था की ओर से उपनियम (1) के अधीन किसी खाते को प्रतिभूति के रूप में स्वीकार करने वाला या उपनियम (6) के अधीन प्रतिभूति को निर्मुक्त करने वाला यथास्थिति, भारतीय रिजर्व बैंक या अनुसूचित बैंक या सहकारी सोसाइटी का, जिसके अन्तर्गत सह-कारी बैंक, निगम या सरकारी कंपनी या स्थानीय प्राधिकरण का अधिकारी है तारीख सहित अपने हस्ताक्षर और कार्यालय की मुद्रा के अधीन यह प्रमाणित करेगा कि वह उक्त संस्था के अनुच्छेदों के अधीन ऐसी लिखित या विलेख निष्पादित करने के लिए सम्यकतः प्राधिकृत है ।

11. जमा कर्ता की मृत्यु पर प्रक्रिया—(1) उपनियम (2) और (3) के अधीन रहते हुए एकल खाते में किसी जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने पर या संयुक्त खाते में उत्तरजीवी जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने पर डाकघर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 के नियम 13 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया लागू होगी ।

(2) यदि दो उत्तरजीवी नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों से अधिक नहीं है तो वे इन नियमों में उपबंधित रीति में अपने विकल्प से इन नियमों में उपबंधित रीति में खाते को जारी रख सकते हैं और जमा तथा ब्याज की कोई बकाया राशि, ऐसे प्राप्त कर सकते हैं मानों उन्होंने स्वयं खाता खोला हो ।

(3) जहां उपनियम (2) के अधीन खाता जारी नहीं रखा जाता है वहां इसे बंद कर दिया जाएगा और खाते में जो बकाया जमा राशि का ब्याज सहित प्रतिसंदाय कर दिया जाएगा और ऐसा ब्याज उस अवधि के लिए अनुज्ञात होगा जिसके दौरान जमा रकम डाकघर बचत बैंक में रही है और ब्याज की दर, नियम 8 में किसी बात के होते हुए भी—

(i) उन पूरे किए गए वर्षों के लिए जो उस अवधि से अधिक नहीं है जिनके लिए जमा किया गया था, नियम 7 के अधीन विनिर्दिष्ट रूप में होगी और

(ii) उसके पश्चात् पूरे किए गए मासों में किसी ऐसी अवधि के लिए जो, परिपक्वता की तारीख से अधिकतम 24 मास तक हो, एकल या संयुक्त प्रकार के बचत खातों के लिए समय समय पर विनिर्दिष्ट रूप में होगी ।

टिप्पण :—नियम 7 के अधीन खाते के संबंध में पहले ही संदत्त कोई ब्याज, इस नियम के अधीन जमा के प्रतिसंदाय और ब्याज के संदाय से वसूल किया जाएगा ।

(4) संयुक्त खाते में जमाकर्ताओं में से एक की मृत्यु हो जाने पर, उत्तरजीवी जमाकर्ता को खाते का एक मात्र स्वामी समझा जाएगा और वह उपनियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में उसे जारी रख सकेगा या उसके संबंध में कार्रवाई कर सकेगा ।

(5) किसी अवयस्क या पागल जमाकर्ता के संरक्षक की मृत्यु हो जाने पर, जिसने खाता खोला था, नया संरक्षक यदि ऐसे जमाकर्ता के हित में ऐसा करना अपेक्षित है तो खाते के संबंध में उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट रीति में कार्रवाई कर सकेगा ।

12. निरसन और व्यावृत्ति :—(1) डाकघर (सावधिजमा) नियम, 1970 इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी; इस प्रकार निरसित नियम के अधीन की गई कोई भी बात या कार्रवाई इन नियमों या डाकघर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 के तत्समान उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

[फा० सं० एफ० 3/15/81-एन० एस० (iii)]

G.S.R. 664(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1 Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Post Office Time Deposit Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1982.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "account" means a Time Deposit Account ;

(b) "year" means a year commencing on the date of deposit in an account ;

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Post Office Savings Bank General Rules, 1981 and the Post Office Savings Account Rules, 1981, have the meanings respectively assigned to them in those rules.

3. Application of the Post Office Savings Bank General Rules, 1981.—For matters not provided in these rules, the provisions of the Post Office Savings Bank General Rules, 1981 shall apply.

4. Types of accounts and matters connected therewith.—(1) There shall be four kinds of accounts, namely, 1-year account, 2-year account, 3-year account and 5-year account in which deposits can be made for a period of one year, two years, three years and five years respectively.

(2) The types of accounts which may be opened, the persons by whom such accounts may be opened and operated and other matters connected therewith shall be as specified in the Table below, namely :—

TABLE

Type of Account	Who may open	Number of accounts thay may be opened	Who may operate the account
(1)	(2)	(3)	(4)
A. INDIVIDUAL ACCOUNTS			
1. Single Account.	(a) A person who has attained the age of majority and who is of sound mind (hereinafter referred to as an adult)	One or more accounts	The adult. An illiterate, blind or otherwise physically handicapped adult may operate on his account through a literate agent nominated by him for the purpose.
	(b) A minor who has attained the age of 10 years.	One or more accounts	The minor.
	(c) A guardian on behalf of a minor.	One or more accounts on behalf of each minor.	The guardian during the minority of the minor and thereafter, the ex-minor.
	(d) (i) A guardian of a person of unsound mind.	One or more accounts on behalf of each person of unsound mind.	The guardian.
	(ii) Superintendent of Mental Hospital where a person of unsound mind is confined.	One or more accounts on behalf of each person of unsound mind.	The superintendent of the Mental Hospital.
2. Joint account			
(a) A-Type, that is to say, payable to both jointly or to survivor.	Two adults.	One or more accounts.	Both the depositors jointly or survivor.
(b) B-Type, that is to say, payable to either of the depositors or survivor.	Two adults.	One or more accounts.	Either of the depositors or survivor.
B. GROUP ACCOUNTS			
3. (i) Provident Fund account. (ii) Superannuation fund account. (iii) Gratuity Fund account.	The authority controlling a Provident-Fund, a superannuation Fund or a Gratuity Fund, in the name of the Fund.	One or more accounts on behalf of the Fund.	The authority controlling the fund.
Note :—An authority controlling the Fund may open an account only if the pattern of investment prescribed by the Central Government is applicable to, or is otherwise followed by such Fund.			
4. Sanchayika account.	The authority controlling the funds of the Sanchayika.	One or more accounts.	One or more persons authorised by the authority controlling the Sanchayika.
Note:— An authority controlling the funds of a Sanchayika may open only 1-year and 2-year accounts.			
C. INSTITUTIONAL ACCOUNTS			
5. Charitable Endowment account	Treasure of Charitable Endowments for India.	One account on behalf of each Charitable Endowment.	Treasurer of Charitable Endowments for India or an agent appointed by him.
D. MISCELLANEOUS ACCOUNTS			
6. Other accounts	(i) A co-operative society, a co-operative bank or a scheduled bank on behalf of its members, clients or employees whose moneys are held with it as deposit or otherwise.	One or more accounts on behalf of and in the name of a member, client or employee.	One or more persons as authorised by the co-operative society or the co-operative bank or the scheduled bank for this purpose.

(1)	(2)	(3)	(4)
	(ii) A gazetted government officer, an officer of a government company or of a Corporation or of a local authority or an officer of a corporate body like a marketing committee established under a State Act and authorised by the State Government in this behalf, in his official capacity, or the Reserve Bank of India, on behalf of persons whose moneys are held as deposit or otherwise with such officer or the Reserve Bank of India.	One or more accounts on behalf of any of the said persons, in the name of such person.	The officer who opened the account or his successor in office.

5. Deposit and Repayment.—(1) The amount of each deposit in an account shall be a multiple of fifty rupees. There is no maximum limit for the amount of deposit or deposits that may be made in such account.

(2) Each deposit shall be repayable only after the expiry of the period for which it is made, namely, one year, two years, three years or five years, as the case may be.

(3) The repayment of a deposit under sub-rule (2) or payment of interest on a deposit under rule 7 or rule 8 or rule 9, as the case may be, shall be made by the Post Office Savings Bank at which the account stands, on the production of the pass book accompanied by a written application :

Provided that such repayment or payment of interest, as the case may be, shall not be made by an Extra Departmental Sub Savings Bank or Branch Savings Bank except with prior sanction of the relevant Head Savings Bank or relevant Sub Savings Bank.

(4) The amount of repayment of a deposit and payment of interest on a deposit shall be entered in the pass book over the signature of the Postmaster.

6. Re-deposit.—(1) Where a deposit in an account has become due for repayment, the depositor may re-deposit the amount in the same account or another account, as the case may be, tendering his application for withdrawal of the original deposit in the Prescribed form duly discharged.

(2) Subject to sub-rule (3), the date of re-deposit shall be the date of withdrawal of the original deposit.

(3) (a) Where the re-deposit is made during the period specified in column (1) of the Table below and such re-deposit is for the period specified in the corresponding entry in column (2) thereof, the date of re-deposit shall be deemed to be the same as the date of maturity of the original deposit.

TABLE

Period elapsed between the date of maturity and the date of re-deposit	Minimum period of re-deposit
(1)	(2)
1. 6 months or less.	1 year
2. More than 6 months and upto 12 months.	2 years
3. More than 12 months and upto 18 months.	3 years
4. More than 18 months.	5 years

(b) In the case of a re-deposit falling under item 4 of the Table, if more than thirty months have elapsed after the maturity of the original deposit, the date of re-deposit shall be deemed to be the date preceding the date of withdrawal of the original deposit by thirty months.

7. Interest.—The deposit shall carry interest at the rate specified in the Tables below and such interest shall be payable to the depositor at the end of each year in the period of deposit :

Provided that in the case of a deposit made before 23rd July, 1974, the rates of interest notified prior to that date by the Central Government from time to time for such deposit shall be applicable for the period of deposit upto and inclusive of the 22nd July, 1974 and the rates of interest specified in Table A below shall be applicable for any remaining period of deposit commencing from the 23rd July, 1974.

TABLE A

For deposits made before the 1st March, 1978

Period of deposit	Rate of interest per annum
1 year	8 per cent
2 years	8½ per cent
3 years	9 per cent
5 years	10 per cent

TABLE B

For deposits made on or after the 1st March, 1978 but before the 1st October, 1979

Period of deposit	Rate of interest per annum
1 year	7 per cent
2 years	7½ per cent
3 years	8 per cent
5 years	10 per cent

TABLE C

For deposits made on or after the 1st October, 1979 but before the 2nd March, 1981.

Period of deposit	Rate of interest per annum
1 year	8 per cent
2 years	8½ per cent
3 years	9 per cent
5 years	10½ per cent

TABLE D

For deposits made on or after the 2nd March, 1981

Period of deposit	Rate of interest per annum
1 year	8½ per cent
2 years	9½ per cent
3 years	10½ per cent
5 years	10½ per cent

Note : For deposits made on or after the 1st October, 1979, interest will be payable annually at the rates specified in Table C or Table D, as the case may be, calculated at half-yearly rest.

8. Premature withdrawal.—Premature withdrawal of a deposit my be allowed subject to the following conditions, namely :—

(a) No deposit may be withdrawn before the expiry of one year from the date of deposit.

(b) Where a deposit in a 2-year, 3-year or 5-year account is withdrawn prematurely, interest on such deposit shall be payable to the depositor for the completed years and months falling in the period commencing on the date of deposit and ending with the date of withdrawal and such interest shall be calculated at the rate which shall be two per cent less than the rate specified for a deposit of 1 year, 2 years or 3 years, as the case may be, in the concerned Table under rule 7.

Explanation : Where the completed years and months in the case of a deposit in a 5-year account exceed 3 years, such interest shall be calculated at the rate which shall be two per cent less than the rate specified for a deposit of 3 years in the concerned Table under rule 7.

(c) Any interest already paid on the deposit under rule 7 shall be recovered from the amount of repayment of deposit and the interest payable under this rule.

9. Post-maturity interest.—Where repayment of a deposit under rule 7 has become due but has not been made, interest shall be allowed on the deposit for a maximum period of two years from the date of maturity to the date of repayment of the deposit subject to the following conditions, namely :—

(a) The interest shall be simple and shall be calculated at the rate applicable, from time to time, to savings accounts of the type of single or joint account.

(b) For the purpose of payment of interest, any part of the period which is less than one month shall be ignored.

(c) The interest shall be paid to the depositor in a lump sum at the time of repayment of deposit.

10. Pledging of Accounts.—(1) Subject to sub-rules (2) to (7), on an application being made in the prescribed form by the transferer and the transferee, the officer in charge of the Post Office Savings Bank where an account of the transferer stands, may at any time, during the currency of the account, permit transfer of the account as security to—

(a) the President of India or Governor of a State in his official capacity ;

(b) the Reserve Bank of India or a scheduled bank or a co-operative society including a co-operative bank ;

(c) a corporation or a Government company ; or

(d) a local authority.

(2) Transfer under sub-rule (1) shall be permitted only in respect of the whole account and not for a part of it.

(3) Transfer of an account opened on behalf of a minor shall be permitted only if his guardian certifies that the minor is alive and the transfer is for the benefit of the minor.

(4) When an account is transferred under sub-rule (1), the Post Office Savings Bank shall make the following endorsement below the entry of the last deposit in the pass book and also in the page of the pass book where the name and address of the depositor are written, namely :—

"Transferred as security to....."

(5) Except as otherwise provided in the relevant rule, the transferee of an account under this rule shall, until it is re-transferred under sub-rule (6) be deemed to be the holder of the account.

(6) An account transferred under sub-rule (1), may, on the written authority of the pledgee, be re-transferred with the previous sanction of the authorised Postmaster and when such re-transfer is made, the Post Office Savings Bank shall make the following endorsement in the pass book at the places indicated in sub-rule (4), namely :—

"Re-transferred to....."

(7) The pass book shall be presented by the depositor or the transferee, as the case may be, to the Post Office Savings Bank for purpose of making endorsement under sub-rule (4) or (6).

NOTE 1 : A Gazetted Officer of the Government accepting an account as security under sub-rule (1) or releasing the security under sub-rule (6) on behalf of the President of India or the Governor of a State shall certify that he is duly authorised under article 299 of the Constitution to execute such instruments or deeds on behalf of the President of India or the Governor of the State, giving the particulars of the number and date of the notification of the Government authorising him in this behalf.

NOTE 2 : An officer of the Reserve Bank of India or a scheduled bank or a co-operative society including a co-operative bank, a corporation or a Government company or a local authority as the the case may be, accepting an account as security under sub-rule (1) or releasing the security under sub-rule (6) on behalf of the respective institution, shall certify under his dated signature and seal of office that he is duly authorised under the articles of the said institution to execute such instruments or deeds on its behalf.

11. Procedure on the death of the depositor.(1) Subject to sub-rules (2) and (3), on the death of the depositor in a single account or of the surviving depositor in a joint account, the procedure specified in rule 13 of the Post Office Savings Bank General Rules, 1981 shall apply.

(2) If there are not more than two surviving nominees or legal heirs, they may, at their option, continue the account and receive any outstanding amount of deposits and interest in the manner provided for in these rules, as if they had opened the account themselves.

(3) Where the account is not continued under sub-rule (2), it shall be closed and any deposit outstanding in the account shall be repaid with interest and such interest shall be allowed for the period for which the deposit has remained with the Post Office Savings Bank and the rate of such interest will, notwithstanding anything contained in rule 8, be—

(i) as specified under rule 7, for the completed years not exceeding the period for which the deposit was made ; and

(ii) for any period thereafter in completed months upto a maximum of twenty-four months from the date of maturity, as specified from time to time for savings accounts of the type of single or joint account.

Note : Any interest already paid on the account under rule 7 shall be recovered from the repayment of deposit and payment of interest under this sub-rule.

(4) On the death of one of the depositors in a joint account, the surviving depositor shall be treated as the sole owner of the account and he may continue the account or deal with it in the manner specified under sub-rule (3).

(5) On the death of the guardian of a minor or lunatic depositor, who opened the account, the new guardian may deal with the account in the manner specified under sub-rule (3) if the same is required in the interest of such depositor.

12. Repeal and saving.—(1) The Post Office (Time Deposits) Rules, 1970 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules or the Post Office Savings Bank General Rules, 1981.

[F. No. 3/15/81-NS(Iii)]

सा०का०नि० 665(अ) :—केन्द्रीय सरकार सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक-घर सावधिक संचयी जमा नियम, 1981 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 1982 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) 'खाता' से कोई सावधिक संचयी जमा खाता अभिप्रेत है;

(ख) 'सारणी' से इन नियमों से संलग्न कोई सारणी अभिप्रेत है;

(ग) 'वर्ष' से किसी खाते में प्रथम जमा की तारीख से प्रारम्भ होने वाला वर्ष अभिप्रेत है;

(घ) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु डाकघर बचत बैंक साधारण नियम 1981 में परिभाषित है वही अर्थ होंगे जो उनके उन नियमों में हैं।

3. डाकघर बचत के साधारण नियम, 1981 का लागू होना :—उन विषयों को, जिनके लिए इन नियमों में उपबन्ध नहीं किया गया है डाक-घर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 के उपबन्ध लागू होंगे।

4. वे व्यक्ति जो खाता खोल सकते हैं —(1) निम्नलिखित द्वारा खाता खोला जा सकेगा—

(क) कोई एकल वयस्क व्यक्ति; या

(ख) संयुक्त रूप से कोई दो वयस्क व्यक्ति खाते में शोध्य रकम निम्नलिखित को संदेय होगी—

(i) संयुक्त रूप से दोनों को या उत्तरजीवी को, या

(ii) दोनों में से किसी को या उत्तरजीवी को; या

(ग) किसी अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति की ओर से अभिभावक; या

(घ) कोई अवयस्क जिसने दस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, स्वयं अपने नाम से।

(2) कोई जमाकर्ता नियम 6 में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अधीन रहते हुए, अपने नाम से या किसी दूसरे के साथ संयुक्त रूप से एक से अधिक खाते रख सकता है।

5. खाते का प्रकार और उसकी परिपक्वता—

(1) केवल एक ही प्रकार का खाता होगा, अर्थात् दस वर्षीय खाता और इसकी परिपक्वता अवधि दस वर्ष होगी।

(2) डाकघर बचत बैंक (सावधि संचयी जमा) नियम, 1989 के अधीन खोला गया पन्द्रह वर्षीय खाता इन नियमों के अधीन चालू रहेगा :

परन्तु यह कि जमाकर्ता के लिखित निवेदन पर ऐसा कोई खाता जो नियम 7 के अधीन चालू खाता है दस वर्षीय खाते में संपरिवर्तित किया जा सकेगा।

6 जमा और खातों की सीमाएं

(1) प्रत्येक खाते में, मासिक जमा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए की जाएगी, अर्थात् :—

(i) प्रत्येक जमा की रकम पांच रुपए के गुणज में होगी,

(ii) किसी एकल खाते में कम से कम दस रुपए और अधिक से अधिक एक हजार रुपए जमा किए जाएंगे या किसी संयुक्त खाते में अधिक से अधिक दो हजार रुपए जमा किए जाएंगे;

(iii) प्रथम जमा खाता खोलते समय की जाएगी और ऐसी रकम खाते का मूल्य वर्ग होगा। प्रत्येक पश्चात्वर्ती मासिक जमा कैलेण्डर मास की समाप्ति से पूर्व की जाएगी और प्रथम जमा के बराबर होगी।

(iv) जहां कोई जमा चैक, भुगतान आदेश या मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा की जाती है वहां डाकघर बचत बैंक में उसे प्रस्तुत करने की तारीख को जमा की तारीख समझा जाएगा।

(v) किसी व्यक्ति द्वारा एक या अधिक डाकघर बचत बैंकों में एक से अधिक खाते खोले जा सकते हैं किन्तु खातों की संपूर्ण अवधि में कुल जमा, जिसके अन्तर्गत संयुक्त खाते में जमा उसके अंश भी हैं, यदि कोई हैं, एक लाख बीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :—इस नियम के प्रयोजन के लिए—

(क) किसी संयुक्त खाते में जमा रकम के आधे को ऐसे खाते में प्रत्येक जमाकर्ता का अंश माना जाएगा।

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा जिसके पहले से ही एक या अधिक खाते हैं जमा की जा सकने वाली रकम की संगणना करने में पन्द्रह वर्षीय खाते में जमा किसी रकम को दस वर्षीय खाते में जमा किसी रकम के डयोढ़े के समतुल्य माना जाएगा।

7. जमा करने में व्यतिक्रम—(1) यदि मासिक जमा करने में व्यतिक्रम होते हैं और दस वर्षीय खाते की दशा में दस या पन्द्रह वर्षीय खाते की दशा में पन्द्रह से अधिक ऐसे व्यतिक्रम होते हैं तो खाते को बन्द माना जाएगा।

(2) कोई जमाकर्ता व्यतिक्रमित किस्तों की राशि एकमुश्त या उतनी व्यतिक्रमित किस्तें जमा कर सकेगा जितनी से दस वर्षीय खाते की दशा में व्यतिक्रम दस या उससे कम या पन्द्रह वर्षीय खाते की दशा में पन्द्रह या उससे कम हो जाएं।

(3) किसी जमाकर्ता द्वारा ऐसे जमा के साथ प्रत्येक मास के व्यतिक्रम के लिए किसी व्यतिक्रमित किस्त के प्रत्येक पांच रुपए के लिए पांच पैसे की दर से ब्याज का भी संदाय किया जाएगा।

(4) ऐसे किसी खाते को जिसमें व्यतिक्रमित किस्तें इस प्रकार जमा की जाती हैं, बन्द नहीं माना जाएगा।

8 अग्रिम जमा—(1) किसी खाते में जो नियम 7 के अधीन बन्द नहीं हो गया है, जमाकर्ता के विकल्प पर किसी कैलेण्डर मास में ऐसी

जमा जो छह मासिक किस्तों से कम की नहीं होगी अग्रिम रूप से जमा किए जा सकेंगे और ऐसी जमा पर निम्नलिखित रूप से रिबेट अनुज्ञात किया जाएगा :—

अग्रिम जमा	अंकित मूल्य दस रुपए के खाते के लिये रिबेट
(i) किसी कैलेण्डर मास में छह या अधिक जमा किन्तु ग्यारह से अधिक की गई जमा पर	एक रुपया
(ii) किसी कैलेण्डर मास में बारह या अधिक की गई जमा पर	प्रत्येक बारह जमा के लिए चार रुपए और अतिशेष के लिए, यदि कोई हो, जो छह जमा से कम नहीं है एक रुपया ।

(2) अन्य मूल्यवर्गों के खातों के लिए, रिबेट, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट दरों के अनुपात में होगी ।

9. परिपक्वता पर जमाकर्ता को प्रतिसंदेय रकम :—

(1) किसी खाते की दशा में जिसमें सभी मासिक जमा कर दी गई हैं, सारणी 1 और 2 में यथाविनिर्दिष्ट रकम, ब्याज सहित, उसकी परिपक्वता की अवधि की समाप्ति पर प्रतिसंदेय होगी ।

(2) किसी ऐसे खाते की दशा में जो दस वर्षीय खाता है जिसमें दस से अधिक व्यतिक्रम नहीं हैं या पन्द्रह वर्षीय खाता है, जिसमें पन्द्रह से अधिक व्यतिक्रम नहीं हैं, जमाकर्ता को निम्नलिखित विकल्प होंगे, अर्थात् :—

(क) व्यतिक्रमित किस्तों का ब्याज सहित नियम 7 के उपनियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट दर पर संदाय करना और परिपक्वता अवधि की समाप्ति पर, यथास्थिति सारणी 1 या 2 के अनुसार संपूर्ण परिपक्वता मूल्य प्राप्त करना;

(ख) जितने व्यतिक्रम हैं उतने मास के लिए परिपक्वता अवधि बढ़ाना, बढ़ाई गई अवधि के दौरान, बिना ब्याज व्यतिक्रमित किस्तों का प्रतिमास संदाय करना और बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति पर, यथास्थिति सारणी 1 या 2 में यथाविनिर्दिष्ट संपूर्ण परिपक्वता मूल्य प्राप्त करना;

(ग) यदि परिपक्वता अवधि या खण्ड (ख) के अधीन बढ़ाई गई परिपक्वता अवधि के दौरान व्यतिक्रमों की परिशुद्धि नहीं की जाती है तो ऐसी अवधि की समाप्ति पर ब्याज सहित ऐसी रकम प्राप्त करना जो सारणी 3 में विनिर्दिष्ट रकम के उसी अनुपात में होगी जो खाते में मासिक जमा की संख्या का, यदि वह दस वर्षीय खाता है तो एक सौ बीस रुपए या यदि वह पन्द्रह वर्षीय खाता है तो एक सौ अस्सी रुपए से है।

(3) नियम 7 के अधीन बन्द माने गए खाते की दशा में जमाकर्ता परिपक्वता अवधि की समाप्ति पर ब्याज सहित ऐसी रकम प्राप्त करने का हकदार होगा जो सारणी 3 में विनिर्दिष्ट रकम के उसी अनुपात में होगी जो खाते में जमा मासिक की संख्या का

(i) खाता नियम 7 के अधीन बन्द खाता नहीं है;

(ii) खाते में से नियम 12 के अधीन कोई रकम नहीं निकाली गई है;

(ख) ऐसा बोनस दस रुपए के मूल्य वर्ग खाते के लिए पचास रुपए की दर से होगा और अन्य मूल्य वर्ग के लिए आनुपातिक दरें होंगी ।

10. जमाकर्ता की मृत्यु पर प्रतिसंदाय :—

(1) उपनियम (2) के अधीन रहते हुए, किसी एकल खाते की दशा में जमाकर्ता की मृत्यु पर या संयुक्त खाते की दशा में दोनों जमाकर्ताओं की मृत्यु पर खाते में आगे कोई जमा नहीं की जाएगी और डाक घर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 के नियम 13 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया लागू होगी । ऐसी प्रक्रिया के प्रयोजन के लिए, खाते पर प्रतिसंदाय के लिए शोध्य रकम निम्नलिखित रकम समझी जाएगी, अर्थात् :—

(क) यदि परिपक्वता अवधि या नियम 9 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन बढ़ाई गई परिपक्वता अवधि के दौरान की गई सभी मासिक जमा कर दी गई हैं।	यथास्थिति, सारणी 1 या 2 में विनिर्दिष्ट रकम।
(ख) यदि मासिक जमा में व्यतिक्रम है, और—	वह रकम जो सारणी 3 में विनिर्दिष्ट रकम के उसी अनुपात में होगी जो खाते में मासिक जमा की संख्या का यदि वह दस वर्षीय खाता है तो एक सौ बीस रुपए या यदि वह पन्द्रह वर्षीय खाता है तो एक सौ अस्सी रुपए से है ।
(i) यदि नाम निर्देशिती या विधिक वारिस परिपक्वता अवधि या नियम 9 के उपनियम (2) के खंड (ख) के अधीन बढ़ाई गई परिपक्वता की समाप्ति पर आनुपातिक रकम प्राप्त करना चाहता है;	
(ii) यदि नाम निर्देशिती या विधिक वारिस ऊपर (i) के अधीन वर्णित अवधि से पूर्व आनुपातिक रकम प्राप्त करना चाहता है।	यथास्थिति, सारणी 4 या 5 या 6 या 7 या 8 में विनिर्दिष्ट रकम ।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि केवल एक या दो उत्तरजीवी नामनिर्देशिती या विधिक वारिस हैं तो वह या वे चाहे ऐसा करने से नियम 6 में विनिर्दिष्ट सीमा बढ़ जाती है, खाते को चालू रख सकेंगे ।

(3) किसी संयुक्त खाते में किसी जमाकर्ता की मृत्यु पर, उत्तरजीवी जमाकर्ता को खाते का एकमात्र स्वामी माना जाएगा और वह —

(क) चाहे ऐसा करने से नियम 6 में विनिर्दिष्ट सीमा बढ़ जाए खाते को चालू रख सकेगा; या

(ख) परिपक्वता की अवधि या नियम 9 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन बढ़ाई गई परिपक्वता की अवधि की समाप्ति पर ब्याज सहित ऐसी रकम प्राप्त कर सकेगा जो सारणी 3 में विनिर्दिष्ट रकम के उसी अनुपात में होगी जो खाते में मासिक जमा की संख्या का, यदि वह दस वर्षीय खाता है तो एक सौ बीस रुपए या पन्द्रह वर्षीय खाता है तो एक सौ अस्सी रुपए से है; या

(ग) खण्ड (ख) में दिए गए समय से पूर्व किसी भी समय, यथास्थिति सारणी 4 या 5 या 6 या 7 या 8 में यथाविनिर्दिष्ट आनुपातिक रकम का दावा कर सकेगा ।

(4) किसी अवयस्क या पागल जमाकर्ता के संरक्षक की मृत्यु पर, नया संरक्षक खाता बन्द कर सकेगा और नियम 9 के अधीन शोध्य रकम के लिए परिपक्वता अवधि या नियम 9 के उपनियम (2) के खंड (ख) के अधीन बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति पर, दावा कर सकेगा या, यथास्थिति, सारणी 4 या 5 या 6 या 7 या 8 में यथाविनिर्दिष्ट आनुपातिक रकम के लिए दावा कर सकेगा, यदि ऐसा जमाकर्ता के हित में ऐसा करना अपेक्षित है।

(5)(क) ऐसे किसी दस वर्षीय खाते की दशा में जो 1 मई, 1981 को या उसके पश्चात् खोला गया है और परिपक्वता अवधि या नियम 9 के उपनियम (2) के खंड (ख) के अधीन बढ़ाई गई परिपक्वता अवधि की समाप्ति पर बन्द कर दिया गया है इस नियम के अधीन संदेय रकम के अतिरिक्त, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए बोनस संदेय होगा, अर्थात् :—

(i) खाते नियम 7 के अधीन बन्द खाता नहीं है;

(ii) खाते में से नियम 12 के अधीन कोई रकम नहीं निकाली गई है;

(ख) ऐसा बोनस दस रुपए के मूल्य वर्ग के खाते के लिए पचास रुपए की दर से होगा और अन्य मूल्यवर्गों के लिए आनुपातिक दरों से होगा।

11. परिपक्वता अवधि के पश्चात् ब्याज

जहां कोई खाते जिसके अन्तर्गत बन्द खाता भी है, परिपक्वता अवधि या नियम 9 के उप नियम (2) के खंड (ख) के अधीन बढ़ाई गई परिपक्वता अवधि की पश्चात्वर्ती तारीख को बन्द कर दिया जाता है वहां नियम 9 या 10 के अधीन खाते पर प्रतिसंदेय रकम के अतिरिक्त जमाकर्ता को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए ब्याज का संदाय किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) ब्याज साधारण होगा और एकल या संयुक्त प्रकार के बचत खातों को समय-समय पर लागू होने वाली दर से संगणित किया जाएगा।

(ii) ब्याज, यथास्थिति, परिपक्वता की तारीख से या नियम 9 के उपनियम (2) के खंड (ख) के अधीन बढ़ाई गई परिपक्वता अवधि की समाप्ति की तारीख से खाता बन्द करने की तारीख तक अधिक से अधिक दो वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और ऐसी अवधि की संगणना करने में, उस अवधि के ऐसे भाग को, जो एक मास से कम है, हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

(iii) नियम 9 या 10 के अधीन प्रतिसंदेय रकम पर, जमाकर्ता द्वारा नियम 12 के उपनियम (6) के अधीन निकाली गई रकम, यदि कोई है, और उस पर उसके द्वारा संदेय ब्याज कम करने के पश्चात् ब्याज की गणना की जाएगी।

12. रकम का निकाला जाना :—(1) किसी खाते में से परिपक्वता अवधि के दौरान निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, रकम निकाला जाना अनुज्ञात किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(i) किसी दस वर्षीय खाते में से दो बार से अनधिक और किसी पन्द्रह वर्षीय खाते में से तीन बार से अनधिक बार रकम नहीं निकाली जा सकेगी।

(ii) खाता खोले जाने की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात् पहली बार रकम का निकाला जाना अनुज्ञात किया जाएगा और यह तब जब जमाकर्ता ने खाते में कम से कम बारह किस्तें जमा की हैं।

(iii) दूसरी बार रकम का निकाला जाना तब अनुज्ञात किया जाएगा जब खाता कम से कम पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् चालू रहता है।

(iv) किसी पन्द्रह वर्षीय खाते में से तीसरी बार रकम का निकाला जाना तब अनुज्ञात किया जाएगा जब कम से कम दस वर्ष की अवधि के पश्चात् खाता चालू रहता है।

(v) प्रत्येक बार रकम का निकाला जाना, रकम निकाले जाने के लिए आवेदन की तारीख को खाते में जमा अतिशेष के, जिसके अन्तर्गत अग्रिम जमा और पूर्व में निकाली गई रकम की वापसी, यदि कोई है, पचास प्रतिशत तक निर्बन्धित होगा।

(vi) नियम 7 के अधीन बन्द माने गए खाते में से कोई रकम निकाला जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(vii) प्रत्येक बार रकम का निकाला जाना पांच रुपए के गुणज में होगा।

(2) प्रत्येक बार निकाली गई रकम का प्रतिसंदाय खाता चालू रहने के दौरान किसी भी समय एकमुश्त या पांच रुपए या उसके गुणज में बराबर-बराबर किस्तों में किया जा सकेगा। ऐसी किस्तों की संख्या अधिक से अधिक बीस किस्तों तक सीमित होगी और खाते की परिपक्वता के लिए शेष मासों की संख्या से अधिक नहीं होगी तथा ऐसी किस्तें मासिक जमा के साथ संदेय होंगी।

(3) प्रत्येक बार निकाली गई रकम की बाबत, जमाकर्ता द्वारा संदेय साधारण ब्याज निम्नलिखित दरों पर होगा, अर्थात् :—

(i) 1 अप्रैल, 1972 से पूर्व निकाली गई रकम की दशा में 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष।

(ii) 1 अप्रैल, 1972 से 31 मार्च, 1975 की अवधि के दौरान निकाली गई रकम की दशा में 7.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष।

(iii) 1 अप्रैल, 1975 से 31 जनवरी, 1977 की अवधि के दौरान निकाली गई रकम की दशा में 9.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष।

(iv) 1 फरवरी, 1977 को या उसके पश्चात् निकाली गई रकम की दशा में 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष।

(4) एकमुश्त प्रतिसंदाय किए जाने की दशा में उपनियम (3) के अधीन ब्याज निकाली गई रकम के प्रतिसंदाय के साथ संदेय होगा और ऐसे ब्याज की संगणना, रकम निकालने के मास से प्रतिसंदाय किए जाने के मास तक रकम निकाले जाने या प्रतिसंदत्त करने की तारीख को ध्यान में रखे बिना, पूरे कैलेण्डर व मासों के लिए की जाएगी। यदि ब्याज सहित प्रतिसंदाय किसी मास की दस तारीख को या उसके पूर्व कर दिया जाता है तो उस मास के लिए कोई ब्याज संदेय नहीं होगा।

(5) मासिक किस्तों में प्रतिसंदाय की दशा में, उपनियम (3) के अधीन ब्याज की संगणना, उस मास में जिसमें रकम निकाली गई थी प्रत्येक मास के अन्त तक असंदत्त रही रकम पर की जाएगी और ऐसा ब्याज प्रतिसंदाय की अन्तिम किस्त के साथ या उस मास से, जिसमें मासिक प्रतिसंदाय की अंतिम किस्त दी गई है, आगामी मास में संदेय होगा।

(6) जहां, किसी कारणवश खाता बन्द किए जाने से पूर्व निकाली गई रकम या उसके किसी भाग का प्रतिसंदाय नहीं किया गया है या उस ब्याज का संदाय नहीं किया गया है वहां जमाकर्ता से इस निमित्त शोध्य कोई बकाया रकम, यथास्थिति, उससे या उसके नाम निर्देशिती या विधिक वारिस को खाता बन्द किए जाने पर प्रतिसंदेय रकम में से वसूल की जाएगी।

13. अवयस्क के वयस्कता प्राप्त करने पर प्रक्रिया—(1) कोई अवयस्क जिसकी ओर से खाता खोला गया है, वयस्कता प्राप्त कर लेने पर, परिपक्वता तक खाते को यदि वह नियम 6 में विहित परिसीमा से अधिक नहीं है चालू रख सकेगा या यदि वह खाता चालू नहीं रखता है तो खाते की परिपक्वता अवधि की समाप्ति पर, नियम 9 के उपनियम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आनुपातिक रकम के लिए दावा कर सकेगा।

(2) जहां उपनियम (2) के अधीन खाता चालू रखा जाता है, वहां भूतपूर्व अप्रयस्क निम्नलिखित घोषणा करेगा, अर्थात् :—

"मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने डाकघर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 और डाकघर सावधिक संचयी जमा नियम, 1981 पढ़ लिए हैं / मुझे पढ़कर समझा दिए गए हैं और यह कि मैं उक्त नियमों के तथा ऐसे संशोधनों को जो समय-समय पर उनमें किए जाएं अपने पर आबद्धकारी स्वीकार करता हूं ।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा मेरे सावधिक संचयी जमा खाते/खातों जिनके अन्तर्गत अप्रयस्क की हैसियत में मेरे नाम से खोले गए खाते भी हैं मैं कुल जमा/की जाने वाली कुल जमा एक लाख बीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।"

14. निरसन और व्यावृत्ति :—(1) डाकघर बचत बैंक (सावधिक संचयी जमा) नियम, 1959 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी,—

(क) इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों या डाकघर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 के अधीन की गई समझी जाएगी;

(ख) इस प्रकार निरसित नियमों के उपबन्ध 1 नवम्बर, 1973 के पूर्व खोले गए पांच वर्षीय खाते को लागू होंगे।

सारणी-1

(नियम 9 और 10 देखिए)

दस वर्षीय सावधिक संचयी जमा खातों की परिपक्वता पर प्रतिसंदेय रकम

वह अवधि जिसके दौरान खाता खोला जाता है/ खाता खोला गया है	दस रुपए मूल्य वर्ग वाले खाते पर प्रतिसंदेय रकम (रु०)
2-1-1959 से 31-3-1959 (जिसमें ये दोनों तारीखें सम्मिलित हैं)	1457
1-4-1959 से 31-3-1960 ,,	1461
1-4-1960 से 31-3-1961 ,,	1465
1-4-1961 से 31-3-1962 ,,	1471
1-4-1962 से 31-3-1963 ,,	1477
1-4-1963 से 31-3-1964 ,,	1484
1-4-1964 से 23-7-1964 ,,	1495
23-7-1964 से 22-7-1965 ,,	1505
23-7-1965 से 22-7-1966 ,,	1510
23-7-1966 से 22-7-1967 ,,	1521
23-7-1967 से 22-7-1968 ,,	1533
23-7-1968 से 22-7-1969 ,,	1546
23-7-1969 से 22-7-1970 ,,	1560
23-7-1970 से 22-7-1971 ,,	1576
23-7-1971 से 22-7-1972 ,,	1593
23-7-1972 से 22-7-1973 ,,	1611
23-7-1973 से 22-7-1974 ,,	1630
23-7-1974 से 30-9-1979 ,,	1650
1-10-1979 से के आगे ,,	1693.20

टिप्पण : अन्य मूल्यवर्गों के खातों की परिपक्वता पर प्रतिसंदेय रकम ऊपर विनिर्दिष्ट रकमों के अनुपात में होगी।

सारणी-2

(नियम 9 और 10 देखिए)

पन्द्रह वर्षीय सावधिक संचयी जमा खातों की परिपक्वता पर प्रतिसंदेय रकम

वह अवधि जिसके दौरान खाता खोला जाता है/ खोला गया है।	दस रुपए मूल्य वर्ग वाले खाते पर प्रतिसंदेय रकम (रु०)
2-1-1959 से 31-3-1959 तक (जिसमें ये दोनों तारीखें सम्मिलित हैं)	2533
1-4-1959 से 22-7-1959 तक ,,	2541
23-7-1959 से 22-7-1960 तक ,,	2550 55
23-7-1960 से 22-7-1961 ,,	2562.30
23-7-1961 से 22-7-1962 ,,	2576.20
23-7-1962 से 22-7-1963 ,,	2590.40
23-7-1963 से 22-7-1964 ,,	2605.90
23-7-1964 से 22-7-1965 ,,	2622.60
23-7-1965 से 22-7-1966 ,,	2640.50
23-7-1966 से 22-7-1967 ,,	2660.80
23-7-1967 से 22-7-1968 ,,	2682.30
23-7-1968 से 22-7-1969 ,,	2705.50
23-7-1969 से 22-7-1970 ,,	2729.30
23-7-1970 से 22-7-1971 ,,	2743.70
23-7-1971 से 22-7-1972 ,,	2759.60
23-7-1972 से 22-7-1973 ,,	2776.80
23-7-1973 से 31-10-1973 ,,	2781.50

टिप्पण : अन्य मूल्यवर्गों के खातों की परिपक्वता पर प्रतिसंदेय रकम ऊपर विनिर्दिष्ट रकमों के अनुपात में होगी।

सारणी-3

(नियम 9 और 10 देखिए)

वह अवधि जिसके दौरान खाता खोला जाता है/ खाता खोला गया है	दस रुपए मूल्य वर्ग वाले खाते पर प्रतिसंदेय रकम (रु०)	
	दस वर्षीय खाता	पन्द्रह वर्षीय खाता
1-4-1970 से पूर्व	1450	2500
1-4-1970 को या उसके पश्चात् किन्तु 1-4-1974 के पूर्व	1530	2655
1-4-1974 को या उसके पश्चात् किन्तु 23-7-1974 के पूर्व	1570	
23-7-1974 को या उसके पश्चात् किन्तु 1-10-1979 के पूर्व	1650	
1-10-1979 को या उसके पश्चात्	1693.20	

टिप्पण : अन्य मूल्यवर्गों के खातों की परिपक्वता पर प्रतिसंदेय रकम ऊपर विनिर्दिष्ट रकमों के अनुपात में होगी।

सारणी-4

(नियम 10 देखिये)

1 अप्रैल, 1970 के पूर्व खोले गये दस वर्षीय या पन्द्रह वर्षीय साधारण संचयी जमा खाते के जमाकर्ता की मृत्यु पर विधिक वारिस या नाम निर्देशिती को संदेय रकम

की गई जमा की संख्या	दस रुपये के मूल्य वर्ग के लिये रकम (रुपये)
1	2
1 से 11 की गई जमा	
12	121.14
13	131.33
14	141.53
15	151.80
16	162.04
17	172.36
18	182.64
19	193.01
20	203.32
21	213.75
22	224.11
23	234.48
24	245.00
25	255.42
26	265.99
27	276.46
28	287.11
29	297.61
30	308.33
31	318.89
32	329.68
33	340.28
34	351.15
35	361.81
36	372.76
37	383.47
38	394.51
39	405.28
40	416.40
41	427.22
42	438.44
43	449.31
44	460.63
45	471.99
46	483.42
47	494.91
48	505.97
49	517.56
50	529.22
51	540.94
52	552.73
53	564.58
54	576.50
55	588.50
56	656.56
57	612.70
58	624.91
59	637.20
60	650.00
61	663.48
62	674.94
63	687.47
64	699.54
65	711.64
66	723.79
67	725.98
68	748.22
69	760.30
70	772.62
71	784.99
72	797.52
73	809.99
74	822.50
75	835.05
76	847.65
77	860.30
78	873.00
79	885.75
80	898.54
81	911.38
82	924.27
83	937.21
84	950.91
85	963.11
86	976.20
87	989.34
88	1002.53
89	1015.17
90	1029.07
91	1042.41
92	1055.81
93	1069.26
94	1082.78

1	2
95	1096.30
96	1109 77
97	1123.45
98	1137.19
99	1150.57
100	1164.41
101	1178.31
102	1192.26
103	1206.29
104	1220.34
105	1234.47
106	1248.65
107	1262.90
108	1277.67
109	1292.08
110	1306.47
111	1320.96
112	1335.51
113	1350.12
114	1364.80
115	1379.52
116	1394.32
117	1409.18
118	1424.09
119	1439.07
120	1450.00
121	1465.87
122	1481.73
123	1497.60
124	1513.47
125	1529.34
126	1545.20
127	1561.07
128	1576.94
129	1592.80
130	1608.67
131	1624.54
132	1640.40
133	1656.76
134	1673.12
135	1689.48
136	1705.84
137	1722.20
138	1738.56
139	1754.92
140	1771.28
141	1787.64
142	1801.00
143	1820.36
144	1836.72
145	1854.06
146	1871.39
147	1888.73
148	1906.06
149	1923.40
150	1940.73
151	1958.07
152	1975.40
153	1992.74
154	2010.07
155	2027.41
156	2044.74
157	2063.14
158	2081.55
159	2099.95
160	2118.36
161	2136.76
162	2155.16
163	2173.57
164	2191.87
165	2210.38
166	2228.78
167	2247.18
168	2265.58
169	2285.12
170	2304.66
171	2324.19
172	2343.73
173	2363.26
174	2382.79
175	2402.33
176	2421.86
177	2441.40
178	2460.93
179	2480.46

टिप्पण : अन्य मूल्य वर्गों के लिये रकम आनुपातिक होगी ।

सारणी-5

(नियम 10 देखिये)

1 अप्रैल, 1970 से पूर्व खोले गये दस वर्षीय या पन्द्रह वर्षीय सावधिक संचयी जमा खाते के जमाकर्ता की मृत्यु पर विधिक वारिस या नामनिर्देशिती को संदेय रकम

की गई जमा की संख्या	दस रुपये के मासिक जमा के लिये रकम (रुपये)
1	2
1 से 11 तक की गई जमा	
12	121.63
13	131.93
14	142.26
15	15[illegible].63
16	[illegible]
17	173.46
18	183.92
19	194.82
20	204.96
21	215.54
22	226.16
23	236.81
24	247.50
25	258.26
26	269.70
27	279.92
28	290.83
29	301.76
30	312.79
31	323.85
32	334.90
33	346.13
34	357.35
35	368.64
36	379.98
37	391.38
38	402.85
39	414.38
40	425.97
41	437.62
42	449.35
43	461.14
44	473.00
45	484.93
46	496.93
47	509.01
48	521.16
49	533.49
50	545.90
51	558.29
52	570.[illegible]
53	583.54
54	59[illegible].31
55	609.16
56	621.98
57	635.02
58	648.15
59	661.39
60	675.00
61	687.31
62	700.01
63	712.72
64	725.49
65	738.30
66	751.17
67	764.08
68	777.05
69	790.06
70	803.13
71	816.29
72	829.50
73	842.72
74	856.00
75	869.32
76	882.70
77	896.13
78	909.61
79	923.14
80	936.73
81	950.37
82	964.06
83	977.81
84	991.73
85	1005.58
86	1019.48
87	1033.46
88	1047.47
89	1061.55
90	1075.68
91	1089.86
92	1104.00
93	1118.39
94	1132.74

1	2
95	1147.14
96	1161.76
97	1176.36
98	1191.02
99	1205.74
100	1220.52
101	1235.36
102	1250.26
103	1265.22
104	1280.24
105	1295.32
106	1310.47
107	1325.68
108	1340.94
109	1356.28
110	1371.67
111	1387.13
112	1402.65
113	1418.21
114	1433.88
115	1449.59
116	1465.37
117	1481.21
118	1497.11
119	1513.09
120	1530.00
121	1546.02
122	1562.32
123	1578.76
124	1595.21
125	1611.79
126	1628.38
127	1645.11
128	1661.84
129	1678.72
130	1695.69
131	1712.62
132	1729.64
133	1746.81
134	1763.98
135	1781.31
136	1798.63
137	1816.10
138	1833.57
139	1851.20
140	1868.83
141	1886.61
142	1904.38
143	1922.32
144	1940.25
145	1958.31
146	1976.43
147	1994.68
148	2042.95
149	2031.34
150	2049.73
151	2068.31
152	2089.87
153	2105.60
154	2124.38
155	2143.22
156	2162.10
157	2181.57
158	2201.04
159	2220.70
160	2240.16
161	2260.20
162	2280.16
163	2300.19
164	2320.22
165	2340.46
166	2360.79
167	2381.10
168	2401.63
169	2422.25
170	2442.86
171	2463.68
172	2484.60
173	2505.50
174	2526.63
175	2547.85
176	2569.05
177	2590.47
178	2611.99
179	2633.49

टिप्पण: अन्य मूल्यवर्ग के लिये रकम आनुपातिक होगी ।

सारणी-6

(नियम 10 देखिये)

1 अप्रैल, 1974 को या उसके पश्चात् किन्तु 23 जुलाई, 1974 के पूर्व खोले गये दस वर्षीय सावधिक संबंधी जमा खाते के जमाकर्ता की मृत्यु पर विधिक वारिस या नाम निर्देशिती को सदेय रकम

जमा की संख्या	दस रुपये के मूल्य वर्ग के लिये रकम (रुपये)
1	2
1 से 11 तक	
12	122.60
13	133.00
14	143.50
15	154.00
16	164.60
17	175.20
18	185.80
19	196.40
20	207.10
21	217.90
22	228.60
23	239.50
24	250.30
25	261.20
26	272.10
27	283.10
28	294.10
29	305.10
30	316.20
31	327.30
32	338.50
33	349.70
34	360.90
35	372.20
36	383.50
37	394.90
38	406.30
39	417.30
40	429.30
41	440.80
42	452.40
43	464.00
44	475.60
45	487.30
46	499.10
47	510.90
48	522.10
49	535.00
50	547.30
51	559.70
52	572.20
53	584.70
54	597.40
55	610.20
56	622.90
57	635.80
58	648.90
59	661.80
60	675.00
61	687.80
62	700.70
63	713.70
64	726.70
65	739.70
66	752.90
67	766.10
68	779.30
69	792.60
70	806.50
71	819.50
72	833.00
73	846.60
74	860.30
75	874.00
76	887.80
77	901.60
78	915.80
79	929.80
80	943.90
81	958.10
82	972.30
83	986.60
84	1000.90
85	1015.40
86	1029.90
87	1044.80
88	1059.50
89	1074.10
90	1089.10
91	1104.00
92	1118.90
93	1134.30
94	1149.50
95	1164.70

1	2
96	1180.20
97	1195.40
98	1211.20
99	1226.80
100	1242.10
101	1258.10
102	1274.30
103	1290.20
104	1306.20
105	1322.20
106	1338.80
107	1355.00
108	1371.40
109	1387.70
110	1404.20
111	1420.80
112	1437.40
113	1454.20
114	1471.00
115	1487.90
116	1504.40
117	1520.90
118	1538.00
119	1555.30

टिप्पण : अन्य मूल्यवर्गों के लिये रकम आनुपातिक होगी ।

सारणी-7

(नियम 10 देखिये)

23 जुलाई, 1974 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 अक्तूबर, 1979 के पूर्व खोले गए दस वर्षीय सावधिक संचयी जमा खाते के जमाकर्ता की मृत्यु पर विधिक वारिस या नाम निर्देशिती को संदेय रकम ।

जमा की संख्या	दस रुपये के मूल्य वर्ग के लिये रकम (रुपये)
1	2
1 से 11 तक की गई जमा	
12	123.30
13	133.80
14	144.40
15	155.00
16	165.70
17	176.40
18	187.20
19	198.00
20	208.90
21	219.80
22	230.80
23	241.80
24	252.80
25	263.90
26	275.00
27	286.20
28	297.50
29	308.70
30	320.10
31	331.50
32	342.90
33	354.20
34	365.90
35	377.50
36	389.10
37	400.50
38	412.50
39	424.30
40	436.10
41	448.00
42	459.90
43	471.90
44	483.90
45	496.00
46	508.10
47	520.30
48	532.50
49	544.80
50	557.20
51	569.60
52	582.00
53	594.50
54	607.10
55	619.70
56	632.40
57	645.10
58	657.90
59	670.70
60	683.60
61	696.80
62	710.20
63	723.60
64	737.10
65	750.60

1	2
66	764 30
67	777 80
68	791 60
69	805 50
70	819 50
71	833 50
72	847 70
73	861 90
74	876 20
75	890 60
76	905 10
77	919 70
78	934 30
79	949 10
80	963 90
81	978 80
82	993 80
83	1008 90
84	1024 20
85	1039 50
86	1054 80
87	1070 30
88	1085 90
89	1101 60
90	1117 40
91	1133 60
92	1149 60
93	1165 70
94	1181 90
95	1198 10
96	1214 50
97	1231 00
98	1247 60
99	1264 70
100	1281 50
101	1298 50
102	1315 50
103	1332 60
104	1349 90
105	1367 70
106	1385 10
107	1402 70
108	1420 10
109	1438 20
110	1456 60
111	1474 70
112	1493 40
113	1511 60
114	1530 60
115	1549 10
116	1567 70
117	1587 10
118	1605 90
119	1625 50

टिप्पण : अन्य मूल्यवर्गों के लिये रकम आनुपातिक होगी ।

सारणी-8

(नियम 10 देखिये)

1 अक्तूबर, 1979 को या उसके पश्चात् खोले गये दस वर्षीय सावधि संचयी जमा खाते के जमाकर्ता की मृत्यु पर विधिक वारिस या नाम निर्देशिती को संदेय रकम ।

जमा की संख्या	दस रुपये के मूल्य वर्ग के लिये रकम (रुपये)
1	2
1 से 11 तक की गई जमा	
12	123 35
13	133 90
14	144 50
15	155 15
16	165 85
17	176 60
18	187 40
19	198 20
20	209 10
21	220 05
22	231 00
23	242 05
24	253 10
25	264 20
26	275 40
27	286 60
28	297 85
29	309 20
30	320.55
31	331 95
32	343 40
33	354 90
34	366 50
35	378 10
36	[illegible]
37	401 45

1	2
38	413.20
39	425.05
40	436.90
41	448.80
42	460.80
43	472.80
44	484.90
45	497.00
46	509.20
47	521.40
48	533.70
49	546.15
50	558.65
51	571.20
52	583.85
53	596.55
54	609.20
55	612.10
56	635.00
57	647.95
58	661.00
59	674.10
60	687.25
61	700.60
62	714 05
63	727.60
64	741.25
65	754.95
66	768.80
67	782.55
68	796.50
69	810.55
70	824.65
71	838.85
72	853.15
73	867.55
74	882.00
75	896.55
76	911.20
77	925.90
78	940.75
79	955.65
80	970.65
81	985.75
82	1000.95
83	1016.20
84	1031.60
85	1047.05
86	1062.65
87	1078.30
88	1094.05
89	1109.95
90	1125.90
91	1141.95
92	1158.15
93	1174.40
94	1190.80
95	1207.25
96	1223.85
97	1240.90
98	1258.10
99	1273.45
100	1292.90
101	1340.50
102	1328.20
103	1346.00
104	1363.95
105	1382.05
106	1400.25
107	1418.60
108	1427.20
109	1436.20
110	1475.45
111	1494.85
112	1514.45
113	1534.15
114	1554.05
115	1574.10
116	1594.30
117	1614.65
118	1635.20
119	1658.85

टिप्पण : अन्य मूल्यवर्गों के लिये रकम अनुपातिक होगी ।

[फा० सं० 3/15/81-एल एस (IV)]

G.S.R. 665(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules ; namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Post Office Cumulative Time Deposit Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1982.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "account" means a Cumulative Time Deposit Account;

(b) "Table" means a Table appended to these rules;

(c) "year" means a year commencing on the date of the first deposit in an account;

(d) words and expressions used herein and not defined but defined in the Post Office Savings Bank General Rules, 1981 have the meanings respectively assigned to them in those rules.

3. Application of the Post Office Savings Bank General Rules, 1981.—For matters not provided in these rules, the provisions of the Post Office Savings Bank General Rules, 1981 shall apply.

4. Persons who can open an account.—(1) An account may be opened by—

(a) a single adult; or

(b) two adults jointly, the amount due on the account being payable—

(i) to both jointly or survivor, or

(ii) to either of them or survivor; or

(c) a guardian on behalf of a minor or a person of unsound mind; or

(d) a minor, who has attained the age of ten years, in his own name.

(2) A depositor can have more than one account in his name or jointly with another subject to the limits specified in rule 6.

5. Type of account and its maturity.—(1) There shall be one type of account, namely, 10-Year account, and its maturity period shall be ten years.

(2) A 15-Year account opened under the Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits) Rules, 1959 shall be continued under these rules:

Provided that at the written request of the depositor, such an account which has not become a discontinued account under rule 7 may be converted into a 10-Year account.

6. Limits on deposits and accounts.—In each account, deposits shall be made monthly subject to the following conditions, namely:—

(i) The amount of each deposit shall be a multiple of five rupees.

(ii) The minimum deposit shall be ten rupees and the maximum deposit shall be one thousand rupees in a single account or two thousand rupees in a joint account.

(iii) The first deposit shall be made at the time of opening the account and the amount of such deposit shall be the denomination of the account. Each subsequent monthly deposit shall be made before the end of the calendar month and shall be equal to the first deposit.

(iv) Where a deposit is made by means of a cheque, pay order or demand draft, the date of its presentation to the Post Office Savings Bank shall be deemed to be the date of deposit.

(v) More than one account can be opened by a person in one or more Post Office Savings Banks but his total deposits during the entire period of the accounts, including his share of deposits in joint accounts, if any, shall not exceed one lakh and twenty thousand rupees.

Explanation.—For the purpose of this rule—

(a) one half of the amount of deposits in a joint account shall be taken as the share of each depositor in such an account.

(b) for arriving at the amounts of deposit that can be made by a person who is already having an account or accounts, a deposit of any amount in a 15-year account shall be taken to be equivalent to one and a half times that amount in a 10-year account.

7. Defaults in deposit.—(1) If there are defaults in monthly deposit, and such defaults exceed ten in the case of a 10-year account of fifteen in the case of 15-year account, the account shall be treated as discontinued.

(2) A depositor may deposit in one lump sum the defaulted instalments or as many of the defaulted instalments as will reduce the defaults to ten or less in the case of a 10-year account or fifteen or less in the case of a 15-year account.

(3) Interest at the rate of five paise for every five rupees of a defaulted instalment for each month of default shall also be paid by the depositor along with such deposit.

(4) An account in which defaulted instalments are so deposited shall not be treated as discontinued.

8. Advance deposits.—(1) In an account which has not become a discontinued account under rule 7, deposits for not less than six monthly instalments may be made in advance in any calendar month at the option of the depositor and rebate on such deposits shall be admissible as follows:—

Advance deposits	Rebate for an account of Rs. 10/- denomination.
(1) Six or more deposits but not exceeding eleven deposits made in any calendar month.	One rupee.
(2) Twelve or more deposits made in any calendar month.	Four rupees for every twelve deposits and one rupee for balance, if any, of not less than six deposits.

(2) For accounts of other denominations, the amounts of rebate shall be proportionate to the rates specified in sub-rule (1).

9. Amount repayable to depositor on maturity.—(1) In the case of an account in which all the monthly deposits have been made, the amount, inclusive of interest, as specified in Tables 1 and 2 shall be repayable at the end of its maturity period.

(2) In the case of an account having defaults not exceeding ten in a 10-Year account or fifteen in a 15-Year account, the depositor shall have the following options, namely:—

(a) to pay the defaulted instalments, with interest at the rate as specified in sub-rule (2) of rule 7 and receive full maturity value as per Table 1 or 2, as the case may be, at the end of the maturity period;

(b) to extend the maturity period by as many months as the number of defaults, pay the defaulted instalments monthly, without interest, during the extended period, and receive the full maturity value as specified in Table 1 or 2, as the case may be, at the end of the extended period;

(c) if the defaults are not rectified during the maturity period or maturity period as extended under clause (b), to receive at the end of such period an amount, inclusive of interest, which shall be in the same proportion to the amount specified in Table 3 as the number of monthly deposits made in the account bears to one hundred and twenty if it is a 10-year account or to one hundred and eighty if it is a 15-year account.

(3) In the case of an account treated as discontinued under rule 7, the depositor shall be entitled to receive at the end of the maturity period, an amount, inclusive of interest, which shall be in thte same proportion to the amount specified in Table 3 as the number of monthly deposits made in the account bears to one hundred and twenty if it is a 10-year account or to one hundred and eighty if it is a 15-year account.

(4) (a) In the case of a 10-year account opened on or after the 1st day of May, 1981, a bonus shall be payable on its maturity in addition to the amount specified in sub-rules (1) and (2), subject to the following conditions, namely :—

(i) the account shall not be a discontinued account under rule 7 ;

(ii) no withdrawal under rule 12 has been made in the account ;

(b) Such bonus shall be at the rate of fifty rupees for an account of ten rupees denomination and at proportionate rates for other denominations.

10. Repayment on death of depositor.—(1) Subject to sub-rule (2), on the death of the depositor in a single account or both the depositors in a joint account, no further deposits shall be made in the account and the procedure specified in rule 13 of the Post Office Savings Bank General Rules, 1981 shall apply. For the purpose of such procedure, the amount due for repayment on the account shall be deemed to be as follows :—

(a) If all the monthly deposits have been made during the maturity period or priod as extended under clause (b) of sub-rule (2) of rule 9.	The amount specified in the Table 1 or 2, as the case may be.
(b) If there are defaults in deposit and	
(i) If the nominee or legal heir desires to receive payment of proportionate amount on expiry of the maturity period or maturity as extended under caluse (b) of sub-rule 2 of rule 9 ;	The amount which shall be in the same proportion to the amount specified in Table 3 as the number of monthly deposits made in the account bears to one hundred and twenty if it is a 10-years account and to one hundred and eighty if it is a 15-year account.
(ii) if the nominee or legal heir desires to receive payment of proportionate amount ealier than under (i) above.	the amount specified in Table 4 or 5 or 7 or 8, as the case may be.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if there are only one or two surviving nominees or legal heirs, he or they may continue the account even if, by doing so, the limit specified in rule 6 is exceeded.

(3) On the death of a depositor in a joint account, the surviving depositor shall be treated as the sole owner of the account and he may—

(a) continue the account even if, by doing so, the limit specified in rule 6 is exceeded ; or

(b) receive, on the expiry of maturity period or maturity period as extended under clause (b) of sub-rule (2) of rule 9, an amount inclusive of interest, which shall be in the same proportion to the amount specified in Table 3, as the number of monthly deposits made in the account bears to one hundred and twenty if it is a 10-year account or to one hundred and eighty if it is a 15-year account ; or

(c) claim, at any time earlier than under clause (b), proportionate amount as specified in Table 4 or 5 or 6 or 7 or 8, as the case may be.

(4) On the death of the guardian of a minor or lunatic depositor, the new guardian may close the account and claim the amount due under rule 9, on expiry of the maturity period or maturity period as extended under clause (b) or sub-rule (2) of rule 9, or claim the proportionate amount as specified in Table 4 or 5 or 6 or 7 or 8, as the case may be, if the same is required in the interest of such depositor.

(5) (a) In the case of a 10-year account opened on or after the 1st day of May, 1981 and closed at the end of its maturity period or maturity period as extended under clause (b) of sub-rule (2) of rule 9, a bonus shall be payable in addition to the amount payable under this rule, subject to the following conditions, namely :—

(i) the account shall not be a discontinued account under rule 7 ;

(ii) no withdrawal under rule 12 has been made in the account ;

(b) Such bonus shall be at the rate of fifty rupees for an account of ten rupees denomination and at proportionate rates for other denominations.

11. Post maturity interest.—Where an account, including a discontinued account, is closed on a date subsequent to the maturity period or the extended period under clause (b) of sub-rule (2) of rule 9, in addition to the amount repayable on the account under rule 9 or 10, interest shall be payable to the depositor subject to the following conditions, namely :—

(i) The interest shall be simple and calculated at the rate applicable from time to time to savings accounts of the type of single or joint account.

(ii) The interest shall be allowed for a maximum period of two years from the date of maturity or the date of expiry of the extended period under clause (b) of sub-rule (2) of rule 9, as the case may be, to the date of closure of the account, and in computing such period, any part of the period which is less than a month shall be ignored.

(iii) The interest shall be calculated on the amount repayable under rule 9 or 10 as reduced by any amount recoverable from the depositor under sub-rule (6) of rule 12 in respect of withdrawal, if any, made by him and the interest payable by him thereon.

12. Withdrawal.—(1) Withdrawals in an account may be allowed during its maturity period subject to the following conditions, namely:—

(i) The number of withdrawals shall not exceed two in a 10-year account and three in a 15-year account.

(ii) The first withdrawal shall be allowed only after a minimum period of one year has elapsed from the date of opening of the account and the depositor has deposited at least twelve instalments in that account.

(iii) The second withdrawal shall be allowed only after the account has been in operation for a minimum period of five years.

(iv) The third withdrawal in a 15-year account shall be allowed only after the account has been in operation for a minimum period of ten years.

(v) Each withdrawal shall be restricted to fifty per cent of the balance in the account as on the date of application for withdrawal, inclusive of advance deposits and refund or previous withdrawals, if any.

(vi) No withdrawal shall be allowed in an account treated as discontinued under rule 7.

(vii) Each withdrawal shall be a multiple of five rupees.

(2) Each withdrawal may be repaid in one lump sum at any time during the currency of the account or in equal monthly instalments of five rupees or multiples thereof. The number of such instalments shall be limited to a maximum of twenty and shall not exceed the number of months remaining for maturity of the account and such instalments shall be payable along with the monthly deposits.

(3) In respect of each withdrawal, simple interest shall be payable by the depositor at the following rates, namely :—

(i) 6 per cent per annum in the case of withdrawals made before 1st April, 1972.

(ii) 7.2 per cent per annum in the case of withdrawals made during the period from 1st April, 1972 to 31st March, 1975.

(iii) 9.6 per cent per annum in the case of withdrawals made during the period from 1st April, 1975 to 31st January, 1977.

(iv) 12 per cent per annum in the case of withdrawals made on or after 1st February, 1977.

(4) In the case of repayment in one lump sum, the interest under sub-rule 3 shall be payable along with repayment of the amount withdrawn and such interest shall be calculated for full calendar months from the month of withdrawal to the month of repayment irrespective of the date on which the amount is withdrawn or repaid. If the repayment with interest is made on or before the tenth of month, no interest shall be payable for that month.

(5) In the case of repayment in monthly instalments, the interest under sub-rule 3 shall be calculated on the amount remaining unpaid at the end of each month from the month in which the withdrawal was made and such interest shall be payable along with the last instalment of repayment or in the month next following the month in which repayment of the last instalment is made.

(6) Where, for any reason, the amount of withdrawal or a part thereof has not been repaid, or the interest thereon has not been paid, before the closure of the account, any outstanding amount due from the depositor in this behalf shall be recovered from the amount repayable to him or to his nominee or legal heir, as the case may be, on the closure of the account.

13. Procedure on the minor attaining majority.—(1) A minor on whose behalf an account has been opened may, on his attaining majority, continue the account till maturity if the limit prescribed in rule 6 is not exceeded or claim at the end of the maturity period of the account the proportionate amount as specified under sub-rule (3) of rule 9, if he does not continue the account.

(2) Where an account is continued under sub-rule (1), the ex-minor shall give a declaration as follows :—

"I hereby declare that the Post Office Savings Bank General Rules 1981 and the Post Office Cumulative Time Deposit Rules 1981 have been read by|to me and that I accept the said rules and all such amendments thereto as may be issued, from time to time, as binding on me.

I further declare that the total deposits made|to be made by me in my Cumulative Time Deposit account|accounts including deposits in the accounts opened by me in my own name as a minor shall not exceed one lakh and twenty thousand rupees".

14. Repeal and saving.—(1) The Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits) Rules, 1959, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal,—

(a) anything done or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been done or taken under thte corresponding provisions of these rules or the Post Office Savings Bank General Rules, 1981 ;

(b) the provisions of the rules so repealed shall apply to a 5-Year account opened before the 1st day of November, 1973.

TABLE I

(See Rules 9 and 10)

Amounts repayable on maturity on 10-Year Cumulative Time Deposit Accounts

Period during which account is or has been opened	Amount (Rs.) repayable on an account of Rs. 10 denomination
From 2-1-1959 to 31-3-1959 (both dates inclusive)	1457
From 1-4-1959 to 31-3-1960 ,,	1461
From 1-4-1960 to 31-3-1961 ,,	1465
From 1-4-1961 to 31-3-1962 ,,	1471
From 1-4-1962 to 31-3-1963 ,,	1477
From 1-4-1963 to 31-3-1964 ,,	1484
From 1-4-1964 to 22-7-1964 ,,	1495
From 23-7-1964 to 22-7-1965 ,,	1505
From 23-7-1965 to 22-7-1966 ,,	1510
From 23-7-1966 to 22-7-1967 ,,	1521
From 23-7-1967 to 22-7-1968 ,,	1533
From 23-7-1968 to 22-7-1969 ,,	1546
From 23-7-1969 to 22-7-1970 ,,	1560
From 23-7-1970 to 22-7-1971 ,,	1576
From 23-7-1971 to 22-7-1972 ,,	1593
From 23-7-1972 to 22-7-1973 ,,	1611
From 23-7-1973 to 22-7-1974 ,,	1630
From 23-7-1974 to 30-9-1979 ,,	1650
From 1-10-1979 onwards	1693.20

Note :—The amounts repayable on maturity on accounts of other denominations shall be proportionate to the amounts specified above.

TABLE 2

(See Rules 9 and 10)

Amounts repayable on maturity of 15-Year Cumulative Time Deposit Accounts

Period during which account is or has been opened	Amount (Rs.) repayable on an account of Rs 10 denomination.
1	2
From 2-1-1959 to 31-3-1959 (both dates inclusive)	2533
From 1-4-1959 to 22-7-1959 ,,	2541
From 23-7-1959 to 22-7-1960 ,,	2550.55
From 23-7-1960 to 22-7-1961 ,,	2562.30
From 23-7-1961 to 22-7-1962 ,,	2576.20
From 23-7-1962 to 22-7-1963 ,,	2590.40
From 23-7-1963 to 22-7-1964 ,,	2605.90
From 23-7-1964 to 22-7-1965 ,,	2622.60

1		2
From 23-7-1965 to 22-7-1966	,,	2640.50
From 23-7-1966 to 22-7-1967	,,	2660.80
From 23-7-1967 to 22-7-1968	,,	2682.30
From 23-7-1968 to 22-7-1969	,,	2705.50
From 23-7-1969 to 22-7-1970	,,	2729.30
From 23-7-1970 to 22-7-1971	,,	2743.70
From 23-7-1971 to 22-7-1972	,,	2759.60
From 23-7-1972 to 22-7-1973	,,	2776.80
From 23-7-1973 to 31-10-1973	,,	2781.50

Note :—The amounts repayable on maturity on accounts of other denominations shall be proportionate to the amounts specified above.

TABLE 3

(See Rules 9 and 10)

Period during which the account is or has been opened	Amount (Rs.) for an account of Rs. 10 denomination	
	10-Year Account	15-Year Account
Before 1-4-1970	1450	2500
On or after 1-4-1970 but before 1-4-1974	1530	2655
On or after 1-4-1974 but before 23-7-1974	1570	
On or after 23-7-1974 but before 1-10-1979	.1650	
On or after 1-10-1979	1693.20	

Note :—The amount for an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified above.

TABLE 4

(See rule 10)

Amount payable to legal heir or nominee on the death of the depositor in 10-year or 15 -year Cumulative Time Deposit account opened before the Ist April, 1970

Number of deposits made	Amount (Rs.) for denomination of Rs. 10/-
1	2
1 to 11	The deposits made
12	121.14
13	131.33
14	141.53
15	151.80
16	162.04
17	172.36
18	182.64
19	193.01
20	203.32
21	213.75
22	224.11
23	234.48
24	245.00
25	255.42
26	265.99
27	276.46
28	287.11
29	297.61
30	308.33
31	318.89
32	329.68
33	340.28
34	351.15
35	361.81
36	372.76
37	383.47
38	394.51
39	405.28
40	416.40
41	427.22
42	438.44
43	449.31
44	460.63
45	471.99
46	483.42
47	494.91
48	505.97
49	517.56
50	529.22
51	540.94
52	552.73
53	564.58
54	576.50
55	588.50
56	600.56
57	612.70
58	624.91
59	637.20
60	650.00
61	663.48
62	674.94
63	687.47
64	699.54
65	711.64
66	723.79
67	735.98
68	748.22
69	760.30
70	772.62
71	784.99
72	797.52
73	809.99
74	822.50
75	835.05
76	847.65
77	860.30
78	873.00
79	885.75
80	898.54
81	911.38
82	924.27
83	937.21
84	950.91
85	963.11
86	976.20
87	989.34
88	1002.53
89	1015.77

1	2
90	1029.07
91	1042.41
92	1055.81
93	1069.26
94	1082.78
95	1096.30
96	1109.77
97	1123.45
98	1137.19
99	1150.57
100	1164.41
101	1178.31
102	1192.26
103	1206.29
104	1220.34
105	1234.47
106	1248.65
107	1262.90
108	1277.67
109	1292.08
110	1306.47
111	1320.96
112	1335.51
113	1350.12
114	1364.80
115	1379.52
116	1394.32
117	1409.18
118	1424.09
119	1439.07
120	1450.00
121	1465.87
122	1481.73
123	1497.60
124	1513.47
125	1529.34
126	1545.20
127	1561.07
128	1576.94
129	1592.80
130	1608.67
131	1624.54
132	1640.40
133	1656.76
134	1673.12
135	1689.48
136	1705.84
137	1722.20
138	1738.56
139	1754.92
140	1771.28
141	1787.64
142	1804.00
143	1820.36
144	1836.72
145	1854.06
146	1871.39
147	1888.73
148	1906.06
149	1923.40
150	1940.73
151	1958.07
152	1975.40
153	1992.74
154	2010 07
155	2027.41
156	2044.74
157	2063.14
158	2081.55
159	2099.95
160	2118.36
161	2136.76
162	2155.16
163	2173.57
164	2191.97
165	2210.38
166	2228.78
167	2247.18
168	2265.59
169	2285.12
170	2304.66
171	2324.19
172	2343.73
173	2363.26
174	2382.79
175	2402.33
176	2421.86
177	2441.40
178	2460.93
179	2480.46

Note: The amounts will be proportionate for other denominations.

TABLE 5

(See rule 10)

Amount payable to legal heir or nominee on the death of the depositor in 10-year or 15-year Cumulative Time Deposit account opened on or after the 1st April, 1970 but before the 1st April, 1974.

Number of deposits made	Amount Rs. for denomination of Rs. 10/-
1	2
1 to 11 The deposits made	
12	121.63
13	131.93
14	142.26
15	152.63
16	163.02
17	173.46
18	183.92
19	194.42
20	204.96
21	215.54
22	226.16
23	236.81
24	247.50
25	258.26
26	269.07
27	279.92
28	290.83

1	2	1	2
29	301.78	93	1118.39
30	312.79	94	1132.74
31	323.85	95	1147.14
32	334.96	96	1161.76
33	346.13	97	1176.36
34	357.85	98	1191.02
35	368.64	99	1205.74
36	379.98	100	1220.52
37	391.38	101	1235.36
38	402.85	102	1250.26
39	414.38	103	1265.22
40	425.97	104	1280.24
41	437.62	105	1295.32
42	449.35	106	1310.47
43	461.14	107	1325.68
44	473.00	108	1340.94
45	484.93	109	1356.28
46	496.93	110	1371.67
47	509.01	111	1387.13
48	521.16	112	1402.65
49	533.49	113	1418.24
50	546.90	114	1433.88
51	558.29	115	1449.59
52	570.87	116	1465.37
53	583.54	117	1481.21
54	596.31	118	1497.11
55	609.16	119	1513.09
56	621.98	120	1530.00
57	635.02	121	1546.02
58	648.15	122	1562.32
59	661.39	123	1578.76
60	675.00	124	1595.21
61	687.34	125	1611.79
62	700.01	126	1628.38
63	712.72	127	1645.11
64	725.49	128	1661.84
65	738.30	129	1678.72
66	751.17	130	1695.59
67	764.08	131	1712.62
68	777.05	132	1729.64
69	790.06	133	1746.81
70	803.13	134	1763.98
71	816.29	135	1781.31
72	829.50	136	1798.63
73	842.72	137	1816.10
74	856.00	138	1833.57
75	869.32	139	1851.20
76	882.70	140	1868.83
77	896.13	141	1886.61
78	909.61	142	1904.38
79	923.14	143	1922.32
80	936.73	144	1940.25
81	950.37	145	1958.34
82	964.06	146	1976.43
83	977.81	147	1994.68
84	991.73	148	2012.95
85	1005.58	149	2031.34
86	1019.48	150	2049.73
87	1033.46	151	2068.31
88	1047.47	152	2086.87
89	1061.55	153	2105.60
90	1075.68	154	2124.38
91	1089.86	155	2143.22
92	1104.00	156	2162.10
		157	2181.57
		158	2201.04

1	2
159	2220.70
160	2240.46
161	2260.20
162	2280.16
163	2300.19
164	2320.22
165	2340.46
166	2360.79
167	2381.10
168	2401.63
169	2422.25
170	2442.86
171	2463.68
172	2484.60
173	2505.50
174	2526.63
175	2547.85
176	2569.04
177	2590.47
178	2611.99
179	2633.49

Note:—The amounts will be proportionate for other denominations.

TABLE 6

(See rule 10)

Amount payable to legal heir or nominee on the death of depositor in a 10-year Cumulative Time Deposit account in respect of accounts opened on or after the 1st April, 1974 but before the 23rd July, 1974.

Number of deposits	Amount (Rs.) for denomination of Rs. 10/-
1	2
1 to 11 The deposits made	
12	122.60
13	133.00
14	143.50
15	154.00
16	164.60
17	175.20
18	185.80
19	196.40
20	207.10
21	217.90
22	228.60
23	239.50
24	250.30
25	261.20
26	272.10
27	283.10
28	294.10
29	305.10
30	316.20
31	327.30
32	338.50
33	349.70
34	360.90
35	372.20
36	383.50
37	394.90
38	406.30
39	417.80
40	429.20
41	440.80
42	452.40
43	464.00
44	475.60
45	487.30
46	499.10
47	510.90
48	522.70
49	535.00
50	547.30
51	559.70
52	572.20
53	584.70
54	597.40
55	610.20
56	622.90
57	635.80
58	648.90
59	661.80
60	675.00
61	687.80
62	700.70
63	713.70
64	726.70
65	739.70
66	752.90
67	766.10
68	779.30
69	792.60
70	806.00
71	819.50
72	833.00
73	846.60
74	860.30
75	874.00
76	887.80
77	901.60
78	915.80
79	929.80
80	943.90
81	958.10
82	972.30
83	986.60
84	1000.90
85	1015.40
86	1029.90
87	1044.80
88	1059.50
89	1074.20
90	1089.10
91	1104.00
92	1118.90
93	1134.30
94	1149.50
95	1164.70
96	1180.00
97	1195.40
98	1211.20
99	1226.80
100	1242.40
101	1258.10
102	1274.30
103	1290.20
104	1306.20

1	2
105	1322.20
106	1338.80
107	1355.00
108	1371.40
109	1387.70
110	1404.20
111	1420.80
112	1437.40
113	1454.20
114	1471.00
115	1487.90
116	1504.40
117	1520.90
118	1538.00
119	1555.30

Note:—The amounts will be proportionate for other denominations.

TABLE 7

(See rule 10)

Amount payable to legal heir or nominee on the death of a depositor in a 10-year Cumulative Time Deposit account in respect of accounts opened on or after the 23rd July, 1974, but before the 1st October, 1979.

Number of deposits	Amount (Rs.) for denomination of Rs 10/-
1	2
1 to 11 The deposits made	
12	123.30
13	133.80
14	144.40
15	155.00
16	165.70
17	176.40
18	187.20
19	198.00
20	208.90
21	219.80
22	230.80
23	241.80
24	252.80
25	263.90
26	275.00
27	286.20
28	297.50
29	308.70
30	320.10
31	331.50
32	342.90
33	354.40
34	365.90
35	377.50
36	389.10
37	400.80
38	412.50
39	424.30
40	436.10
41	448.00
42	459.90
43	471.90
44	483.90
45	496.00
46	508.10
47	520.30
48	532.50
49	544.80
50	557.20
51	569.60
52	582.00
53	594.50
54	607.10
55	619.70
56	632.40
57	645.10
58	657.90
59	670.70
60	683.60
61	696.80
62	710.20
63	723.60
64	737.10
65	750.60
66	764.30
67	777.80
68	791.60
69	805.50
70	819.50
71	833.50
72	847.70
73	861.90
74	876.20
75	890.60
76	905.10
77	919.70
78	934.30
79	949.10
80	963.90
81	978.80
82	993.80
83	1008.90
84	1024.20
85	1039.50
86	1054.80
87	1070.30
88	1085.90
89	1101.60
90	1117.40
91	1133.60
92	1149.60
93	1165.70
94	1181.90
95	1198.10
96	1214.50
97	1231.00
98	1247.60
99	1264.70
100	1281.50
101	1298.50
102	1315.50
103	1332.60

1	2
104	1349.90
105	1367.70
106	1385.10
107	1402.70
108	1420.40
109	1438.20
110	1456.60
111	1474.70
112	1493.40
113	1511.60
114	1530.60
115	1549.10
116	1567.70
117	1587.10
118	1605.90
119	1625.50

Note:—The amounts will be proportionate for other denominations.

TABLE 8

(See rule 10)

Amount payable to legal heir or nominee on the death of a depositor in a 10-Year Cumulative Time Deposit account opened on or after the 1st October, 1979.

Number of deposits	Amount (Rs.) for denomination of Rs. 10
1	2
1 to 11	The deposits made
12	123.35
13	133.90
14	144.50
15	155.15
16	165.85
17	176.60
18	187.40
19	198.20
20	209.10
21	220.05
22	231.00
23	242.05
24	253.10
25	264.20
26	275.40
27	286.60
28	297.85
29	309.20
30	320.55
31	331.95
32	343.40
33	354.90
34	366.50
35	378.10
36	389.75
37	401.45
38	413.20
39	425.05
40	436.90
41	448.80
42	460.80
43	472.80
44	484.90
45	497.00
46	509.20
47	521.40
48	533.70
49	546.15
50	558.65
51	571.20
52	583.85
53	596.55
54	609.30
55	622.10
56	635.00
57	647.95
58	661.00
59	674.10
60	687.25
61	700.60
62	714.05
63	727.60
64	741.25
65	754.95
66	768.70
67	782.55
68	796.50
69	810.55
70	824.65
71	838.85
72	853.15
73	867.55
74	882.00
75	896.55
76	911.20
77	925.90
78	940.75
79	955.65
80	970.65
81	985.75
82	1000.95
83	1016.20
84	1031.60
85	1047.05
86	1062.65
87	1078.30
88	1094.05
89	1109.95
90	1125.90
91	1141.95
92	1158.15
93	1174.40
94	1190.80
95	1207.25
96	1223.85
97	1240.90
98	1258.10
99	1275.45
100	1292.90
101	1310.50
102	1328.20
103	1346.00
104	1363.95
105	1382.05
106	1400.25
107	1418.60
108	1437.10
109	1456.20

1	2
110	1475.45
111	1494.85
112	1514.45
113	1534.15
114	1554.05
115	1574.10
116	1594.30
117	1614.65
118	1635.20
119	1658.85

Note :— The amounts will be proportionate for other denominations.

[F. No. 3/15/81-NS (iv)]

सा० का० नि० 666(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर आवर्ती जमा नियम, 1981 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 1982 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "खाता" से आवर्ती जमा खाता अभिप्रेत है ;

(ख) "सारणी" से इन नियमों के साथ संलग्न सारणी अभिप्रेत है;

(ग) "वर्ष" से किसी खाते में पहली जमा की तारीख से प्रारंभ होने वाला वर्ष अभिप्रेत है ;

(घ) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त किए गए हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं किंतु डाकघर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 में परिभाषित हैं उनके वही अर्थ होंगे जो उन नियमों में हैं।

3. डाकघर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 का लागू होना :— उन विषयों को जिनके लिए इन नियमों में उपबंध नहीं किया गया है डाकघर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 के उपबंध लागू होंगे।

4. व्यक्ति जो खाता खोल सकते हैं :—

(1) निम्नलिखित द्वारा खाता खोला जा सकता है :—

(क) कोई एकल वयस्क; या

(ख) दो वयस्क संयुक्त रूप से, खाते पर शोध्य रकम—

(i) दोनों को संयुक्त रूप से या उत्तरजीवी को, या

(ii) उनमें से किसी एक को या उत्तरजीवी को संदेय होगी; या

(ग) किसी अवयस्क या किसी विकृतचित्त व्यक्ति की ओर से कोई संरक्षक;

(घ) कोई अवयस्क, जिसने 10 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है अपने नाम से।

(2) कोई जमाकर्ता, अपने नाम से या किसी दूसरे के साथ संयुक्त रूप से एक से अधिक खाते रख सकता है।

5. परिपक्वता अवधि :—

किसी खाते की परिपक्वता अवधि पांच वर्ष होगी।

6. जमा :—

(1) कोई जमाकर्ता, उपनियम (2) से (4) और नियम 10 के अधीन रहते हुए एक खाते में साठ मासिक जमा करेगा।

(2) मासिक जमा की रकम पांच रुपये या उसका कोई गुणज होगी।

(3) पहली मासिक जमा, खाता खोलने के समय की जाएगी और ऐसी जमा की रकम खाते का मूल्य वर्ग होगी। प्रत्येक पश्चात्वर्ती मासिक जमा कलेंडर मास की समाप्ति से पूर्व की जाएगी और पहली जमा के बराबर होगी।

(4) जहां, जमा, चैक, भुगतान आदेश या मांगवेश ड्राफ्ट द्वारा की जाती है, वहां उनके डाकघर बचत बैंक में प्रस्तुत किए जाने की तारीख को जमा की तारीख समझी जाएगी।

7. जमा करने में व्यतिक्रम :—

(1) यदि मासिक जमा में पांच व्यक्तियों से अधिक व्यतिक्रम नहीं है तो जमाकर्ता अपने विकल्प पर खाते की परिपक्वता की अवधि को उतने ही मास तक बढ़ा सकता है जितनी व्यतिक्रमों की संख्या है और व्यतिक्रमित किस्तें बढ़ाई गई अवधि के दौरान जमा कर सकेगा।

(2) यदि मासिक जमा में पांच से अधिक व्यतिक्रम हैं तो खाते को बंद कर दिया गया माना जाएगा और जमाकर्ता किसी भी समय खाते के चालू रहने के दौरान व्यतिक्रमित किस्तों को या उतनी व्यतिक्रमित किस्तें जो व्यतिक्रम की संख्या को पांच तक या उससे कम कर दें, एकमुश्त राशि में जमा करेगा। जमाकर्ता ऐसी जमा के साथ व्यतिक्रमित किस्तों पर व्यतिक्रम के प्रत्येक मास के लिए पांच रुपए पर पांच पैसे की दर से ब्याज का संदाय करेगा और उस खाते को, जिसमें व्यतिक्रमित किस्तें इस प्रकार जमा की जाती हैं, बंद नहीं माना जाएगा।

8. अग्रिम जमा :—

(1) ऐसे किसी खाते में, जो नियम 7 के अधीन बंद नहीं हो गया है, किसी कैलेंडर मास में, जमाकर्ता के विकल्प पर, छह मासिक किस्तों से अन्यून अग्रिम जमा की जा सकती हैं और ऐसी जमा पर निम्नलिखित रूप से रिबेट अनुज्ञेय होगा।

अग्रिम जमा	पांच रुपए के खाते पर रिबेट अंकित
(i) किसी कैलेंडर मास में की गई छह या उससे अधिक जमा किंतु ग्यारह जमा से अधिक नहीं।	पचास पैसे
(ii) किसी कैलेंडर मास में की गई बारह या अधिक जमा	प्रत्येक बारह जमा के लिए दो रुपये और छह जमा से अन्यून के अतिशेष के लिए, यदि कोई है, पचास पैसे

(2) खातों के अन्य मूल्यवर्गों के लिए, रिबेट की राशि उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट दरों के अनुपात में होगी।

9. परिपक्वता पर प्रतिसंदाय :—

(1) (क) किसी खाते की दशा में जिसमें उसकी परिपक्वता की अवधि या नियम 7 के उप-नियम (1) के अधीन बढ़ाई गई परिपक्वता अवधि के दौरान साठ मासिक जमा कर दी गई हैं जमाकर्ता, ऐसी अवधि की समाप्ति पर नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट ब्याज सहित रकम प्राप्त करने का हकदार होगा :—

अनुसूची

अवधि जिसमें खाता खोला जाता है या खोला गया है	10 रु० के मूल्यवर्ग के खाते पर प्रतिसंदाय रकम (रु०)
1-4-1970 से 22-7-1970 (जिसमें दोनों तारीखें सम्मिलित हैं)	716
23-7-1970 से 22-7-1971	720
23-7-1971 से 22-7-1972	726
23-7-1972 से 22-7-1973	733
23-7-1973 से 22-7-1974	741
23-7-1974 से 30-9-1974	754
1-10-1974 से 30-9-1975	756
1-10-1975 से 30-9-1976	758
1-10-1976 से 30-9-1979	760
1-10-1979 से आगे	778.10

(ख) खातों के अन्य मूल्य वर्गों पर, ब्याज सहित प्रतिसंदेय रकमें, अनुसूची में विनिर्दिष्ट रकमों के अनुपात में होंगी ।

(2) (क) जहां कोई खाता बंद हो गया है या उसकी परिपक्वता की अवधि या नियम 7 के उप-नियम (1) के अधीन बढ़ाई गई परिपक्वता अवधि के दौरान खाते मासिक जमा के व्यतिक्रमों की परिशुद्धि नहीं की गई है वहां जमाकर्ता ऐसी अवधि की समाप्ति पर ब्याज सहित वह रकम प्राप्त करने का हकदार होगा जो नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट रकम के उसी अनुपात में होगी जो खाते में मासिक जमा की संख्या का साठ से है।

अनुसूची

अवधि जिसके दौरान खाता खोला जाता है या खोला गया है	10 रु० के मूल्यवर्ग के खाते के लिए रकम (रु०)
1-4-1971 से 14-1-1971 (जिसमें दोनों तारीखें सम्मिलित हैं)	700
15-1-1971 से 31-3-1974	710
1-4-1974 से 22-7-1974	720
23-7-1974 से 30-9-1976	750
1-10-1976 से 30-9-1979	760
1-10-1979 से आगे	778.10

(ख) किसी खाते के किसी अन्य मूल्य वर्ग की रकम अनुसूची में विनिर्दिष्ट की अवधि रकम के अनुपात में होगी ।

10. परिपक्वता की अवधि के पश्चात चालू रखे गए खाते—

(1) पूर्वगामी नियमों में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी खाते में उसकी परिपक्वता अवधि या नियम 7 के उप-नियम (1) के अधीन बढ़ाई गई परिपक्वता अवधि के दौरान साठ मासिक जमा कर दी गई हैं तो जमाकर्ता अपने विकल्प पर खाते को अधिक से अधिक पांच वर्ष की और अवधि के लिए चालू रख सकेगा, और ऐसी और अवधि के दौरान मासिक जमा करेगा प्रत्येक ऐसी जमा खाते में पहली जमा के बराबर होगी। नियम 7 और 8 के उपबंध ऐसी जमा को भी लागू होंगे।

(2) उप-नियम (1) के अधीन चालू रखे गए किसी खाते को जमाकर्ता किसी समय बंद कर सकता है और ऐसी बंदी पर वह ब्याज सहित रकम के प्रतिसंदाय को प्राप्त करने का हकदार होगा।

(क) यदि खाता उप-नियम (1) के अधीन वर्षों की संपूरित संख्या तक, चालू रखने के पश्चात बंद किया जाता है तो जमाकर्ता यथास्थिति सारणी 1 या 2 में विनिर्दिष्ट रकम प्राप्त करने का हकदार होगा।

(ख) यदि खाता, उप-नियम (1) के अधीन एक वर्ष से कम अवधि के लिए चालू रखने के पश्चात बंद किया गया है तो जमाकर्ता नियम 9 के उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट रकम (i) ऐसी रकम पर उन पूरे मासों के लिए जिनके लिए खाता चालू रखा गया था, पर ब्याज और (ii) उस अवधि के दौरान जिसमें खाता चालू रखा गया था उसके द्वारा जमा की गई रकम सहित, प्राप्त करने का हकदार होगा।

(ग) यदि खाता उप-नियम (i) के अधीन संपूरित वर्षों की संख्या जो चार से अधिक नहीं है और उसके पश्चात् वर्ष के किसी भाग के लिए, चालू रखने के पश्चात बंद किया जाता है तो जमाकर्ता (i) संपूरित वर्षों की संख्या से सुसंगत रकम, जो, यथास्थिति, सारणी 1 या 2 में विनिर्दिष्ट है, (ii) ऐसी रकम पर भागतः वर्ष के दौरान जमा की गई रकम, प्राप्त करने का हकदार होगा।

(घ) खंड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट ब्याज की संगणना बचत खाते की एकल या संयुक्त खातों के प्रकार को समय-समय पर लागू दर से की जाएगी।

11. परिपक्वता की अवधि के पश्चात् प्रतिसंदाय की रकम का प्रतिधारण :—

(1) पूर्वगामी नियमों में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी खाते में उसकी परिपक्वता की अवधि या नियम 7 के उप-नियम (1) के अधीन बढ़ाई गई अवधि के दौरान साठ मासिक जमा कर दी गई हैं तो जमाकर्ता अपने विकल्प पर खाते को चालू रख सकेगा और नियम 9 के उप-नियम (1) के अधीन देय प्रतिसंदाय की रकम को अधिक से अधिक और पांच वर्ष की अवधि के लिए, ऐसी और अवधि के दौरान बिना कोई नई जमा किए, रख सकेगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट और अवधि की समाप्ति पर खाते के बन्द किए जाने पर, जमाकर्ता, प्रतिसंदाय को निम्नलिखित के अनुसार प्राप्त करने का हकदार होगा।

(क) यदि और अवधि एक वर्ष से कम है।	नियम 9 उप-नियम (1) के देय रकम और ऐसी रकम पर और अवधि के पूरे मास के लिए ब्याज सहित।
(ख) यदि और अवधि केवल संपूरित वर्षों की है।	यथास्थिति, सारणी 3 या 4 विनिर्दिष्ट रकम।
(ग) यदि और अवधि संपूरित चार वर्ष और उसके पश्चात् वर्ष के किसी भाग की है।	ऐसी रकम पर भागतः वर्ष में पूरे मासों के लिए ब्याज सहित संपूरित वर्षों की संख्या से सुसंगत, यथास्थिति, सारणी 3 या 4 में विनिर्दिष्ट रकम।

(3) उप-नियम (2) के खंड (क) और (ग) में विनिर्दिष्ट ब्याज की संगणना, बचत खातों को एकल या संयुक्त खाते के प्रकार को समय-समय पर लागू होने वाली दर पर की जाएगी।

12. जमाकर्ता की मृत्यु पर प्रतिसंदाय—

(1) उप-नियम (2) के अधीन रहते हुए किसी एकल खाते में जमाकर्ता की और संयुक्त खाते में दोनों जमाकर्ताओं की मृत्यु पर खाते में और जमा नहीं की जाएगी और डाक-घर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 के नियम 13 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया लागू होगी ।

ऐसी प्रक्रिया के लिए, खाते पर प्रतिसंदाय के लिए शोध्य रकम निम्नलिखित के अनुसार समझी जाएगी :—

(क) यदि साठ मासिक जमा कर दी गई हैं और नियम 10 या नियम 11 के अधीन खाता चालू नहीं रखा गया है।	नियम 9 के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट रकम
(ख) यदि खाते में साठ से कम मासिक जमा की गई हैं और	
(i) यदि नाम निर्देशिती या विधिक वारिस परिपक्वता की अवधि या नियम 7 के उपनियम (1) के अधीन बढ़ाई गई परिपक्वता अवधि की समाप्ति पर, शोध्य रकम प्राप्त करना चाहता है, या	नियम 13 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम 9 के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट रकम।
(ii) यदि नामनिर्देशिती या विधिक वारिस उपरोक्त (i) के अधीन से पूर्व किसी भी समय शोध्य रकम प्राप्त करना चाहता है या,	नियम 13 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, सारणी 5, 6, 7, 8, 9 या 10 में विनिर्दिष्ट रकम।
(ग) यदि खाता नियम 10 के उप-नियम (1) या नियम 11 के अधीन चालू रखा गया है।	यथास्थिति, नियम 10 के उप-नियम (1) या नियम 11 में विनिर्दिष्ट रकम।

(2) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए यदि केवल एक या दो उत्तरजीवी या विधिक वारिस हैं तो वह या वे खाता चालू रख सकते हैं और इन नियमों में उपबंधित रीति में ब्याज सहित रकम का प्रतिसंदाय प्राप्त कर सकेगा/सकेंगे मानो खाता उसने या उन्होंने खोला हो।

(3) संयुक्त खाते में जमाकर्ता की मृत्यु पर उत्तरजीवी जमाकर्ता खाते का एकमात्र स्वामी माना जाएगा और वह इन नियमों में उपबंधित रीति में इस प्रकार से व्यवहार कर सकेगा मानो उसने खाता अपने नाम में खोला हो। यदि खाते में साठ मासिक जमा से कम का संदाय किया गया है तो उसका खाता तुरन्त बन्द करने को विकल्प होगा और यथास्थिति सारणी 5, 6, 7, 8, 9 या 10 में विनिर्दिष्ट रकम को प्राप्त कर सकेगा।

(4) किसी अवयस्क या पागल जमाकर्ता के संरक्षक की मृत्यु पर, यदि ऐसा करना जमाकर्ता के हित में अपेक्षित है तो नया संरक्षक, खाता बन्द कर सकेगा और यथास्थिति, नियम 9 के उपनियम (1) या (2) या नियम 10 के उप-नियम (2) या नियम 11 के उप-नियम (2) या सारणी 5, 6, 7, 8, 9 या 10 में विनिर्दिष्ट रकम प्राप्त कर सकेगा।

13. कतिपय मामलों में जमाकर्ता की मृत्यु पर संपूर्ण परिपक्वता मूल्य का प्रतिसंदाय (संरक्षित बचत स्कीम)

(1) जहां खाते की परिपक्वता अवधि या नियम 7 के उप-नियम (1) के अधीन उसकी बढ़ाई गई अवधि के दौरान किसी एकल खाते में जमाकर्ता या किसी संयुक्त खाते में उत्तरजीवी जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे जमाकर्ता का, यथास्थिति, विधिक वारिस या नामनिर्देशिती नियम 9 के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट रकम को, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, प्राप्त करने का हकदार होगा, मानो जमाकर्ता ने सभी साठ मासिक जमा का संदाय कर दिया हो।

(i) खाते का मूल्य वर्ग 20 रुपये से अधिक नहीं होगा।

(ii) खाता बन्द खाता नहीं हो गया है।

(iii) खाता खोलने की तारीख से, यथास्थिति, जमाकर्ता या उत्तरजीवी जमाकर्ता की मृत्यु की तारीख तक की अवधि दो वर्ष से कम नहीं है।

(iv) खाता खोलते समय, यथास्थिति, जमाकर्ता या जमाकर्ताओं की आयु 18 वर्ष से कम और 53 वर्ष से अधिक नहीं है। खाता खोलते समय या उसके पश्चात्, प्रत्येक जमाकर्ता डाकघर बचत बैंक को, खाता खोलते समय अपनी आयु को उपदर्शित करते हुए एक लिखित घोषणा देगा। जहां जमाकर्ता या जमाकर्ताओं द्वारा ऐसी घोषणा नहीं दी गई है वहां दावेदार, मृतक जमाकर्ता या जमाकर्ताओं के विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र की एक प्रति या सादे कागज पर मृतक जमाकर्ता की खाता खोलते समय की आयु के रूप में किसी राजपत्रित अधिकारी मजिस्ट्रेट (जिसके अन्तर्गत अवैतनिक मजिस्ट्रेट भी है) संसद या विधान मंडल के सदस्य जिसके अन्तर्गत दिल्ली महानगर परिषद के सदस्य भी हैं) या पंचायत के सभापति या प्रमुख द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित घोषणा देगा।

(v) चौबीस मासिक जमा बिना व्यतिक्रम के जमा कर दी गई हैं

स्पष्टीकरण: यथास्थिति जमाकर्ता या उत्तरजीवी जमाकर्ता की मृत्यु से पूर्व संदत्त नियम 7 के उपनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज सहित कोई व्यतिक्रमित किस्त व्यतिक्रम नहीं मानी जाएगी।

(vi) खाता खोलने की तारीख से चौबीस मास के पश्चात् के व्यतिक्रमों की रकम यदि कोई है, और ऐसी रकम पर नियम 7 के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज की उन नियमों के अधीन संदेय रकम में से कटौती कर ली जाएगी।

(vii) पहले चौबीस मास के दौरान खाते से कोई रकम नहीं निकाली गई है।

(viii) यदि खाता खोले जाने की तारीख से चौबीस मास की समाप्ति के पश्चात नियम 14 के अधीन कोई रकम निकाली गई है तो ऐसी निकाली गई रकम की बकाया रकम और नियम 14 के अधीन निकाली गई रकम पर ब्याज, इस नियम के अधीन संदेय रकम से वसूल किया जाएगा।

(ix) यथास्थिति, विधिक वारिस या नामनिर्देशिती ने कोई दावा नहीं किया है या उसे इस नियम के अधीन उसी जमाकर्ता द्वारा धारित किसी अन्य खाते की बाबत या किसी पांच वर्षीय डाकघर सावधिक संचयी जमा खाते की बाबत पहले ही कोई फायदा नहीं दिया गया है।

(2) यदि, यथास्थिति किसी जमाकर्ता या उत्तरजीवी जमाकर्ता के पास 20 रुपए मूल्यवर्ग से अनधिक एक से अधिक खाते हैं तो इस नियम के अधीन संदाय का फायदा केवल उसी खाते की बाबत उपलब्ध होगा, जो, यथास्थिति, जमाकर्ता उत्तरजीवी जमाकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। यदि ऐसा जमाकर्ता ऐसा चाहता है तो वह अपना विकल्प बदल सकता है और डाकघर बचत बैंक को जहां उसने खाता रखा है आवेदन द्वारा अन्य खाता विनिर्दिष्ट कर सकता है। यदि जमाकर्ता द्वारा ऐसा खाता विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है तो संदाय का फायदा बीस रुपये के मूल्यवर्ग के पूर्वतम खाते की बाबत जिसकी बाबत संदाय हो सकता है, यदि कोई है अनुज्ञेय होगा और यदि बीस रुपए मूल्यवर्ग का ऐसा कोई खाता नहीं है तो पंद्रह रुपए के बाद रुपए के, और पांच रुपए के पूर्वतम खातों की बाबत जिसकी बाबत संदाय हो सकता है, संदाय का फायदा अनुज्ञेय होगा।

(3) यथास्थिति, विधिक वारिस या नामनिर्देशिती, यथास्थिति, जमाकर्ता या उत्तरजीवी जमाकर्ता की मृत्यु पर, उस डाक घर बचत बैंक, को जहां खाता रखा गया है ऐसे जमाकर्ता की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष में न कि [उसके पश्चात, निहित रीति से आवेदन करेगा। मृत्यु प्रमाण-पत्र या उसकी प्रमाणित प्रति इस आवेदन के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

दावा सुसंगत, मुख्य बचत बैंक द्वारा, राष्ट्रीय बचत आयुक्त नागपुर के कार्यालय से इस सत्यापन के पश्चात् मंजूर किया जाएगा कि मृतक जमाकर्ता के विधिक वारिस या नाम निर्देशिती द्वारा संपूर्ण परिपक्वता मूल्य के संदाय के फायदे का उपयोग, किसी अन्य खाते या 5 वर्षीय डाक घर सावधिक बचत जमा खाते की बाबत नहीं किया गया है।

(4) रकम का निकाला जाना :—

(1) उप नियम (2) से (7) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां खाता नियम 7 के उप-नियम (2) के अधीन बंद नहीं हो गया है वहीं खाते के कम से कम एक वर्ष तक चालू रहने और खाते में बारह मासिक जमा कर दिए जाने के पश्चात् खाते में की गई जमा के पचास प्रतिशत से अनधिक खाते में एक बार में निकाला जाना अनुज्ञात किया जाएगा।

(2) इस प्रकार निकाली गई रकम पांच रुपए की गुणज होगी, यह रकम, खाते के चालू रहने के दौरान किसी भी समय एक मुश्त राशि या बराबर मासिक किस्तों में प्रतिसंदत्त की जा सकती है।

(3) जमाकर्ता द्वारा नीचे विनिर्दिष्ट दर से साधारण ब्याज संदेय होगा :—

(क)	1 अप्रैल, 1972 से पूर्व निकाली गई रकम के लिए	6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष
(ख)	1 अप्रैल, 1972 से 31 मार्च, 1975 की अवधि के दौरान निकाली गई रकम के लिए	7.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष
(ग)	1 अप्रैल, 1975 से 31 जनवरी 1977 की अवधि के दौरान निकाली गई रकम के लिए	9.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष
(घ)	1 फरवरी, 1977 या उसके पश्चात् निकाली गई रकम के लिए	12.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष

(4) एक मुश्त राशि में प्रतिसंदाय की दशा में ब्याज की संगणना निकाली गई रकम पर, रकम के निकाले जाने के मास से रकम के प्रतिसंदाय के मास तक संपूर्ण कलेंडर मास के लिए, रकम के निकाले जाने या प्रतिसंदाय किए जाने की तारीख को दृष्टि में न रखते हुए, उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट दर से की जाएगी। यदि ब्याज सहित प्रतिसंदाय किसी मास की 10 तारीख या उससे पूर्व किया जाता है तो उस मास के लिए ब्याज संदेय नहीं होगा।

(5) बराबर मासिक किस्तों में प्रतिसंदाय किए जाने की दशा में, प्रत्येक किस्त की रकम पांच रुपए का गुणज होगी और किस्तों की संख्या, खाते की परिपक्वता या परिपक्वता के पश्चात् की अवधि के जिसके लिए नियम 10 या 11 के अधीन खाता चालू रखा गया है, के शेष मासों की संख्या से अधिक नहीं होगी। ब्याज की संगणना उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट दर से रकम के निकाले जाने के मास से प्रत्येक मास के अंत में असंदत्त शेष रकम पर की जाएगी और ऐसे ब्याज की कुल रकम निकाली गई रकम के प्रतिसंदाय की अंतिम किस्त के साथ एकमुश्त राशि में या उस मास से आगामी मास में संदेय होगी, जिस मास में निकाली गई रकम की अंतिम किस्त का प्रतिसंदाय किया जाता है।

(6) किसी खाते की परिपक्वता अवधि या नियम 7 के उप-नियम (1) या नियम (10) के उप-नियम (1) के अधीन बढ़ाई गई अवधि के दौरान, रकम के निकाले जाने के प्रतिसंदाय की मासिक किस्तें, यदि कोई हैं, मासिक जमा के साथ संदेय होंगी। यदि कोई खाता, नियम 11 के उप-नियम (1) के अधीन बिना कोई नई जमा किए, परिपक्वता की अवधि के पश्चात् चालू रखा जाता है तो निकाली गई रकम के प्रतिसंदाय की मासिक किस्तें, यदि कोई हैं, ऐसे चालू रहने की अवधि के दौरान संदत्त की जा सकेंगी।

(7) जहां खाता बंद करने से पूर्व, जमाकर्ता द्वारा किसी कारण से, निकाली गई रकम या उसके किसी भाग का प्रतिसंदाय नहीं किया गया है या उस पर ब्याज का संदाय नहीं किया गया है वहां उससे इस निमित्त बकाया शोध्य रकम, खाता बन्द करने पर, यथास्थिति, उसको या उसके नामनिर्देशिती या विधिक वारिस को संदेय रकम में वसूल की जाएगी।

(15) अवयस्क के वयस्कता प्राप्त करने पर प्रक्रिया :

(1) कोई अवयस्क, जिसकी ओर से कोई खाता खोला गया है, वयस्कता प्राप्त करने पर,—

(क) खाते को, यथास्थिति, परिपक्वता की संपूर्ण अवधि या नियम 7 के उप-नियम (1) के अधीन बढ़ाई गई परिपक्वता अवधि या नियम 10 या नियम 11 के अधीन और अवधि के लिए चालू रख सकेगा, या (ख) यदि वह खाता और आगे चालू नहीं रखता है तो परिपक्वता की अवधि समाप्त होने पर, यथास्थिति, नियम 9 के उप-नियम (2) में आनुपातिक रकम या नियम 10 के उपनियम (2) या नियम 11 के उप-नियम (2) के अधीन शोध्य रकम का दावा कर सकेगा।

(2) उप-नियम (1) के खंड (क) के प्रयोजन के लिए, भूतपूर्व अवयस्क निम्न प्रकार से घोषणा करेगा :

मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूं कि मैंने डाक घर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 और डाकघर आवर्ती जमा नियम, 1981 पढ़ लिए हैं। मुझे पढ़कर सुना दिए गए हैं और यह कि मैं उक्त नियमों और उनके ऐसे संशोधनों को जो समय-समय पर जारी किए जाएं अपने ऊपर आबद्धकर स्वीकार करता हूं।

(16) निरसन और व्यावृत्ति :

(1) डाकघर (आवर्ती जमा) नियम, 1970 का इसके द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के रहते हुए भी इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों या डाकघर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 के अधीन की गई समझी जाएगी।

सारणी 5.1

(नियम 10 देखिए)

1 अक्तूबर, 1976 या उसके पश्चात् किन्तु 1 अक्तूबर, 1979 के पूर्व खोले गए और परिपक्वता अवधि या नियम 7 के उप-नियम (1) के अधीन बढ़ाई गई परिपक्वता अवधि के आगे चालू रखे गए किसी खाते पर प्रतिसंदेय सहित रकम।

संपूरित वर्षों की संख्या जिनके लिए खाता चालू रखा जाता है	10 रुपए के मूल्य वर्ग के खाते पर प्रतिसंदेय रकम (रुपए)
एक वर्ष	958.90
दो वर्ष	1177.20
तीन वर्ष	1416.60
चार वर्ष	1679.20
पांच वर्ष	1967.30

टिप्पण-1 : किसी खाते के किसी अन्य मूल्य वर्ग पर प्रतिसंदेय रकम ऊपर विनिर्दिष्ट रकम के अनुपात में होगी।

टिप्पण-2: 1 अक्तूबर, 1970 से पूर्व खोले गए खाते की दशा में प्रतिसंदेय रकम 1 अक्तूबर, 1970 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 अक्तूबर, 1979 के पूर्व खोले गए वैसे ही मूल्य वर्ग के खाते पर प्रतिसंदेय रकम के उसी अनुपात में होगी जो नियम 9 के उप-नियम (1) के अधीन पूर्ववर्ती खाते की परिपक्वता मूल्य का पश्चातवर्ती खाते की परिपक्वता के मूल्य का है ।

सारणी 2

(नियम 10 देखिए)

1 अक्तूबर, 1979 को या उसके पश्चात् खोले गए और परिपक्वता की अवधि या नियम 7 के उपनियम (1) के अधीन बढ़ाई गई परिपक्वता अवधि के आगे मासिक जमा के साथ चालू रखे गए खाते पर प्रतिसंदेय ब्याज सहित रकम ।

संपूरित वर्षों की संख्या जिसके लिए खाता चालू रखा जाता है	10 रुपए मूल्य वर्ग के खाते पर प्रतिसंदेय रकम (रुपए)
एक वर्ष	986.00
दो वर्ष	1215.80
तीन वर्ष	1469.00
चार वर्ष	1750.00
पांच वर्ष	2060.10

टिप्पण: किसी अन्य मूल्य वर्ग के खाते पर प्रतिसंदेय रकम ऊपर विनिर्दिष्ट रकम के अनुपात में होगी ।

सारणी 3

(नियम 11 देखिए)

1 अक्तूबर, 1976 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 अक्तूबर, 1979 के पूर्व खोले गए और परिपक्वता अवधि या नियम 7 के उपनियम (1) के अधीन बढ़ाई गई परिपक्वता अवधि के आगे चालू रखे गए किसी खाते पर प्रतिसंदेय ब्याज सहित ।

संपूरित वर्षों की संख्या जिसके लिए खाता चालू रखा जाता है	10 रुपए के मूल्य वर्ग के खाते पर प्रतिसंदेय रकम (रुपए)
एक वर्ष	833.70
दो वर्ष	914.60
तीन वर्ष	1003.30
चार वर्ष	1100.70
पांच वर्ष	1207.40

टिप्पणी-1: किसी खाते के अन्य मूल्य वर्ग पर प्रतिसंदेय रकम ऊपर विनिर्दिष्ट रकम के अनुपात में होगी ।

टिप्पणी-2: 1 अक्तूबर, 1976 से पूर्व खोले गए खाते की दशा में, प्रतिसंदेय रकम 1 अक्तूबर, 1976 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 अक्तूबर, 1979 के पूर्व खोले गए वैसे ही मूल्य वर्ग के खाते पर प्रतिसंदेय रकम के उसी अनुपात में होगी जो नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन पूर्ववर्ती खाते की परिपक्वता मूल्य का पश्चातवर्ती खाते की परिपक्वता के मूल्य का है ।

सारणी 4

(नियम 11 देखिए)

1 अक्तूबर, 1979 को या उसके पश्चात् खोले गए और परिपक्वता अवधि या नियम 7 के उप-नियम (1) के अधीन बढ़ाई गई परिपक्वता अवधि के आगे मासिक जमा के साथ चालू रखे गए खाते पर प्रतिसंदेय, ब्याज सहित रकम ।

संपूरित वर्षों की संख्या जिनके लिए खाता चालू रखा जाता है	10 रुपए के मूल्य वर्ग के खाते पर प्रतिसंदेय रकम (रुपए)
एक वर्ष	859.00
दो वर्ष	950.10
तीन वर्ष	1049.80
चार वर्ष	1160.10
पांच वर्ष	1281.90

टिप्पण: किसी अन्य मूल्यवर्ग के खाते पर प्रतिसंदेय रकम ऊपर विनिर्दिष्ट रकम के अनुपात में होगी ।

सारणी 5

(नियम 12 देखिए)

15 जनवरी, 1971 के पूर्व खोले गए पांच वर्षीय आवर्ती जमा खाते में जमाकर्ती की मृत्यु होने पर विधिक वारिस या नाम निर्देशिती को संदेय रकम ।

की गई जमा की संख्या	10 रु० के मूल्य वर्ग के लिए रकम
(1)	(2)
1 से 11 जमा किए गए	
12	121.63
13	131.95
14	142.32
15	152.73
16	163.17
17	173.67
18	184.20
19	194.79
20	205.43
21	216.11
22	226.85
23	237.65
24	248.50
25	259.41
26	270.38
27	281.42
28	292.52
29	303.68
30	314.92
31	326.22
32	337.60
33	349.05
34	360.58

1	2
35	372.18
36	383.87
37	397.72
38	407.67
39	419.71
40	431.84
41	444.15
42	456.50
43	468.94
44	481.50
45	494.16
46	506.93
47	519.82
48	532.92
49	546.14
50	559.50
51	572.88
52	586.49
53	600.24
54	614.13
55	628.03
56	642.19
57	656.51
58	670.82
59	685.29

टिप्पण : 5 अन्य मूल्यवर्गों के लिए रकमें आनुपातिक होंगी।

सारणी 6

(नियम 12 देखिए)

15 जनवरी, 1971 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 1974 के पूर्व खोले गए 5 वर्षीय आवर्ती जमा खाते में जमाकर्ता की मृत्यु पर विधिक वारिस या नाम निर्देशिती को संदेय रकम।

की गई जमा की संख्या	10 रु० के मूल्य वर्ग के लिए रकम
1	2
1 से 11 जमा किए गए	
12	122.60
13	133.07
14	143.59
15	154.15
16	164.76
17	175.42
18	186.13
19	196.89
20	207.70
21	218.57
22	229.49
23	240.47
24	251.50
25	262.59
26	273.75
27	288.95
28	296.24
29	307.58
30	318.99
31	330.46
32	342.00
33	353.66
34	365.44
35	377.35
36	389.42
37	401.46
38	413.59
39	425.82
40	438.13
41	450.54
42	463.04
43	475.64
44	488.35
45	501.15
46	514.05
47	527.06
48	540.27
49	553.60
50	567.04
51	580.61
52	594.30
53	608.11
54	622.05
55	636.11
56	650.44
57	665.05
58	679.81
59	694.73

टिप्पण : अन्य मूल्यवर्गों के लिए रकमें आनुपातिक होंगी।

सारणी 7

(नियम 12 देखिए)

1 अप्रैल, 1974 को या उसके पश्चात किन्तु 23 जुलाई, 1974 से पूर्व खोले गए 5 वर्षीय आवर्ती जमा खाते में जमाकर्ता की मृत्यु पर, विधिक वारिस या नाम निर्देशिती को संदेय रकम।

की गई जमा की संख्या	10 रु० के मूल्य वर्ग के लिए रकम
1	2
1 से 11 जमा किए गए	
12	123.30
13	133.80
14	144.40
15	155.10
16	165.80
17	176.60
18	187.40
19	198.20
20	209.20

1	2
21	220.10
22	231.20
23	242.30
24	253.40
25	264.60
26	275.90
27	287.30
28	298.70
29	310.20
30	321.70
31	333.30
32	345.00
33	356.70
34	368.60
35	380.50
36	392.40
37	404.50
38	416.70
39	428.90
40	441.30
41	453.70
42	466.20
43	478.80
44	491.50
45	504.30
46	517.10
47	530.10
48	548.10
49	556.40
50	569.70
51	583.20
52	596.70
53	610.40
54	624.20
55	638.20
56	652.30
57	666.60
58	680.90
59	695.60

टिप्पण : अन्य मूल्यवर्गों के लिए रकमें आनुपातिक होंगी ।

सारणी 8

(नियम 12 देखिए)

23 जुलाई, 1974 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 अक्तूबर, 1976 के पूर्व खोले गए 5 वर्षीय आवर्ती जमा खातों में जमाकर्ता की मृत्यु पर विधिक वारिस या नाम निर्देशिती को संदेय रकम ।

की गई जमा की संख्या	10 रु० के मूल्य वर्ग के लिए रकम
1	2
1 से 11 जमा किए गए	
12	123.90
13	134.60
14	145.30
15	156.20
16	167.00
17	178.00
18	189.00
19	200.10
20	211.20
21	222.40
22	233.70
23	245.10
24	256.50
25	268.00
26	279.70
27	291.40
28	303.10
29	315.00
30	327.00
31	339.00
32	351.20
33	363.40
34	375.70
35	388.10
36	400.60
37	413.30
38	426.10
39	438.90
40	451.90
41	465.00
42	478.20
43	491.60
44	505.00
45	518 60
46	532.20
47	546.00
48	560.00
49	571.20
50	588.60
51	603.20
52	617.80
53	632.70
54	647.70
55	662.80
56	678.10
57	693.60
58	709.10
59	725.00

टिप्पण : अन्य मूल्यवर्गों के लिए रकमें आनुपातिक होंगी ।

सारणी 9

(नियम 12 देखिए)

1 अक्तूबर, 1976 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 अक्तूबर, 1979 के पूर्व खोले गए 5 वर्षीय आवर्ती जमा खाते में जमाकर्ता की मृत्यु पर, विधिक वारिस यानाम निर्देशिती को संदेय रकम ।

की गई जमा की संख्या	10 रु० के मूल्य वर्ग के लिए रकम
1 से 11 जमा किए गए	
12	124.30
13	135.10
14	145.90
15	156.80
16	167.80
17	178.90
18	190.00
19	201.30
20	212.60
21	224.00
22	
23	247.00
24	258.70
25	270.40
26	282.30
27	294.20
28	306.20
29	318.40
30	330.60
31	342 90
32	355.40
33	367.90
34	380.60
35	393.30
36	406.20
37	419.30
38	432.50
39	445.80
40	459.20
41	472.80
42	486.50
43	500.30
44	514.30
45	528.40
46	542.60
47	557.00
48	571.50
49	586.30
50	601.20
51	616.40
52	631.60
53	647.10
54	662.70
55	678.40
56	694.40
57	710.50
58	726.80
59	743.30

टिप्पण : अन्य मूल्यवर्गों के लिए रकमें आनुपातिक होंगी ।

सारणी 10

(नियम 12 देखिए)

1 अक्तूबर, 1979 को या उसके पश्चात् खोले गए 5 वर्षीय आवर्ती जमा खाते में जमाकर्ता की मृत्यु पर, विधिक वारिस या नाम निर्देशिति की संदेय रकम ।

की गई जमा की संख्या	10 रुपए के मूल्य वर्ग के लिए रकम
1 से 11 तक जमा किए गए	
12	124.55
13	135.35
14	146.29
15	157.25
16	168.30
17	179.45
18	190.65
19	201.95
20	213.35
21	224.85
22	236.45
23	248.10
24	259.90
25	271.80
26	283.80
27	295.90
28	308.15
29	320.50
30	332.95
31	345.50
32	358.20
33	371.00
34	383.95
35	397.00
36	410.25
37	423.60
38	437.10
39	450.80
40	464.55
41	478.50
42	492.60
43	506.85
44	521.25
45	536.25
46	551.06
47	565.90
48	580.95
49	596.15
50	611.65
51	627.35
52	643.20
53	659.25
54	675.50
55	691.95
56	708.55
57	725.40
58	742.40
59	759.65

टिप्पण : अन्य मूल्यवर्गों के लिए रकमें आनुपातिक होंगी ।

[फा०सं० 3/15/81-एन०एस० (V)]

G.S.R. 666(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Post Office Recurring Deposit Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1982.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "account" means a recurring Deposit Account;

(b) "Table" means a Table appended to these rules;

(c) "year" means a year commencing on the date of the first deposit in an account;

(d) words and expressions used herein and not defined but defined in the Post Office Savings Bank General Rules, 1981, have the meanings respectively assigned to them in those rules.

3. Application of the Post Office Savings Bank General Rules, 1981.—For matters not provided in these rules, the provisions of the Post Office Savings Bank General Rules, 1981 shall apply.

4 Persons who can open account :—

(1) An account may be opened by—

(a) a single adult; or

(b) two adults jointly, the amount due on the account being payable—

(i) to both jointly or survivor, or

(ii) to either of them or survivor; or

(c) a guardian on behalf of a minor or a person of unsound mind; or

(d) a minor who has attained the age of ten years, in his own name.

(2) A depositor can have more than one account in his name or jointly with another.

5 Maturity period :—Maturity period of an account shall be five years.

6. Deposits :—(1) Subject to the provisions of sub-rule (2) to (4) and rule 10, a depositor shall make sixty monthly deposits in an account.

(2) The amount of monthly deposit shall be five rupees or any multiple thereof.

(3) The first monthly deposit shall be made at the time of opening the account and the amount of such deposit shall be the denomination of the account. Each subsequent monthly deposit shall be made before the end of the calendar month and shall be equal to the first deposit.

(4) Where a deposit is made by means of a cheque, pay order or demand draft, the date of its presentation to the Post Office Savings Bank shall be deemed to be the date of deposit.

7. Defaults in deposits :—

(1) If there are not more than five defaults in monthly deposits, the depositor may, at his option, extend the maturity period of the account by as many months as the number of defaults and deposit the defaulted instalments during the extended period.

(2) If there are more than five defaults in monthly deposit, the account shall be treated as discontinued and a depositor may at any time during the currency of the account, deposit in one lump sum the defaulted instalments or as many of the defaulted instalments as will reduce the number of defaults to five or less. Interest at the rate of five paise for every five rupees of a defaulted instalment for each month of default shall also be paid by the depositor along with such deposit and an account in which defaulted instalments are so deposited shall not be treated as discontinued.

8. Advance deposits —(1) In an account which has not become a discontinued account under rule 7, leposits for not less than six monthly instalments may be made in advance in any calendar month at the option of the depositor and rebate on such deposits shall be admissible as follows :—

Advance deposits	Rebate for an account of Rs. 5/- denomination
(i) Six or more deposits but not exceeding eleven deposits made in any calendar month.	
(ii) Twelve or more deposits made in any calendar month.	Two rupees for every twelve deposits and fifty paise for balance, if any, of not less than six deposits.

(2) For accounts of other denominations, the amounts of rebate shall be proportionate to the rates specified in sub-rule (1).

9. Repayment on maturity :—(1) (a) In the case of an account in which sixty monthly deposits have been made during its maturity period or maturity period as extended under sub-rule (1) of rule 7, the depositor shall be entitled at the end of such period to receive the amount, inclusive of interest, specified in the Schedule below :—

SCHEDULE

Period during which account is or has been opened		Amount (Rs) repayable on an account of Rs. 10 denomination
From 1-4-1970 to 22-7-1970 (both dates inclusive)		715
From 23-7-1970 to 22-7-1971	,,	720
From 23-7-1971 to 22-7-1972	,,	726
From 23-7-1972 to 22-7-1973	,,	733
From 23-7-1973 to 22-7-1974	,,	741
From 23-7-1974 to 30-9-1974	,,	754
From 1-10-1974 to 30-9-1975	,,	756
From 1-10-1975 to 30-9-1976	,,	758
From 1-10-1976 to 30-9-1979	,,	760
From 1-10-1979 onwards	,,	778.10

(b) amounts repayable, inclusive of interest, on accounts of other denominations shall be proportionate to the amounts specified in the Schedule.

(2) (a) Where an account has become discontinued or where the defaults in monthly deposit in an account have not been rectified during its maturity period or maturity period as extended under sub-rule (1) of rule 7, the depositor shall be entitled, on the expiry of such period, to receive an amount, inclusive of interest, which shall be in the same proportion to the amount specified in the Schedule below as the number of monthly deposits made in the account bears to sixty :—

SCHEDULE

Period during which the account is or has been opened		Amount (Rs) for an account of Rs. 10 denomination
From 1-4-1970 to 14-1-1971 (both dates inclusive)		700
From 15-1-1971 to 31-3-1974	,,	710
From 1-4-1974 to 22-7-1974	,,	720
From 23-7-1974 to 30-9-1976	,,	750
From 1-10-1976 to 30-9-1979	,,	760
From 1-10-1979 onwards	,,	778.10

(b) The amount for an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the Schedule.

10. Accounts continued beyond maturity period:—(1) Notwithstanding anything contained in the foregoing rules, if sixty monthly deposits have been made in an account during its maturity period or maturity period as extended under sub-rule (1) of rule 7, the depositor may, at his option, continue the account for a further period upto maximum of five years and make monthly deposits during such further period. Each such monthly deposit shall be equal to the first deposit in the account. The provisions of rules 7 and 8 shall be applicable to such deposits also.

(2) An account continued under sub-rule (1) may, at any time, be closed by the depositor and on such closure, he shall be entitled to receive repayment of the amount, inclusive of interest, as follows :—

(a) If the account is closed after being continued under sub-rule (1) for a completed number of years, the depositor shall be entitled to receive the amount as specified in Table 1 or 2 as the case may be.

(b) If the account is close after being continued under sub-rule (1) for a period of less than one year, the depositor shall be entitled to receive the amount as specified under sub-rule (1) of rule 9 together with (i) interest on such amount for the complete months for which the account was continued and (ii) the amount of deposits made by him during the period for which the account was continued.

(c) If the account is closed after being continued under sub-rule (1) for a completed number of years not exceeding 4 and for a part of a year thereafter, the depositor shall be entitled to receive (i) the amount as specified in Table 1 or 2, as the case may be, relevant to the completed number of years, (ii) interest on such amount for the complete months in the partial year, and (iii) the amount of deposits made by him during the partial year.

(d) The interest referred to in clause (b) and (c) shall be calculated at the rate applicable, from time to time to savings accounts of the type of single or joint account.

11. Retention of amount of repayment beyond maturity period.—(1) Notwithstanding anything contained in the foregoing rules, if sixty monthly deposits have been made in an account during its maturity period or maturity period as exented under sub-rule (1) of rule 7, the depositor may, at his option, continue the account and retain in it the amount of repayment due under sub-rule (1) of rule 9 for a further period upto a maximum of five years, without making any fresh deposits during such further period.

(2) On closure of the account at the expiry of the further peiod referred to in sub-rule (1), the depositor shall be entitled to receive repayment as follows :—

(a)	If the further period is less than one year.	The amount due under sub-rule(1) of rule 9 together with interest on such amount for the complete months in the further period.
(b)	If the further period consists of completed years only.	The amount specified in Table 3 or 4 as the case may be.
(c)	If the further period consists of completed year not exceeding four and a part of the year thereafter.	The amount specified in Table 3 or 4 as the case may be, relevant to the number of completed years together with interest on such amount for the complete months in the partial year.

(3) The interest specified in clauses (a) and (c) of sub-rule (2) shall be calculated at the rate applicable from time to time to savings accounts of the type of single or joint account.

12. Repayment of death of depositor.—(1) Subject to sub-rule (2), on the death of the depositor in a single account or of both the depositors in a joint account, no further deposits shall be made in the account and the procedure specified in rule 13 of the Post Office Savings Bank General Rules, 1981 shall apply. For the purpose of such procedure, the amount due for repayment on the account shall be deemed to be as follows :—

(a)	If sixty monthly deposits have been made and the account has not been continued under sub-rule (1) of rule 10 or rule 11.	The amount specified in sub-rule (1) of rule 9.
(b)	If less than sixty monthly deposits have been made in the account and;	
(d)	If the nominee or legal heir desires to receive the amount due, on the expiry of maturity period or extended maturity period under sub-rule (1) of rule 7; or	The amount specified in sub-rule (2) of rule 9, subject to the provisions of rule 13.
(ii)	If the nominee or legal heir desires to receive the amount due at any time earlier than under (i) above.	The amount specified in Table 5, 6, 7, 8, 9 or 10, as the case may be, subject to the provisions of rule 13.
(c)	If the account has been continued under sub-rule (1) of rule 10 or rule 11.	The amount specified in sub-rule (2) of rule 10 or rule 11, as the case may be.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if there are only one or two surviving nominees or legal heirs, he or they may continue the account and receive repayment of the amount, inclusive of interest, in the manner provided for in these rules, as if the account had been opened by him or them.

(3) On the death of a depositor in a joint account, the surviving depositor shall be treated as the sole owner of the account and he may deal with it in any manner provided for in these rules as if he had opened the account in his name. If less than sixty monthly deposits have been paid into the account, he shall also have the option to close the account immediately and receive the amount specified in Table 5, 6, 7, 8, 9, or 10, as the case may be.

(4) On the death of the guardian of a minor or lunatic depositor, the new guardian may close the account and claim the amount as specified in sub-rule (1) or (2) of rule 9 or sub-rule (2) of rule 10 or sub-rule (2) of rule 11 or Table 5, 6, 7, 8, 9 or 10, as the case may be, if the same is required in the interest of such depositor.

13. Repayment of full maturity value on the death of the depositor in certain cases (Protected Savings Scheme.).—(1) Where the depositor in a single account or the surviving depositor in a joint account dies during the maturity period of an account or its extention under sub-rule (1) of rule 7, the legal heir or nominee, as the case may be, of such depositor, shall be entitled to receive the amount specified in sub-rule (1) of rule 9 as if the depositor had paid all the sixty monthly deposits, subject to the following conditions namely :—

(i) The denomination of the account shall not exceed twenty rupees.

(ii) The account has not become a discontinued account.

(iii) The period from the date of opening the account to the date of death of the depositor or surviving depositor, as the case may be, is not less than two years.

(iv) The age of the depositor or depositors, as the case may be, at the time of opening the account is not less than 18 years and not more than 53 years. At the time of opening the account or thereafter, every depositor shall give a declaration in writing to the Post Office Savings Bank indicating his age at the time of opening the account. Where such declaration has not been given by the depositor or depositors, the claimant shall furnish a certified copy of the School Leaving Certificate of the deceased depositor or a declaration on a plain paper as to the age of deceased depositor at the time of opening the account duly attested by a Gazetted Officer, a Magistrate (including Honorary Magistrate), a member of Parliament or of a Legislature (including the Metropolitan Council for Delhi) or a Panchayat President or Pramukh.

(v) The first twenty-four monthly deposits have been made without default.

Explanation :—A defaulted instalment paid with interest specified under sub-rule (2) of rule 7 before the death of the depositor or the surviving depositor, as the case may be, shall not be treated as a default.

(vi) The amount of defaults, if any, after twenty-four months from the date of opening the account, together with interest on such amount at the rate specified in sub-rule (2) of rule 7 shall be deducted from the amount payable under this rule.

(vii) No withdrawal has been made from the account during the first twenty-four months.

(viii) If a withdrawal under rule 14 has been made from the account after expiry of twenty-four months from the date of opening of the account, any outstanding amount of such withdrawal and the interest due on the withdrawal under rule 14 shall be recovered from the amount payable under this rule.

(ix) The legal heir or the nominee, as the case may be, has not made any claim, or has not already been given the benefit under this rule in respect of any other account, or in respect of a 5-year Post Office Cumulative Time Deposit account, held by the same depositor.

(2) If a depositor or a surviving depositor, as the case may be, has more than one account of the denominations not exceeding twenty rupees, the benefit of payment under this rule shall be available in respect of only that account which may be specified by the depositor or surviving depositor, as the case may be. Such depositor may change the option and specify another account, if he so desirable, by an application to the Post Office Saving Bank where the account is held. If no such account has been specified by such depositor, has benefit of payment shall be admissible in respect of the earliest account of the denomination of twenty rupees, if any, which qualifies for payment and if there is no such account of the denomination of twenty rupees, than in respect of any one of the earliest accounts of the denominations of fifteen rupees, ten rupees and five rupees which qualifies for payment.

(3) The legal heir or nominee, as the case may be, shall on the death of the depositor or the surviving depositor, as the case may be, apply in the manner prescribed to the Post Office Savings Bank where the account is held, not later than one year from the date of death of such depositor. A death certificate or a certified copy thereof should be attached with such application. The claim will be sanctioned by the relevant Head Savings Bank after verification from the Office of the National Savings Commissioner, Nagpur that the benefit of the payment of full maturity value on death has not been previously availed of by the legal heir or nominee of the deceased depositor in respect of any other account including a 5-year Post Office Cumulative Time Deposit account.

14. Withdrawal.—(1) Subject to the provisions of sub-rules (2) to (7), where an account has not become a discontinued account under sub-rule (2) of rule 7, one withdrawal not exceeding fifty per cent of the deposits made in the account may be allowed after the account has been in operation for at least one year and twelve monthly deposits have been made in the account.

(2) The amount of such withdrawal shall be a multiple of five rupees. It may be repaid, at any time during the currency of the account, in one lump sum or in equal monthly instalments.

(3) Simple interest at the rate specified below shall be payable by the depositor :—

(a) For withdrawal made before 1st April, 1972—6.5 per cent per annum.

(b) For withdrawal made during the period from 1st April, 1972 to 1st March, 1975—7.2 per cent per annum.

(c) For withdrawal made the period from 1st April, 1975 to 31st January, 1977—9.6 per cent per annum.

(d) For withdrawal made on or after 1st February, 1977—12 per cent per annum.

(4) In the case of repayment in one lump sum, interest at the rate specified in sub-rule (3) shall be calculated on the amount of withdrawal for full calendar months from the month of withdrawal to the month of repayment irrespective of the date on which the amount is withdrawan or repaid. If the repayment with interest is made on or before the 10th of a month, no interest shall be payable for that month.

(5) In the case of repayment in equal monthly instalments the amount of each instalment shall be a multiple of five rupees and the number of instalments shall not exceed the number of months remaining for maturity of the account or the post-maturity period for which the account is continued under rule 10 & 11. The interest at the rate specified in sub-rule (3) shall be calculated on the amount remaining unpaid at the end of each month from the month of withdrawal and the total amount of such interest shall be payable in lump sum along with the last instalment of repayment of the amount withdrawn or in the month next following the month in which the last instalment of the amount withdrawn is repaid.

(6) During the maturity period of an account or its extension under sub-rule (1) of rule 7 or sub-rule (1) of rule 10, the monthly instalments of repayment of withdrawl, if any, shall be payable along with the monthly deposits. If an account is continued beyond the maturity period without any fresh deposits under sub-rule (1) of rule 11, monthly instalments of repayment or withdrawal, if any, may be paid during the period of such continuance.

(7) Where, for any reason, the amount of withdrawal or a part thereof has not been re-paid, or the interest thereon has not been paid, by the depositor before the closure of the account, any outstanding amount due from him in this behalf shall be recovered from the amount payable to him or to his nominee or legal heir, as the case may be, on the closure of the account.

15. Procedure on the minor attaining majority.—(1) A minor on whose behalf an account has been opened may on his attaining majority—

(a) continue the account for full maturity period or maturity period as extended under sub-rule (1) of rule 7 or for a further period under rule 10 or rule 11, as the case may be; or

(b) if he does not continue the account any longer, claim proportionate amount as specified in sub-rule (2) of rule 9 on expiry of maturity period, or the amount due under sub-rule (2) of rule 10 or sub-rule (2) of rule 11, as the case may be.

(2) For purpose of clause (a) of sub-rule (1) the ex-minor shall give a declaration as follows :

"I hereby declare that the Post Office Savings Bank General Rules, 1981 and the Post Office Recurring Deposit Rules, 1981 have been read by/to me and that I accept the said rules and all such amendments thereto as may be issued from time to time as binding on me."

16. Repeal and Saving.—(1) The Post Office (Recurring Deposits) Rules, 1970 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules or the Post Office Savings Bank General Rules, 1981

TABLE 1

(*See* rule 10)

Amount, inclusive of interest, repayable on an account opened on or after 1st October, 1976 but before 1st October, 1979 and continued with monthly deposits beyond the maturity period or maturity period as extended under sub-rule (1) of rule 7.—

Number of completed years for which the account is continued	Amount (Rs.) repayable on an account of Rs.10 denomination.
One year	958.90
Two years	1177.20
Three years	1416.60
Four years	1679.20
Five years	1967.30

Note :—1 The amount repayable on an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified above.

Note :—2 In the case of an account opened before 1st October, 1976, the amount repayable shall be in the same proportionate to the amount repayable on an account of similar denomination opened on or after 1st October, 1976 but before 1st October, 1979, as the maturity value under sub-rule (1) of rule 9 of the former account is to that of the latter account.

TABLE 2

(*See* rule 10)

Amount, inclusive of interest, repayable on an account opened on or after 1st October, 1979 and continued, with monthly deposits, beyond the maturity period or maturity period as extended under sub-rule (1) of rule 7.

Number of completed years for which the account is continued	Amount (Rs.) repayable on an account of Rs. 10 denomination
One year	986.00
Two years	1215.80
Three years	1469.60
Four years	1750.10
Five years	2060.10

Note:—The amount repayable on an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified above.

TABLE 3

(*See* rule 11)

Amount, inclusive of interest, repayable on an account opened on or after 1st October, 1976 but before 1st October, 1979 and continued, without any fresh monthly deposits, beyond the maturity period or maturity period as extended under sub-rule (1) of rule 7.

Number of completed years for which the account is continued	Amount (Rs.) repayable on an account of Rs. 10 denomination
(1)	(2)
One year	833.70
Two years	914.60
Three years	1003.30
Four years	1100.70
Five years	1207.40

Note:—1 The amount repayable on an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified above.

Note:—2 In the case of an account opened before 1st October, 1976, the amount repayable shall be in the same proportion to the amount repayable on an account of similar denomination opened on or after 1st October, 1976 but before 1st October, 1979, as the maturity value under sub-rule (1) of rule 9 of the former account is to that of the latter account.

TABLE 4

(*See* rule 11)

Amount, inclusive of interest, repayable on an account opened on or after 1st October, 1979 and continued, without any fresh monthly deposits, beyond the maturity period or maturity period as extended under sub-rule (1) of rule 7.

Number of completed years for which the account is continued	Amount (Rs.) repayable on an account of Rs. 10 denomination
One Year	859.80
Two Years	950.10
Three Years	1049.80
Four Years	1160.10
Five Years	1281.90

Note: The amount repayable on an account of any other denomination shall be proportinate to the amount specified above.

TABLE 5

(*See* rule 12)

Amount payable to legal heir or nominee on the death of the depositor in a 5-year Recurring Deposit account opened before the 15th January, 1971.

Number of deposits made	Amount (Rs.) denomination of Rs. 10
(1)	(2)
1 to 11	The deposite made
12	121.63
13	131.95
14	142.32
15	152.73
16	163.17
17	173.67
18	184.20
19	194.79
20	205.43
21	216.11
22	226.85
23	237.65
24	248.50
25	259.41
26	270.38
27	281.42

(1)	(2)
28	292.52
29	303.68
30	314.92
31	326.22
32	337.60
33	349.05
34	360.58
35	372.18
36	383.87
37	395.72
38	407.67
39	419.71
40	431.84
41	444.15
42	456.50
43	468.94
44	481.50
45	494.16
46	506.93
47	519.82
48	532.92
49	546.14
50	559.50
51	572.88
52	586.49
53	600.24
54	614.13
55	628.03
56	642.19
57	656.51
58	670.82
59	685.29

Note:—The amounts will be proportionate for other denominations.

TABLE 6

(*See* rule 12)

Amount payable to legal heir or nominee on the death of the depositor in a 5-year Recurring Deposit account opened on or after the 15th January, 1971 but before the 1st April, 1974.

Number of Deposits made	Amount (Rs.) for denomination of Rs. 10
(1)	(2)
1 to 11	The deposits made
12	122.60
13	133.07
14	143.59
15	154.15
16	164.76
17	175.42
18	186.13
19	196.89
20	207.70
21	218.57
22	229.49
23	240.47
24	251.50
25	262.59
26	273.75
27	284.95

(1)	(2)
28	296.24
29	307.58
30	318.99
31	330.46
32	342.00
33	353.66
34	365.44
35	377.35
36	389.42
37	401.46
38	413.59
39	425.82
40	438.13
41	450.54
42	463.04
43	475.64
44	488.35
45	501.15
46	514.05
47	527.06
48	540.27
49	553.60
50	567.04
51	580.61
52	549.30
53	608.11
54	622.05
55	636.11
56	650.44
57	665.05
58	679.81
59	694.73

Note :—The amounts will be proportionate for other denominations.

TABLE 7

(*See* rule 12)

Amount payable to legal heir or nominee on the death of the depositor in a 5-year Recurring Deposit account opened on or after the 1st April, 1974, but before the 23rd July, 1974.

Numer of deposits made	Amount (Rs.) for denomination of Rs. 10
(1)	(2)
1 to 11	The deposits made
12	123.30
13	133.80
14	144.40
15	155.10
16	165.80
17	176.60
18	187.40
19	198.30
20	209.20
21	220.10
22	231.20
23	242.30
24	253.40
25	264.60

(1)	(2)
26	275.90
27	287.30
28	298.70
29	310.20
30	321.70
31	333.30
32	345.00
33	356.70
34	368.60
35	380.50
36	392.40
37	404.50
38	416.70
39	428.90
40	441.30
41	453.70
42	466.20
43	478.80
44	491.50
45	504.30
46	517.10
47	530.10
48	548.10
49	556.40
50	569.70
51	583.20
52	596.70
53	610.40
54	624.20
55	638.20
56	652.30
57	666.60
58	680.90
59	695.60

Note : The amounts will be proportionate for other denominations.

TABLE 8

(*See* rule 12)

Amount payable to legal heir or nominee on the death of the depositor in a 5-year Recurring Deposit account opened on or after the 23rd July, 1974 but before the 1st October, 1976.

Number of deposits made	Amount (Rs.) for denomination of Rs. 10/-
(1)	(2)
1 to 11	The deposits made
12	123.90
13	134.60
14	145.30
15	156.20
16	167.00
17	178.00
18	189.00
19	200.10
20	211.20
21	222.40
22	233.70
23	245.10
24	256.50
25	268.00
26	279.70
27	291.40
28	303.10
29	315.00
30	327.00
31	339.00
32	351.20
33	363.40
34	375.70
35	388.10
36	400.60
37	413.30
38	426.10
39	438.90
40	451.90
41	465.00
42	478.20
43	491.60
44	505.00
45	518.60
46	532.20
47	546.00
48	560.00
49	574.20
50	588.60
51	603.20
52	617.80
53	632.70
54	647.70
55	662.80
56	678.10
57	693.60
58	709.10
59	725.00

Note : The amounts will be proportionate for other denominations.

TABLE 9

(*See* rule 12)

Amount payable to legal heir or nominee on the death of the depositor in a 5-year Recurring Deposit account opened on or after the 1st October, 1976 but before the 1st October, 1979.

Number of deposits made	Amount (Rs.) for denomination of Rs. 10/-
(1)	(2)
1 to 11	The deposits made
12	124.30
13	135.10
14	145.90
15	156.80
16	167.80
17	178.90
18	190.00
19	201.30
20	212.60
21	224.00

(1)	(2)
22	235.40
23	247.00
24	258.70
25	270.40
26	282.30
27	294.20
28	306.20
29	318.40
30	330.60
31	342.90
32	355.40
33	367.90
34	380.60
35	393.30
36	406.20
37	419.30
38	432.50
39	445.80
40	459.20
41	472.80
42	486.50
43	500.30
44	514.30
45	528.40
46	542.60
47	557.00
48	571.50
49	586.30
50	601.20
51	616.40
52	631.60
53	647.10
54	662.70
55	678.40
56	694.40
57	710.50
58	726.80
59	743.30
60	760.00

Note : The amounts will be proportionate for other denominations.

TABLE 10

(*See* rule 12)

Amount payable to legal heir or nominee on the death of the depositor in a 5-year Recurring Deposit account opened on or after the 1st October, 1979.

Number of Deposits	Amount (Rs.) for denomination of Rs. 10/-
(1)	(2)
1 to 11	The deposits made
12	124.55
13	135.35
14	146.25
15	157.25
16	168.30
17	179.45
18	190.65
19	201.95
20	213.35
21	224.85
22	236.45
23	248.10
24	259.90
25	271.80
26	283.80
27	295.90
28	308.15
29	320.50
30	332.95
31	345.50
32	358.20
33	371.00
34	383.95
35	397.00
36	410.25
37	423.60
38	437.10
39	450.80
40	464.55
41	478.50
42	492.60
43	506.85
44	521.25
45	536.25
46	551.00
47	565.90
48	580.95
49	596.15
50	611.65
51	627.35
52	643.20
53	659.25
54	675.50
55	691.95
56	708.55
57	725.40
58	742.40
59	759.65

Note : The amounts will be proportionate for other denominations.

[F. No. 3/15/81-NS(v)]

सा०का०नि० 667(अ).—केन्द्रीय सरकार, डाकघर बचत खाता नियम, 1981 के नियम 6 के अनुसरण में इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि 1 अप्रैल, 1982 से नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट किसी खाते में जमा प्रतिशेष पर ब्याज उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर अनुज्ञात किया जाएगा।

सारणी

खाता	प्रतिवर्ष ब्याज की दर
(1)	(2)
1. एकल खाता	5.5 प्रतिशत
2. पैंशन खाता	5.5 प्रतिशत
3. संयुक्त खाता	5.5 प्रतिशत
4. भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि खाता	5.5 प्रतिशत

1	2
5. संचायक खाता	5.5 प्रतिशत
6. लोक खाता	5.0 प्रतिशत
7. प्रतिभूति जमा खाता	
(1) मोटर यान या ट्रैक्टर के क्रय के लिए	5.0 प्रतिशत
(2) अन्य प्रयोजनों के लिए	3.0 प्रतिशत
8. पदीय हैसियत खाता	3.0 प्रतिशत

[फा० सं० 3/15/81-एन०एस (VI)]

ए० सी० तिवारी, संयुक्त सचिव

G.S.R. 667(E).—In pursuance of rule 6 of the Post Office Savings Account Rules, 1981, the Central Government hereby notifies that, with effect from the 1st April, 1982, interest on the balance at credit of an account specified in column (1) of the Table below, shall be allowed at the rate specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

TABLE

Account	Rate of interest per annum
1	2
1. Single account	5.5 per cent
2. Pension account	5.5 per cent
3. Joint account	5.5 per cent
4. Provident Fund, Superannuation Fund or Gratuity Fund account	5.5 per cent
5. Sanchaylka account	5.5 per cent
6. Public account	5 per cent
7. Securlty Deposit account	
(i) for purchase of a motor vehicle or tractor	5 per cent
(ii) for other purposes	3 per cent
8. Official capacity account	3 per cent

[F. No. 3/15/81-NS(vi)]

A. C. TIWARI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981